

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एन.ई.आई.ए.ए.) छत्तीसगढ़ की 158वीं बैठक का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एन.ई.आई.ए.ए.) छत्तीसगढ़ की 158वीं बैठक दिनांक 29/10/2023 को अल्पान्त 02:30 बजे संपन्न हुई।

बैठक के प्रारंभ में तकनीकी अधिकारी, सचिवालय, राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण द्वारा उपस्थित प्राधिकरण के सदस्यों का स्वागत किया गया। तदनुसार एजेन्डावार पर्यावरण निम्नानुसार निर्णय लिया गया।

एजेन्डा आइटम क्रमांक-1 राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ की 157वीं बैठक दिनांक 18/10/2023 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ की 157वीं बैठक दिनांक 18/10/2023 को आयोजित की गई थी। प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया।

एजेन्डा आइटम क्रमांक-2 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़ की 481वीं एवं 482वीं बैठक क्रमांक दिनांक 11/08/2023 एवं 23/08/2023 की अनुमोदन के अन्तर्गत पर मौल्य/मुख्य खनिजी एवं औद्योगिक परियोजनाओं संबंधी प्रकरणों में निर्णय लिया जाना।

1. मेसर्स नर्मदा मिनरल्स (किन्ना डोलोमाईट स्टोन माईन्स पार्टनर- वी पीएन लाल अग्रवाल), ग्राम-किरना, तहसील-फरिया, जिला-गुनेली (सचिवालय का नक्सा क्रमांक 1451)

ऑनलाईन आवेदन - पूर्व में प्रयोजन नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 57900/2020, दिनांक 31/10/2020 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रयोजन नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 429000/2023, दिनांक 13/08/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईनल ई.आई.ए रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित डोलोमाईट (गैंग खनिज) खदान है। खदान ग्राम-किरना, तहसील-फरिया, जिला-गुनेली स्थित जसरा क्रमांक 488, 479/1, 479/2, 479/3, 480/1, 480/2, 480/3, 480/4, 482/2, 483/2, 483/3, 487/2, 487/3, 487/4, 488/2, 488/3, 489/1, 489/2, 490/1 एवं 490/4, कुल क्षेत्रफल-4.63 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-2,66,212.5 टन प्रतिवर्ष है।

पूर्व में एन.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के डायन क्रमांक 1930 दिनांक 04/02/2021 द्वारा प्रकरण 'बी1' कोटेपरी का होने के कारण मास्ट सलर, पर्यावरण, वन और जलसम्पु परिस्थान संकलन द्वारा अर्देल, 2015 में प्रस्तावित स्टैण्डर्ड टर्म ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम्.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज रिकम्पनिंग इन्फास्ट्रक्चर क्लीयरेंस अन्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2008 में वर्णित सेमी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) जारी किया गया है।

सामस्यातु एच.ई.ए.सी., फलीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 588, दिनांक 18/07/2022 द्वारा पूर्व में एच.ई.ए.सी., फलीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1930 दिनांक 04/02/2021 से जारी टी.ओ.आर. में "आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित कुल 2 खदानें, क्षेत्रफल 7.428 हेक्टेयर है एवं आवेदित खदान (ग्राम-किरना) का रकबा 4.83 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम-किरना) को मिलाकर कुल रकबा 12.068 हेक्टेयर है" के स्थान पर "आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 3 खदानें, क्षेत्रफल 12.245 हेक्टेयर है एवं आवेदित खदान (ग्राम-किरना) का रकबा 4.83 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम-किरना) को मिलाकर कुल रकबा 18.875 हेक्टेयर" हेतु टी.ओ.आर. में संशोधन जारी किया गया।

अनुसार परियोजना प्रस्तावक को एच.ई.ए.सी., फलीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 02/08/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 481वीं बैठक दिनांक 11/08/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री मोहन लाल अग्रवाल, प्रोपराईटर एवं पर्यावरण सलाहकार के रूप में मेसर्स जी.पी.जे.एस. निरार्थ इन्डिया प्राइवेट लिमिटेड, कोरबा जलानगरेड के ओर से सुभी अंजली गचाने उपस्थित हुए। समिति द्वारा नवी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति आई गई:-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:- इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. ग्राम पंचायत का अनुमति प्रमाण पत्र - उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत किरना का दिनांक 07/12/2020 का अनुमति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. उत्खनन योजना - जारी प्लान, इन्शाफरोमेट मैनेजमेंट प्लान एम्ब बकरी क्लीयर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उन संघालक (अ.प्रसा.), जिला-जिलासपुर के ए. ज्ञापन क्रमांक 1372/2/अनि/सोलोमाईट/उ.प. /2020 जिलासपुर, दिनांक 20/10/2020 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (अग्निज शाखा) जिला-मुंगेली बक ज्ञापन क्रमांक/2020/अग्नि-03/2021-22 मुंगेली, दिनांक 22/02/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य 3 खदानें, क्षेत्रफल 12.245 हेक्टेयर है।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं - कार्यालय कलेक्टर (अग्निज शाखा), जिला-मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक/806/अग्नि-03/2020 मुंगेली, दिनांक 29/10/2020 द्वारा जारी ज्ञापन पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे रेललाइन, नहर, भवन, स्कूल, धार्मिक स्थल, मरगट, अस्पताल, पूर, कलवर्ट, बांध, नल-जल योजना, राष्ट्रीय राजमार्ग, आबदी क्षेत्र, अस्पताल, ऐतिहासिक एवं दार्शनिक स्थल आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है। पक्की सड़क 85 मीटर एवं बरसाती नाला 50 मीटर की दूरी पर स्थित है।
6. एल.ओ.आई. का विवरण - एल.ओ.आई. नर्मदा मिनरल्स के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (अग्निज शाखा), जिला-मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक 517/अग्नि 02/न.अ.03/2020-21 मुंगेली, दिनांक 29/07/2020 द्वारा जारी की गई

जिसकी किराया जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक थी। तत्पश्चात् कार्यालय कलेक्टर (वनविज साखा), जिला-मुंगेली के डायन क्रमांक 1898/खलि 02/न. क्र. 03/2020-21 मुंगेली, दिनांक 27/01/2022 द्वारा एल.ओ.आई. में किराया वृद्धि बाबत पत्र जारी किया गया है, जिसकी अवधि 1 वर्ष (अर्थात् दिनांक 27/07/2022) हेतु वैध थी। तदीपरांत एल.ओ.आई. की किराया वृद्धि बाबत न्यायालय संचालक, भीमिडी तथा छनिकर्न, नया रावपुर अटल नगर के पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक 75/2022 द्वारा जारी पारित आदेश दिनांक 25/01/2023 की प्रति प्रस्तुत की गई है जिसके अनुसार "उपरोक्त विवेचना के अन्तर्गत पर पुनरीक्षण प्रकरण स्वीकार करते हुये, यह निर्दिष्ट किया जाता है कि छत्तीसगढ़ गौण निवन्, 2019 के नियम 42(3) परन्तु के तहत उक्त प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त होने उपरांत उल्लंघन पट्टा स्वीकृति की कार्यवाही पूर्ण करने हेतु अतिरिक्त समवायधि प्रदान करते हुए प्रकरण कलेक्टर, जिला मुंगेली को प्रत्यावर्तित किया जाता है।" होता बताया गया है।

7. **पू-स्वामित्व** - पुनि खसरा क्रमांक 485, 479/1, 479/2, 453/3, 487/4, 488/3 व 490/1 श्री मोहन लाल अग्रवाल, खसरा क्रमांक 479/3 श्री वृंक्षित राम, खसरा क्रमांक 482/2 व 488/2 देवसर्ग नर्मदा मिनरल्स, खसरा क्रमांक 487/2 श्रीमती लया अग्रवाल, खसरा क्रमांक 480/1, 480/2, 480/3, 480/4 व 488/2 श्री मनीष कुमार अग्रवाल, खसरा क्रमांक 480/4 श्रीमती पुष्पा अग्रवाल, खसरा क्रमांक 483/2 व 487/3 श्री भागवत प्रसाद एवं खसरा क्रमांक 489/1 श्रीमती श्वेता अग्रवाल के नाम पर है। परखनन हेतु पू-स्वामियों की सहमति पत्र प्रस्तुत किद् कर है।
8. **डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट** - वर्ष 2019 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** - कार्यालय वनमन्त्रालयिकारी मुंगेली, वनमन्डल, जिला-मुंगेली के डायन/वा.क्र./860/2021 मुंगेली, दिनांक 13/04/2021 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की सीमा से 47 कि.मी. की दूरी पर है। साथ ही आवेदित क्षेत्र की सीमा से निकटतम वन्यजीव अभयारण अचानकमार टाईगर रिजर्व की दूरी 47 कि. मी. है।
10. **सहायपूर्ण संरचनाओं की दूरी** - निकटतम आबादी ग्राम-किरवा 355 मीटर, स्कूल ग्राम-किरवा 1.15 कि.मी. एवं अस्पताल साठगांव 5.3 कि.मी. दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 440 मीटर एवं राज्यमार्ग 13.2 कि.मी. दूर है। किरवावा नदी 3.30 कि.मी., सिन्धुवा नाला 50 मीटर एवं तालाब 670 मीटर दूर है।
11. **परिस्थितीकीय/जैवविकिराता संवेदनशील क्षेत्र** - परिवोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय राजान्, अमपालम्ब, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉइण्टेड एरिया, परिस्थितीकीय संवेदनशील क्षेत्र वा घोषित जैवविकिराता क्षेत्र स्थित नहीं होता प्रतिवेदित किया है।
12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** - जिपेलाॅजिकल रिजर्व 32,80,287 टन ग्राईनेबल रिजर्व 17,94,543 एवं टिकडोबल रिजर्व 17,94,818 टन है। सीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उल्लंघन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल

8,145 वर्गमीटर है। खोपन कास्ट सेमी मेकेनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 30 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर एवं माच 14,892.5 घनमीटर है, जिसमें से 2,283 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को सीमा पट्टी (7.5 मीटर उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) में फैलाकर कुशारेपन के लिए उपयोग किया जाएगा। बीच 12,700 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर स्वयं की भूमि खसत क्रमांक 311/1, 313/1, 313/4, 365/2 एवं 479/1 में संरक्षित किया जाएगा। बीच की चौड़ाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। लीज क्षेत्र में खदान स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। जैक हेमर से डिड्रिंग एवं कंट्रोल स्थापित किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का सिंक्रल किया जाएगा। वर्षाजल प्रस्तावित उत्खनन का निचला निम्नानुसार है:-

वर्ष	उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	1,50,040.63	चतुर्थ	1,50,893.75
द्वितीय	1,87,926.56	सप्तम	1,50,800.63
तृतीय	2,00,212.50	अष्टम	1,51,408.25
चतुर्थ	1,89,898.25	नवम	1,51,762.50
पंचम	1,89,500.00	दशम	1,52,332.50

13. जल आपूर्ति - परिवोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 7.5 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैंकर एवं बोरेल के माध्यम से किया जाएगा। इस बाबत ग्राम पंचायत का अनुमति प्रमाण पत्र एवं सेंट्रल प्रांजल बोर्डर ऑथोरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

14. कुशारेपन कार्य - लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में कुल 1,760 नम कुशारेपन किया जाएगा। परिवोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र की चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का 1,600 वर्गमीटर क्षेत्र उत्खनित होने के कारण 7.5 मीटर की पट्टी में 1,300 नम कुशारेपन किया जाएगा, 345 नम कुशारेपन लीज क्षेत्र के निकट सहमति प्राप्त भूमि (खसत क्रमांक 492/1, 492/2, 492/4, 494/1, 494/2 एवं 493) में किया जाएगा एवं 115 नम कुशारेपन नाले (खसरा क्रमांक 399 एवं 404/1) के तर्फ किया जाएगा। परिवोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र की भीतर कुशारेपन के तहत निम्नानुसार कार्य प्रस्तावित है:-

विवरण	प्रथम (रुपये)	द्वितीय (रुपये)	तृतीय (रुपये)	चतुर्थ (रुपये)	पंचम (रुपये)
लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी, लीज क्षेत्र के निकट सहमति प्राप्त भूमि (खसरा क्रमांक - 492/1, 492/2, 492/4, 494/1, 494/2)	1,94,500	17,600	17,600	17,600	17,600
परिषद हेतु शक्ति	1,89,625	-	-	-	-
खाद हेतु शक्ति	88,450	88,450	88,450	88,450	88,450

एच 483/2 404/1) में कुल 1.788 वृक्षा रोपण हेतु	एच कुल गग	सिवाइड रक-रखाव आदि हेतु राशि	1,90,000	90,000	90,000	90,000	90,000
कुल राशि = 14,43,776			8,59,575	1,98,050	1,98,050	1,98,050	1,98,050

18. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में रखरखाव – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी क्षेत्रफल 8,145 वर्गमीटर है, जिसमें से 1,800 वर्गमीटर क्षेत्र 6 मीटर की गहराई तक रखरखाव है। जिसका उल्लेख माईनिंग प्लान में किया गया है।

ऊपर के संदर्भ परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि खनिज निरीक्षक के प्रतियेदन के अनुसार वर्तमान में आवेदित क्षेत्र के दक्षिण-पूर्व दिशा के भाग में खसरा क्रमांक 483/2, 483/3, 489/1 एवं 490/1 रकबा 1 हेक्टेयर क्षेत्र पर दिनांक 30/01/2017 से दिनांक 29/01/2019 की अवधि हेतु हाई-टेक रीक प्रोडक्ट एण्ड अडीनेट लिमिटेड कुर्ली रोड चकवाला अंचेरी (पूर्व) मुंबई को अनुज्ञा पत्र स्वीकृत था। हाई-टेक रीक प्रोडक्ट एण्ड अडीनेट लिमिटेड को खसरा क्रमांक 483/2, 483/3, 489/1 एवं 490/1 रकबा 1 हेक्टेयर क्षेत्र पर जिला सार्वभूमि पर्यावरण रक्षाघात प्राधिकरण जिला मुंगेली के द्वारा पर्यावरण स्वीकृति जारी की गई थी।

उत्तीसगढ़ ग्रीन खनिज नियम 2015 के नियम 8(ख) के तहत खनिज निरीक्षक द्वारा जारी प्रतियेदन के अनुसार हाई-टेक रीक प्रोडक्ट एण्ड अडीनेट लिमिटेड की खदान में 6 मीटर की गहराई बढ़ा होना बताया गया है।

हाई-टेक रीक प्रोडक्ट एण्ड अडीनेट लिमिटेड के द्वारा पूर्व में खसरा क्रमांक 483/2, 483/3, 489/1 एवं 490/1 पर पत्थर खनन किये जाने के कारण वर्तमान में आपके सम्बन्धित आवेदित क्षेत्र के भाग में एक नया दृष्टिगोचर हो रहा है। अतः लीज क्षेत्र में विद्यमान गड्ढे में विष् गए खनन कार्य का वर्तमान में आवेदक मेसर्स बर्नडा मिनरल्स (पार्टनर- श्री मोहन लाल अग्रवाल) से किसी प्रकार के संबंध को बारे में स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया है।

समिति का मत है कि रखरखाव 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का पुनर्स्थापन प्लान (Restoration plan) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में तीन पंक्तियों में पौधों का रोपण कर, पौधों का नामांकन एवं संख्यांकन कर फोटोवाफ्त प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

18. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा ग्रीन बेल्ट माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई हैं। शर्त क्रमांक 5(a)(b) के अनुसार-

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

एक मानक शर्तों के अनुसार माइन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेप्टी ज़ोन में क्लारिफिक किया जाना आवश्यक है।

17. ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण:-

i. जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी – मॉनिटरिंग कार्य 1 अक्टूबर 2021 से 31 दिसम्बर 2021 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 8 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 4 स्थानों पर भू-जल गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 2 स्थलों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 8 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

ii. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पीएम, एसओ₂, एनओ₂ का मान्यता लेवल:-

Concentration level ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) of criteria pollutants			
Criteria Pollutants	Minimum ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Maximum ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	CPCB Standard ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
PM _{2.5}	15	46	60
PM ₁₀	51	73	100
SO ₂	6	27	80
NO ₂	14	38	80

iii. परियोजना स्थल के आसपास जल स्रोतों की गुणवत्ता:- ई.आई.ए. के Chapter Description of environment में दलाई गई टेबल अनुसार क्लोराइड्स, नाइट्रेट्स, कल्चर, कार्बोनेट्स, सेक, आर्सेनिक एवं अन्य स्वाभाविक तत्वों का मान्यता लेवल भारतीय मानक से कम है।

iv. परिवेशीय ध्वनि स्तर:-

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	Minimum dB (A)	Maximum dB (A)	CPCB Standard dB (A)
Day L _{eq}	41.4	55.3	75
Night L _{eq}	37.2	47.2	70

जो एक क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है।

v. एक मॉनिटरिंग कार्य के अतिरिक्त मॉनिटरिंग कार्य 25 नवम्बर 2022 से 10 जनवरी 2023 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 8 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 4 स्थानों पर भू-जल गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 2 स्थलों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 8 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

vi. अतिरिक्त मॉनिटरिंग कार्य के परिणामों अनुसार पीएम, एसओ₂, एनओ₂ का मान्यता लेवल:-

Concentration level ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) of criteria pollutants			
Criteria Pollutants	Minimum ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Maximum ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	CPCB Standard ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
PM _{2.5}	13	42	60
PM ₁₀	50	75	100
SO ₂	7	21	80
NO ₂	13	35	80

vii. अतिरिक्त मॉनिटरिंग कार्य के परिणामों अनुसार परिवेशीय ध्वनि स्तर—

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	Minimum dB (A)	Maximum dB (A)	CPCB Standard dB (A)
Day L_{eq}	42.1	54.2	75
Night L_{eq}	38.2	48.3	70

जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है।

viii. पी.सी.यू. की गणना— भारी वाहनों / मल्टीएक्सल हेवी वाहनों को समाहित करते हुये ट्रेकिंग अजयन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार वर्तमान में 766 पी.सी.यू. प्रतिघंटा एवं की/सी अनुपात (MC ratio) 0.22 है। प्रस्तावित परियोजना उन्नत 88 पी.सी.यू. की वृद्धि होगी। तत्पश्चात् कुल 888 पी.सी.यू. प्रतिघंटा एवं की/सी अनुपात (MC ratio) 0.24 होगी। टी-स्टैशियल/प्रोडक्ट्स के परिवहन हेतु सड़क मार्ग की लोड कैपिंग समस्त निर्धारित मानक (VERY GOOD) के भीतर है।

ix. जी.एल.सी. की गणना— खान् लोडिंग-अनलोडिंग, भारी वाहनों / मल्टीएक्सल हेवी वाहनों के परिवहन को समाहित करते हुये जी.एल.सी. (GLCs) की गणना कर जानकारी प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार PM_{10} का अधिकतम मान $77.08 \mu g/m^3$ है एवं $PM_{2.5}$ का अधिकतम मान $42.10 \mu g/m^3$ है, जो कि निर्धारित भारतीय मानक सीमा से कम है।

x. परियोजना प्रस्तावक द्वारा फ्लोरा (Flora) एवं फौना (Fauna) की जानकारी प्रस्तुत किया गया है।

18. लोक सुनवाई दिनांक 13/10/2022, अलग-अलग 11:00 बजे, स्थान – प्राथमिक सार्व मन्, दरभानगंगा, लखीसाल-बधरिया, जिला-मुंगेरी में संकल्प हुई। लोक सुनवाई प्रस्तावित सदस्य सचिव, जलसंधारण पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रावपुर अदाल नगर, जिला-रायपुर के पत्र दिनांक 17/11/2022 द्वारा प्रेषित किया गया है।

19. जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं—

i. खदान के कारण नू-जल स्तर नीचे जा रहा है, जिससे गर्मियों के दिनों में साख का पानी सूख जाता है। खदान से चार्जिंग के जरिये पानी साख में लाया जाए।

ii. आस पास के गांवों में खदान के कारण खेती में फसल उत्पादन नहीं हो रहा है।

iii. इमारत घर खदान के बिल्कुल नजदीक है।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावकों की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसल्टेंट का कथन निम्नानुसार है—

i. खानन गड्डे में एकत्रित वर्षा जल को अवस्थाकता बढ़ने पर जलता के लिए संचयन कराया जाएगा।

ii. ई.एम.पी. के तहत सुझावों को लिया जाएगा एवं मूल प्रदूषण से बचने के लिए जल का सिंचन किया जाएगा जिससे की फसल उत्पादन प्रभावित न हो।

- ii. लीज क्षेत्र के भीतर एवं लीज क्षेत्र के 200 मीटर के भीतर कोई घर नहीं है।
डी.जी.एन.एस. से पंजीकृत ब्लास्टर द्वारा वैज्ञानिक विधि से निर्धारित विस्फोट
कराया जाएगा। जिससे आस पास के घरों पर असर नहीं पड़ेगा।

20. ब्लास्टर हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान – परियोजना प्रस्तावक द्वारा
बताया गया कि आर्सेनियल खदान को शामिल करते हुए ब्लास्टर में कुल 4 खदानें
आती हैं। आतः ब्लास्टर में शामिल खदानों द्वारा कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट
प्लान प्रस्तुत किया गया है। कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान के तहत निम्न
कार्य प्रस्तावित है:-

विवरण	प्रथम (रुपये)	द्वितीय (रुपये)	तृतीय (रुपये)	चतुर्थ (रुपये)	पंचम (रुपये)
सर्वसाधारण नियंत्रण हेतु परियोजना के दौरान सड़कों/पट्टीय मार्ग से उत्पन्न धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल सिंचनार्थक पट्टीय मार्ग की कुल लम्बाई 480 मीटर	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000
ब्लास्टर पट्टीय मार्ग (1.04 कि. मी.) एवं राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-130 में 1 कि. मी.) के दोनों तरफ (1,360 मग) सूक्ष्मरोपण हेतु	1,49,600	13,600	13,600	13,600	13,600
कॉमिन हेतु रशि	1,38,000	—	—	—	—
खाद हेतु रशि	68,000	68,000	68,000	68,000	68,000
सिंचाई एवं रख-रखाव हेतु रशि	1,90,000	1,90,000	1,90,000	1,90,000	1,90,000
इन्फ्रास्ट्रक्चर नॉनितरियल (Half Yearly)	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000
सड़क/पट्टीय मार्ग के रख-रखाव हेतु	60,400	60,400	60,400	60,400	60,00
हेल्थ चेकअप केम्पा परी विलेजर्स	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
कुल रशि = 28,82,000	8,14,000	8,42,000	8,42,000	8,42,000	8,42,000

कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता
किन्वाधुआर होगी:-

विवरण	प्रथम (रुपये)	द्वितीय (रुपये)	तृतीय (रुपये)	चतुर्थ (रुपये)	पंचम (रुपये)
-------	------------------	--------------------	------------------	-------------------	-----------------

प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सड़कें/पट्टी मार्ग से उत्पन्न धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल सिंक्रलाय, पट्टी मार्ग की कुल लम्बाई 660 मीटर।	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
660 मीटर मार्ग के दोनों तरफ (374 नग) वृक्षारोपण हेतु	1,50,000	75,000	75,000	75,000	75,000
इन्फ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग (Half Yearly)	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000
सड़क/पट्टी मार्ग के रख-रखाव हेतु	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000
हेल्थ चेकअप कंपनी परीर विलेजर्स	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000
कुल राशि = 8,50,000	2,50,000	1,75,000	1,75,000	1,75,000	1,75,000

21. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरोक्त निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
174.15	2%	3.48	Following activities at Village- Kimsa	
			Plantation around village Pond & maintenance for 5 Year	3.79
			Total	3.79

22. सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब के चारों ओर (जामुन एवं आम आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 85 नग वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में 13 नग वृक्षारोपण किया गया है तथा शेष 80 नग पौधों के लिए राशि 12,000 रुपये, पेंसिंग के लिए राशि 12,000 रुपये, खाद के लिए राशि 4,000 रुपये एवं सिंचाई तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 75,000 रुपये इस प्रकार प्रत्येक वर्ष में कुल राशि 1,03,000 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 2,78,000 रुपये हेतु अटकदार व्यवस्था का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत किना के सहमति उपरोक्त उद्योग स्थान (असला क्रमांक 808) के संकेत में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

23. बतवटर हेतु कोमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान तैयार कर समस्त खदानों को एक नक्शे में प्रदर्शित करने हेतु जानकारी प्रस्तुत किया गया है।

24. कलक्टर में जाने वाले समस्त खदानों के लिए तैयार कॉम्पन इन्फ़रमेटेन्ट मेनेजमेंट प्लान हेतु सभी खदानों को ज्वालन एवं देशालन सहित नक्शों में दर्शाते हुए पुनर्विहित कर प्रस्तुत किया गया है।
25. ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के अंदर सेम्टी ज़ोन में 1 मीटर की डीप्थाई तक भंडारित किया जाएगा। क्षेत्र ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर भण्डारित किया जाएगा। इस प्रकार भण्डारित ऊपरी मिट्टी का किसी भी प्रकार का दुरुपयोग न करने, विक्रय न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी का उपयोग पुनर्नवीन हेतु किये जाने, इस प्रकार भण्डारित ऊपरी मिट्टी का निरीक्षणकर्ता/ अधिकारी को उनके निरीक्षण/ छानन के दौरान निरीक्षण कन्ट्रॉल करने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
26. परिशोधन के जिन-जिन स्थलों से फ्लुइडिज इन्स्ट उत्सर्जन होना, उन स्थलों पर नियमित जल विशुद्धता की व्यवस्था किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
27. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सभ्य वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सारवाइवल्स रेट (Survival rate) 80 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
28. छातीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
29. परिशोधन प्रस्तावक द्वारा मिनरल्स कनसेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत कारख़ाड़ी किल्लसों द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
30. परिशोधन प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि खदान से किसी भी प्रकार का दूषित जल (यदि उत्पन्न होता है तो) का प्रवाह किसी भी प्राकृतिक जल स्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किया जाएगा, खदान के संचालन के दौरान तालाब एवं अन्य निकटतम जल निकायों को किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं पहुंचाई जाएगी एवं प्राकृतिक जल स्रोत, नाला, नदी, तालाब के संचालन व संवर्धन हेतु निम्न उपाय किये जाएंगे:-
 - i. आवेदित खदान से किसी भी प्रकार का दूषित जल उत्पन्न नहीं होता है अर्थात किसी भी प्रकार के दूषित जल का प्रवाह किसी भी प्राकृतिक जल स्रोत गई नहीं किया जाएगा।
 - ii. खदान कार्यालय से उत्पन्न धरतु अपशिष्टों के निपटारन के लिए सेंट्रिक टैंक और सीख नहरों प्रदान किये जाएंगे।
 - iii. सतही जल के संचयन के लिए खदान के चारों ओर गारलैंड ड्रेन एवं सेंट्रलिंग टैंक के द्वारा उपचारित करके ही अन्य स्थलों में छोड़ा जावेगा।
 - iv. खदान के अंदर वर्षा द्वारा संचित जल को उपचारित करके आवश्यकतानुसार शानीयों को उपलब्ध कराया जाएगा।
 - v. खदान की कारख़ाड़ी के चारों ओर सभ्य वृक्षारोपण किया जावेगा।
 - vi. वर्षा पानी तालाब के चारों ओर भी सभ्य वृक्षारोपण किया जावेगा।

प्रस्तुत आवेदन में आवेदित स्थल से जलाशय 670 मीटर तथा नहर 1 कि.मी. की दूरी पर है जो कि अतीनागढ़ नील खनिज अधिनियम, 2015 में वर्णित मानक दूरियों से अधिक है। अतः खदान संचालन के दौरान जलवायु विन्दु प्रभाव; से अ के पालन से जलाशय एवं नहर पर प्रभाव को रोका जा सकेगा।

31. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
32. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई वास्तविकता का प्रकरण लंबित नहीं है।
33. लोकसुनवाई के दौरान उठाये गये सफल मुद्दों के निराकरण हेतु किये जाने वाले कार्य सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
34. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 की Common Cause vs. Union of India Writ Petition (C) 114 of 2014 में दि. नए दिना निर्देशों का भेरे द्वारा पालन किया जायेगा।
35. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 की Writ Petition (S) Civil No. 114/2014 Common Cause vs. Union of India & Ors. में दि. नए दिना निर्देशों का भेरे द्वारा पालन किया जायेगा।
36. संयुक्त पर्यावरण प्रबंधन योजना के अनुमोदन के लिए पर्यावरण के माईडलाईन्स के अनुसार क्लस्टर में सम्मिलित सभी आवेदकों के द्वारा पर्यावरण समिति का गठन किया जायेगा जिस पर एक पर्यावरणविद की नियुक्ति कि जायेगी, इस आशय का सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
37. आवेदक द्वारा भूमि स्वामियों के निजी अधिकारों को ध्यान में रखते हुए नियमानुसार निर्धारित मुआवजा तथा रोजगार की प्राथमिकता का अवसर भूमि स्वामियों को उपलब्ध कराया जाएगा। इस आशय का सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
38. स्टाफिंग का कार्य सी.जी.एम.एस. द्वारा अधिभूत लिसेंसहोल्डर लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
39. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि आवेदित स्थल से स्कूल 1.15 कि.मी., अस्पताल 5.3 कि.मी. एवं आबादी क्षेत्र 385 मीटर की दूरी पर है जो कि अतीनागढ़ नील खनिज अधिनियम, 2015 में वर्णित मानक दूरियों से अधिक है। अतः स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में प्रभाव नगण्य होगा। खनन कार्य से स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में होने वाले जन समस्याओं का निराकरण हेतु निम्न उपाय किये जायेंगे—
 - i. खदान के माईन वाउन्ड्री में खनी और सखन कुशांतपण किया जायेगा जिससे स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में प्रभाव नगण्य होगा।

- ii. धूल (डस्ट) के निराकरण के लिए टीकर के द्वारा चाबी का छिड़काव किया जाएगा जिससे स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में प्रभाव नगण्य होगा।
 - iii. हमारे द्वारा खनिज का परिवहन तारबोलिन से करकेर किया जाएगा, जिससे रास्ते में बहने से खनिज न बिरे।
 - iv. हमारे द्वारा बहनों का परिवहन स्कूल एवं आबादी क्षेत्र से होकर नहीं किया जाएगा जिससे स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में परिवहन का प्रभाव नगण्य होगा।
 - v. हमारे द्वारा स्कूल एवं आबादी क्षेत्र में सीमा लगाकर स्वच्छ परीक्षण कराया जाएगा।
 - vi. अध्ययन क्षेत्र में पर्यावरण प्रभाव आकलन रिपोर्ट के AIR MODELING के परिणामों के अनुसार स्टडी क्षेत्र का पार्टिकुल लेवल कन्संट्रेशन CPCB के मानकों के भीतर पाये गये है, अतः आबादी क्षेत्र, स्कूल एवं अस्पताल आदि पर PM-10 का प्रभाव नगण्य होगा।
 - vii. धूल एवं स्पास्टिंग आदि से होने वाले प्रभावों के लिए DGMS के एडिस्टर्ड स्टांटर द्वारा नियमानुसार कम तीव्रता वाले नियमित विस्फोट की तकनीक अपनाकर काम किया जाएगा। जिससे स्पास्टिंग के कारण आबादी क्षेत्र, स्कूल एवं अस्पताल पर पड़ने वाला प्रभाव नगण्य होगा।
 - viii. सड़कों का उचित रखरखाव एवं धूल आदि से मुखा हेतु नियमित जल छिड़काव किया जाएगा, जिससे स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में धूल का प्रभाव नगण्य होगा।
 - ix. अध्ययन क्षेत्र में पर्यावरण प्रभाव आकलन रिपोर्ट के NOISE MODELING के अनुसार अंतर, परिवहन तथा विभिन्न ध्वनि परीक्षण केंद्रों के संयुक्त परिणाम, रात एवं दिन में CPCB के मानकों के भीतर पाये गये है, अतः आबादी क्षेत्र, स्कूल एवं अस्पताल आदि पर प्रभाव नगण्य होगा।
40. जारी टी.ओ.आर. अनुसार परियोजना प्रस्तावक को स्पास्टिंग करव हेतु सी.जी.एम. एस. से अनुमति पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना था, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि बिना लीज एप्लीमेंट के स्पास्टिंग हेतु किये गये आवेदन को सी.जी.एम.एस. द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है। पर्यावरण स्वीकृति मिलने एवं लीज एप्लीमेंट के उपरान्त स्पास्टिंग हेतु सी.जी.एम.एस. से अनुमति लिया जाएगा।
41. नाईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेकुरी जॉन में किये गये उखनन हेतु जांच कर दोषों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु संघालक, संघालकालय, भीमिनी तथा खनिजम, इंदारती भवन, नवा रावपुर अटल नगर, जिला - रावपुर (उत्तीरागढ़) को लेख किया जाना आवश्यक है।
42. सी.ई.आर. करव एवं 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में कुशलपन कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्येक्षण हेतु त्रि-क्षीय समिति (ओपररईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला जहालय या उत्तीरागढ़ पर्यावरण संरक्षण मन्त्राल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में कुशलपन का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरान्त गठित त्रि-क्षीय समिति से सत्यापित बनाया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया—

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज सख्त) जिला-मुंगेरी एवं ज्ञान अकादमी/2000/सति-03/2021-22 मुंगेरी, दिनांक 22/02/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर की भीतर अवस्थित अन्य 3 खदानें, क्षेत्रफल 12.248 हेक्टेयर हैं। आवेदित खदान (ग्राम-किरना) का क्षेत्रफल 4.63 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम-किरना) को मिलाकर कुल क्षेत्रफल 16.878 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण यह खदान की-1 श्रेणी की मानी गयी।
2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (पंचा संशोधित) के प्रावधानों एवं माननीय एन. पी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार क्लस्टर में आने वाली खदानों की उत्खनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले प्रभावों की रोकथाम हेतु क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों को शामिल करते हुए, क्लस्टर हेतु कॉम्प्लेक्स इम्प्लाइमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने तथा क्रियान्वित बनाने हेतु संचालक, संचालनालय, भीमिही तथा खनिकर्मा, इटावती भवन, नया रायपुर अटल नगर, जिला - रायपुर (छत्तीसगढ़) के माध्यम से उपयुक्त कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।
3. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े बोनटी जॉन में किये गये उत्खनन हेतु जांच कर दीर्घ के विरुद्ध कार्यवाही हेतु संचालक, संचालनालय, भीमिही तथा खनिकर्मा, इटावती भवन, नया रायपुर अटल नगर, जिला - रायपुर (छत्तीसगढ़) को लेख किया जाए।
4. उत्खनित 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का पुनर्स्थापन प्लान (Reinstatement plan) एवं 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में तीन परिसरों में पौधों का रोपण कर, पौधों का नामांकन एवं संख्यांकन कर फोटोग्राफ्स को एस्.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों अनुसंधान की जाती है।
5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से आवेदक - मेसर्स नर्मदा निगरान्स (किरना डोलोमाईट स्टोन माईन, पार्टनर- श्री मोहन लाल अग्रवाल) को ग्राम-किरना, लक्ष्मीज-खरिया, जिला-मुंगेरी के खसरा अंक 498, 479/1, 479/2, 479/3, 480/1, 480/2, 480/3, 480/4, 482/2, 483/2, 483/3, 487/2, 487/3, 487/4, 488/2, 488/3, 489/1, 489/2, 490/1 एवं 490/4 में स्थित डोलोमाईट (पीन खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल-4.63 हेक्टेयर, उत्खनन क्षमता-2,00,212 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुमति की गई।

प्रधिकरण द्वारा बैठक में विचार - उपरोक्त प्रकरण पर प्रधिकरण की दिनांक 28/10/2023 को संपन्न 158वीं बैठक में विचार किया गया। प्रधिकरण द्वारा नसी की अवलोकन किया गया। प्रधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया—

1. समिति की अनुमति को स्वीकार करते हुए आवेदक - मेसर्स नर्मदा निगरान्स (किरना डोलोमाईट स्टोन माईन, पार्टनर- श्री मोहन लाल अग्रवाल) को

निम्नानुसार अधिभूत भूखंडों के अतिरिक्त भूखंडों को अतिरिक्त पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय किया गया—

- i. लीज जारी होने के पश्चात् 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में तीन खेतों में पौधों का रोपण कर, पौधों का नामांकन एवं संख्यांकन कर फोटोग्राफ्स आर्थरिस्टिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एच.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।
- ii. सी.ई.आर. के तहत, ई.एन.पी. के तहत तथा 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में किये जाने वाले वृक्षारोपण का सत्यापन वन विभाग के सहाय अधिकारी अथवा वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण के सत्यापन हेतु अधिकृत संस्थाओं (आई.ए.टी.सी.) से अनुमोदन कराकर आर्थरिस्टिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एच.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।
- iii. सी.ई.आर. के अंतर्गत जलाशय के चारों ओर में किये जाने वाले वृक्षारोपण के सत्यापन हेतु डिपार्टमेंट ऑफ वॉटरवर्ल्ड सहित आर्थरिस्टिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एच.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।
- iv. लोकसुखाई के दौरान उत्पन्न गंदे समस्त मृदाओं के निराकरण हेतु किये जाने वाले कार्य की जानकारी/रिपोर्ट आर्थरिस्टिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एच.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।
- v. इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवेलपमेंट प्लान के तहत प्रतिक्रिया किये जाने वाले इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवेलपमेंट कार्य तथा पर्यावरणीय सलाहकार (Environmental Consultant) के नाम सहित जानकारी आर्थरिस्टिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एच.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

सब्सिडी समिति द्वारा निर्दिष्ट किये गये भूखंडों का पालन सुनिश्चित नहीं किये जाने की स्थिति में विधिवत् वैधानिक एवं दस्तावेज कार्यवाही की जाएगी।

2. अधिभूत 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का पुनर्स्थापन प्लान (Restoration plan) प्रस्तुत किये जाने के तुरंत परियोजना प्रस्तावक को सहाय पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।
3. साईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में किये गये उत्खनन हेतु जांच वन पौधों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु संकलक, संचालनालय, भीमिडी तथा खनिकर्न, इंदरावती भवन, नया रायपुर अटल नगर, जिला - रायपुर (छत्तीसगढ़) को लेख किया जाए।
4. साईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन से पर्यावरण को क्षति होने के कारण छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर को निम्नानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को सहाय पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए। सब्सिडी संकलक, संचालनालय, भीमिडी तथा खनिकर्न, इंदरावती भवन, नया रायपुर अटल नगर एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर को पत्र लेख किया जाए।

2. मेसर्स विद्याला विनयला (लमती कोलोन्डाईट स्टोन वाईन्, चार्टरड- श्री मनीष कुमार अग्रवाल), ग्राम-अमठी, तहसील-फरिया, जिला-मुंगेली (सचिवालय का नमती क्रमांक 1483)

ऑनलाईन आवेदन - पूर्व में प्रयोजित नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एम्आईएन/ 57902/2020, दिनांक 21/10/2020 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रयोजित नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एम्आईएन/ 428189/2023, दिनांक 13/08/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित कोलोन्डाईट पत्थर (पीम खनिज) खदान है। खदान ग्राम-लमती, तहसील-फरिया, जिला-मुंगेली स्थित खसरा क्रमांक 42, 79, 83, 84, 85/1, 85/2, 89 शामिल 88, 90, 91/1, 91/2, 92, 93, 94, 95/2, 96, 98/1, 98/2, 99, 100, 101, 102, 103/1, 103/2, 104, 105, 106, 107, 118, 119, 120, 122 एवं 123, कुल क्षेत्रफल-4.819 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-2,01,318.88 टन प्रतिवर्ष है।

पूर्व में एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के डायन क्रमांक 1932, दिनांक 04/02/2021 द्वारा प्रकल्प 'डी' कैटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, सर्वोच्च, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अक्टू, 2018 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ़ रिकरेंस (टी.ओ.आर.) और ई.आई.ए./ई.एम.सी. रिपोर्ट और प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज रिव्यूअरिंग इन्वॉल्वमेंट क्लीयरेंस अफ्थर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2008 में वर्णित सेमी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टी.ओ.आर. (लोक चुनवाई सहित) हेतु टी.ओ.आर. जारी किया गया है।

सम्बन्धित एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के डायन क्रमांक 48, दिनांक 18/04/2022 द्वारा पूर्व में एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के डायन क्रमांक 1932, दिनांक 04/02/2021 से जारी टी.ओ.आर. में 'आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित कुल 2 खदानें, क्षेत्रफल 7.428 हेक्टेयर है एवं आवेदित खदान (ग्राम-लमती) का रकबा 4.819 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम-लमती) को मिलाकर कुल रकबा 12.246 हेक्टेयर है' के स्थान पर 'आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 3 खदानें, क्षेत्रफल-12.058 हेक्टेयर है एवं आवेदित खदान (ग्राम-लमती) का रकबा 4. 819 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम-लमती) को मिलाकर कुल रकबा 16.876 हेक्टेयर' हेतु टी.ओ.आर. में संशोधन जारी किया गया।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के डायन दिनांक 02/08/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 431वीं बैठक दिनांक 11/08/2023

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री अभिषेक अग्रवाल, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए एवं पर्यावरण सलाहकार के रूप में मेसर्स कॉन्सल्टिंग लिमिटेड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, नोएडा, उत्तरप्रदेश की ओर से सुश्री अंजली प्रधान उपस्थित हुए। समिति द्वारा नसी, प्रस्तुत जानकारी का अध्ययन एवं परीक्षण करने का निष्पत्ति फाई नई-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:- इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

2. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत दफ्तरी कार्यालय का दिनांक 10/08/2021 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. उत्खनन योजना – स्वामी प्लान, इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान एम्ब स्वामी कलेक्टर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (ख.प्रशा.) जिला-बिलासपुर के नू. प्रमाण क्रमांक 1373/2/खनि/बीलोनाईट/उ.पी./2020 बिलासपुर, दिनांक 20/10/2020 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-मुंगेली के प्रमाण क्रमांक 1888/खनि-03/2021-22 मुंगेली, दिनांक 22/02/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर की गोल अर्धवृत्त अन्व 3 खदानें क्षेत्रफल 12.856 हेक्टेयर है।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-मुंगेली के प्रमाण क्रमांक /804/खनि-03/2020 मुंगेली, दिनांक 29/10/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, जमताला, स्कूल, पुल, बांध एवं एंटीकॉस्ट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है। राष्ट्रीय राजमार्ग 130 मीटर, रेलवे ट्रैक 130 मीटर एवं बरसाती नाला 50 मीटर की दूरी पर स्थित है।
6. एल.ओ.आर्.डी. का विवरण – एल.ओ.आर्.डी. सीताला निगराला के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-मुंगेली के प्रमाण क्रमांक 512/खनि 02/न.क. 01/2020-21 मुंगेली, दिनांक 29/07/2020 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक थी। तत्पश्चात् कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-मुंगेली के प्रमाण क्रमांक 1895/खनि 02/न. क. 01/2020-21 मुंगेली, दिनांक 27/01/2022 द्वारा एल.ओ.आर्.डी. में वैधता वृद्धि बाबत पत्र जारी किया गया है, जिसकी अवधि 1 वर्ष (अर्थात् दिनांक 27/01/2022) हेतु वैध थी। तदोपरान्त एल.ओ.आर्.डी. की वैधता वृद्धि बाबत न्यायालय संचालक, पंचिमी तथा खनिकर्मा, नवा रायपुर अटल नगर के पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक 78/2022 द्वारा जारी पारित आवेदन दिनांक 25/01/2023 की प्रति प्रस्तुत की गई है जिसके अनुसार "उपरोक्त विवेचना के अन्तर्गत पर पुनरीक्षण प्रकरण स्वीकार करते हुए, यह निर्दिष्ट किया जाता है कि उत्खनन कार्य गौण नियम, 2015 के नियम 42(क) परन्तु के तहत उक्त प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त होने उपरान्त उत्खनन पददा स्वीकृति की कार्यवाही पूर्ण करने हेतु अतिरिक्त सामयावधि प्रदान करते हुए प्रकरण कलेक्टर, जिला मुंगेली को प्रत्यावर्तित किया जाता है।" ऐसा बताया गया है।
7. नू-स्वामित्व – मुनि खसरा क्रमांक 42, 83 व 84 श्री मोहन लाल अग्रवाल एम्ब संस, खसरा क्रमांक 78, 91/1, 103/2 व 123 श्री मोहन लाल अग्रवाल, खसरा क्रमांक 85/1, 93 व 95/2 श्रीमती तथा अग्रवाल, खसरा क्रमांक 88/2, 90, 89, 101, 103/1, 107 व 116 श्री मनीष कुमार अग्रवाल, खसरा क्रमांक 89 शामिल 88 श्री जोगीराम धुव, खसरा क्रमांक 91/2 श्री रामकुमार, खसरा क्रमांक 92, 94, 104, 105 व 106 श्री गोविन्द अग्रवाल, खसरा क्रमांक 96 श्री बरोला प्रसाद, खसरा क्रमांक 98/1 व 122 श्री गोविन्द अग्रवाल एम्ब संस, खसरा क्रमांक 99/2 श्रीमती पुष्पा अग्रवाल, खसरा क्रमांक 100 व 102 श्रीमती रुपा

अवशाल एवं खसरा क्रमांक 119 व 120 की लक्षण, भी जेदु सुभी करि, सुभी मुनीबाई तथा सुभी मुनीबाई के नाम पर है। उत्खनन हेतु नू-स्वामिनी के सखमति पत्र प्रस्तुत किए गए हैं।

8. डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट – वर्ष 2018 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी मुंगेली, वनमण्डल, जिला-मुंगेली के डायन/वा.वि./862/2021 मुंगेली, दिनांक 13/04/2021 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की सीमा से 52 कि.मी. की दूरी पर है। साथ ही आवेदित क्षेत्र की सीमा से निकटतम वनजीव अन्वयण अखनकमार टाईगर रिजर्व की दूरी 47 कि. मी. एवं निकटतम राष्ट्रीय उद्यान कन्हा किताली की दूरी 65 कि.मी. है।
10. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी – निकटतम आबादी ग्राम-लमती 420 मीटर, स्कूल किरवा 1.8 कि.मी. अस्पताल पारणाव 5.9 कि.मी. दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 130 मीटर एवं राज्यमार्ग 12.6 कि.मी. दूर है। किशनगढ़ नदी 2.4 कि.मी., सिंजुवा नाला 50 मीटर एवं तालाब 530 मीटर कि दूरी पर स्थित है।
11. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्विंटिलेरी फॉस्फेट्स एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होने प्रमाणित किया है।
12. खनन संपदा एवं खनन का विवरण – जिपसोलैजिकल रिजर्व 32,91,387 टन साईनेबल रिजर्व 17,23,681 एवं रिकवरेबल रिजर्व 16,37,497 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 8.768 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी सेडेन्टरीज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 30 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर एवं गाज 11,827.5 घनमीटर है। क्षेत्र की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। लीज क्षेत्र में इसार स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। जैक हेमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लॉकिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षाव प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है-

वर्ष	उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	1,50,189.08	षष्ठम	1,37,013.75
द्वितीय	1,98,253.13	सप्तम	1,37,085.00
तृतीय	1,99,820.83	अष्टम	1,38,621.88
चतुर्थ	2,00,390.83	नवम	1,37,888.75
पंचम	2,01,316.88	दशम	1,38,937.50

13. जल आपूर्ति – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 8 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैंकर एवं बोअरवेल के माध्यम से किया जाएगा। इस संबंध में ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं सेंट्रल हाउसिंग अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त वन प्रस्तुत किया गया है।

14. कुआरोपन कार्य – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में कुल 2,045 म² कुआरोपन किया जाएगा। परिषदीय प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का 1,730 वर्गमीटर क्षेत्र उल्लिखित होने के कारण 7.5 मीटर की पट्टी में 1,407 म² कुआरोपन किया जाएगा, 638 म² कुआरोपन लीज क्षेत्र के निकट सहमति प्राप्त भूमि (जिसका क्रमांक 88 शामिल 89, 95/1, 96, 97, 98/2, 124 एवं 126/2) में किया जाएगा। परिषदीय प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के भीतर कुआरोपन के लक्ष्य निम्नानुसार कार्य प्रस्तावित है-

विवरण		प्रथम (रुपये)	द्वितीय (रुपये)	तृतीय (रुपये)	चतुर्थ (रुपये)	पंचम (रुपये)
लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी एवं लीज क्षेत्र के निकट सहमति प्राप्त भूमि (जिसका क्रमांक 88 शामिल 89, 95/1, 96, 97, 98/2, 124 एवं 126/2) में कुल 2,045 म ² कुआरोपन हेतु	कुआरोपन (90 प्रतिशत लीज क्षेत्र हेतु सति)	2,24,900	20,400	20,400	20,400	20,400
	कंसिग हेतु सति	1,70,375	-	-	-	-
	खाद हेतु सति	1,02,250	1,02,250	1,02,250	1,02,250	1,02,250
	सिंचाई, रख-रखाव आवि हेतु सति	1,90,475	90,350	90,350	90,350	90,350
कुल सति = 15,40,000		6,88,000	2,13,000	2,13,000	2,13,000	2,13,000

15. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उल्लिखन – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी क्षेत्रफल 8,768 वर्गमीटर है, जिसमें से 1,730 वर्गमीटर क्षेत्र 6 मीटर की गहराई तक उल्लिखित है। जिसका उल्लेख माइनिंग प्लान में किया गया है।

उक्त के संदर्भ परिषदीय प्रस्तावक का कथन है कि खनिज निरीक्षक के प्रतिवेदन के अनुसार वर्तमान में आवेदित क्षेत्र के मध्य एवं परिधि दिशा के भाग में खसरा क्रमांक 90, 91/1, 91/2, 95/1 एवं 95/2 रकबा 0.8 हेक्टेयर क्षेत्र पर एवं खसरा क्रमांक 94, 99, 100, 101 एवं 102 रकबा 0.950 हेक्टेयर क्षेत्र पर दिनांक 02/02/2017 से दिनांक 01/03/2019 की अवधि हेतु मेसर्स बेक वोन उत्कल (प्रा.प्रा.) लिमिटेड को अनुज्ञा पत्र स्वीकृत था। मेसर्स बेक वोन उत्कल (प्रा.प्रा.) लिमिटेड को खसरा क्रमांक 90, 91/1, 91/2, 95/1 एवं 95/2 रकबा 0.8 हेक्टेयर क्षेत्र पर एवं खसरा क्रमांक 94, 99, 100, 101 एवं 102 रकबा 0.950 हेक्टेयर क्षेत्र पर जिला स्तरीय पर्यावरण सभाबाट अधिकरण जिला मुगेली के द्वारा पर्यावरण स्वीकृति जारी की गई थी।

उत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2016 के नियम 6(ख) के तहत खनिज निरीक्षक द्वारा जारी प्रतिवेदन के अनुसार मेसर्स बेक वोन उत्कल (प्रा.प्रा.) लिमिटेड की खदान में 6 मीटर की गहराई गढ़ा होना बताया गया है।

मेसर्स बैंक ऑन लाइव (जे.पी.) लिमिटेड के द्वारा पूर्व में खसरा क्रमांक 90, 91/1, 91/2, 95/1 एवं 95/2 तथा खसरा क्रमांक 94, 99, 100, 101 एवं 102 पर पत्थर खाना किये जाने के कारण वर्तमान में अपके सभ्य आवेदित क्षेत्र के भाग में एक गह्रा दूधिगोघर हो रहा है। अतः लीज क्षेत्र में विद्यमान गहरे में किए गए खनन कर्तव्य का वर्तमान में आवेदक मेसर्स बिलाल मिन्हास (पार्टीनर- श्री मनीष कुमार अग्रवाल) से किसी प्रकार के संबंध के बारे में स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया है।

समिति का मत है कि वल्लभित 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का पुनर्भरण प्लान (Restoration plan) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में तीन पंक्तियों में पीछी का रोपण कर, पीछी का नामांकन एवं संख्यांकन कर पीटीप्राक्स प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

16. उत्संखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा ग्रीन बेल्ट माईनिंग प्रोपोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई हैं। शर्तें क्रमांक 11(a) के अनुसार:-

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्तों के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेकरी जॉन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

17. ई.आई.ए. रिपोर्ट का विस्तरेषण:-

i. जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जांचकरी - मॉनिटरिंग कार्य : अक्टूबर 2021 से 31 दिसम्बर 2021 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 8 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 4 स्थानों पर भू-जल गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 2 स्थानों पर सातरी जल गुणवत्ता तथा 8 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

- ii. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पीएन, एसओ₂, एसओ_x का साम्द्रण लेवल:-

Concentration level ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) of criteria pollutants			
Criteria Pollutants	Minimum ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Maximum ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	CPCB Standard ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
PM _{2.5}	15	48	80
PM ₁₀	51	73	100
SO ₂	6	27	80
NO ₂	14	38	80

iii. परिवोजना स्थल से आसपास जल स्रोतों की गुणवत्ता:- ई.आई.ए. के Chapter Description of environment में पश्चिमी नदी टेबल अनुसार क्लोरोफिल, नाइट्रेट्स, सल्फर, कल्सीनेट्स, लेड, आर्सेनिक एवं अन्य रसायनिक तत्वों का साम्द्रण लेवल भारतीय मानक से कम है।

- iv. परिवेशीय ध्वनि स्तर:-

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	Minimum dB (A)	Maximum dB (A)	CPCB Standard dB (A)
Day L_{eq}	41.4	55.3	75
Night L_{eq}	37.2	47.2	70

जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है।

- v. एकल मॉनिटरिंग कार्य के अतिरिक्त मॉनिटरिंग कार्य 25 नवम्बर 2022 से 10 जनवरी 2023 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 8 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 4 स्थानों पर सू-जल गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 2 स्थानों पर साहसी जल गुणवत्ता तथा 8 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

- vi. अतिरिक्त मॉनिटरिंग कार्य के परिणामों अनुसार पीएम, एसओ₂, एनओ₂ का मान्यता स्तर-

Concentration level ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) of criteria pollutants			
Criteria Pollutants	Minimum ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Maximum ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	CPCB Standard ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
PM _{2.5}	13	42	60
PM ₁₀	50	75	100
SO ₂	7	21	60
NO ₂	13	35	60

- vii. अतिरिक्त मॉनिटरिंग कार्य के परिणामों अनुसार परिवेशीय ध्वनि स्तर-

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	Minimum dB (A)	Maximum dB (A)	CPCB Standard dB (A)
Day L_{eq}	42.1	54.2	75
Night L_{eq}	38.2	48.3	70

जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है।

- viii. पी.सी.यू. की गणना- भारी वाहनों / मल्टीएक्सल डीवी वाहनों को सम्बन्धित कल्ले हुए ट्रैफिक अवयव रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार वर्तमान में 788 पी.सी.यू. प्रतिघंटा एवं की/सी अनुपात (AVC ratio) 0.22 है। प्रस्तावित परिवर्धना उपरंत 89 पी.सी.यू. की वृद्धि होगी। तत्पश्चात् कुल 888 पी.सी.यू. प्रतिघंटा एवं की/सी अनुपात (AVC ratio) 0.24 होगी। टी-मटेरियल/प्रोडक्ट्स के परिवहन हेतु राइक मार्ग की लोड बरिंग क्षमता निर्धारित मानक (VERY GOOD) के भीतर है।

- ix. जी.एल.सी. की गणना- खान्, लोडिंग-अनलोडिंग, भारी वाहनों / मल्टीएक्सल डीवी वाहनों के परिवहन को सम्बन्धित कल्ले हुए जी.एल.सी. (GLCs) की गणना कर जानकारी प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार PM₁₀ का अधिकतम मान 77.08 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ है एवं PM_{2.5} का अधिकतम मान 42.10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ है, जो कि निर्धारित भारतीय मानक सीमा से कम है।

- x. परिवर्धना प्रस्तावक द्वारा फ्लोरा (Fluora) एवं फीना (Finaura) की जानकारी प्रस्तुत किया गया है।

18. लोक सुनवाई दिनांक 13/10/2022, अपरान्ह 11:00 बजे, स्थान - प्राथमिक शाला भवन, दरभवनकांठा, तहसील-फरिया, जिला-मुंगेरी में सम्पन्न हुई। लोक

सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, उत्तरीसंगड़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा राष्पुल अटल नगर, जिला-राष्पुल के पत्र दिनांक 17/11/2022 द्वारा प्रेषित किया गया है।

19. जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न मुद्दा/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:-

- खदान के कारण भू-जल स्तर नीचे जा रहा है, जिससे गर्मियों के दिनों में खालाब का पानी सूख जाता है। खदान से पानी के जरिये पानी खालाब में लाया जाए।
- आस पास के गांवों में खदान के कारण खेती में फसल उत्पादन नहीं हो रहा है।
- इलाक़ा घर खदान के बिलकुल नजदीक है।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावकों की ओर से उपस्थित इतिमिधि/कॉन्सल्टेंट का कम्पन निम्नानुसार है:-

- खानन गड्ढे में एकत्रित वर्षा जल को अनावकता पड़ने पर खाना के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।
- ई.एम.पी. के तहत पुनर्स्थापन किया जाएगा एवं पूरा प्रदूषण से बचने के लिए जल का छिड़काव किया जाएगा जिससे की फसल उत्पादन प्रभावित न हो।
- लीज क्षेत्र के भीतर एवं लीज क्षेत्र के 200 मीटर के भीतर कोई घर नहीं है। बी.जी.एम.एस. से संबंधित ब्लास्टर द्वारा वैज्ञानिक विधि से निर्धारित विस्फोट कराया जाएगा। जिससे आस पास के घरों पर असर नहीं पड़ेगा।

20. क्लस्टर हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान - परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवेदित खदान की शामिल करने हुए क्लस्टर में कुल 4 खदानें आती हैं। आ. क्लस्टर में शामिल खदानों द्वारा कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है। कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान के तहत निम्न कार्य प्रस्तावित है:-

विवरण	प्रथम (रुपये)	द्वितीय (रुपये)	तृतीय (रुपये)	चतुर्थ (रुपये)	पंचम (रुपये)
प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान गड़कों/पट्टों मार्ग से उत्पन्न भूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव, पट्टों मार्ग की कुल लम्बाई 450 मीटर	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000
क्लस्टर पट्टों मार्ग (1.04 कि. मी.) एवं राष्ट्रीय राजमार्ग	1,49,600	13,600	13,600	13,600	13,600
पुनर्स्थापन (30 इतिहास जीवन दर) हेतु रॉसि	1,36,000	-	-	-	-
राष्ट्रीय राजमार्ग रॉसि हेतु रॉसि	-	-	-	-	-

(अन-130 के 1 कि.मी. के दोन्नों तरफ (1.368 मग) कुशासन हेतु)	साव हेतु राशि	68,000	68,000	68,000	68,000	68,000
	सिवाई एवं रस्ते-रस्ता हेतु राशि	1,90,000	1,90,000	1,90,000	1,90,000	1,90,000
इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट (Half Yearly)		80,000	80,000	80,000	80,000	80,000
सड़क/पट्टीय मार्ग के रस्ते-रस्ता हेतु		60,400	60,400	60,400	60,400	60,000
हेल्थ डेवलपमेंट केम्प परियोजनाएँ		40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
कुल राशि = 29,82,000		8,14,000	8,42,000	8,42,000	8,42,000	8,42,000

कीमन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता निम्नानुसार होगी:-

विवरण	प्रथम (रुपये)	द्वितीय (रुपये)	तृतीय (रुपये)	चतुर्थ (रुपये)	पंचम (रुपये)
अनुषंग निबंधन हेतु परियोजना के दौरान सड़क/पट्टीय मार्ग से उत्पन्न कुल उत्सर्जन के निबंधन हेतु जल सिंचक एवं पट्टीय मार्ग की कुल लम्बाई 582 मीटर।	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000
582 मीटर मार्ग के दोन्नों तरफ (368 मग) कुशासन हेतु	1,58,000	78,000	78,000	78,000	78,000
इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट (Half Yearly)	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000
सड़क / पट्टीय मार्ग के संभरण हेतु	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000
हेल्थ डेवलपमेंट केम्प परियोजनाएँ	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000
कुल राशि = 8,83,000	2,61,000	1,83,000	1,83,000	1,83,000	1,83,000

21. कीर्तित पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा संपन्न निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
102.6	2%	2.052	Following activities at,	

			Village- Lamli
			Plantation around village Pond & maintenance for 5 Year
			2.28
			Total
			2.28

22. सी.ई.आर. के अंतर्गत ताजाब की बारी और (जामुन एवं आम अदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 70 नव वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है, वर्तमान में 10 नव वृक्षारोपण किया गया है तथा शेष 60 नव पीढी के लिए राशि 8,000 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 8,000 रुपये, खाद के लिए राशि 3,000 रुपये एवं सिंचाई तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 32,000 रुपये इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 86,000 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 1,88,000 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत दुरुवन्धवा की सहमति उपरोक्त वृक्षारोपण स्थान (खसरा क्रमांक 237) की संकेत में जानकारी प्रस्तुत की गई है।
23. ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर एवं मात्र 11,027.5 घनमीटर है। जिसमें से 2,487 घनमीटर ऊपरी मिट्टी की सीमा परती (7.5 मीटर ऊखनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) में सैलकन वृक्षारोपण के लिए उपयुक्त किया जाएगा। शेष 8,540.5 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर स्वयं की भूमि (खसरा क्रमांक 18 एवं 22, एकाब 0.401 हेक्टेयर) में संरक्षित किया जाएगा।
24. कलक्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार कर समस्त खदानों को एक नज़र में इत्यर्थात् खनो हुये जानकरी प्रस्तुत किया गया है।
25. कलक्टर में आने वाले समस्त खदानों के लिए तैयार कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान हेतु सभी खदानों को अधांस एवं देशांतर सहित नज़र में दर्शाते हुये पुनर्लेखित कर प्रस्तुत किया गया है।
26. ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के अंदर सेपटी जॉन में 1 मीटर की चौड़ाई तक संरक्षित किया जाएगा। शेष ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर मर्यादित किया जाएगा। इस प्रकार मर्यादित ऊपरी मिट्टी का किसी भी प्रकार का दुरुपयोग न करने, विक्रय न करने एवं अन्य कार्यों में उपयुक्त नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी का उपयुक्त पुनर्स्थापन हेतु विनियोजित जाने, इस प्रकार मर्यादित ऊपरी मिट्टी का निरीक्षणकर्ता/ अधिकारी को उनके निरीक्षण/ प्रमन के दौरान निरीक्षण कराये जाने बाबत सचय पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
27. परियोजना से जिन-जिन स्थलों के फ्लुइडिब डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल सिंकटास की व्यवस्था किये जाने बाबत सचय पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
28. माइनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सचय वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पीढी का सनवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत सचय पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
29. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु सचय पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

30. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल्स कन्सेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत बाउण्ड्री विलर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने वाले शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
31. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि खदान से किसी भी प्रकार का दूषित जल (यदि उत्पन्न होता है तो) का प्रवाह किसी भी प्राकृतिक जल स्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किया जाएगा, खदान के संचालन के दौरान तालाब एवं अन्य निकटस्थ जल निकायों को किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं पहुंचाई जाएगी एवं प्राकृतिक जल स्रोत, नाला, नदी, तालाब को संरक्षण व संवर्धन हेतु निम्न उपाय किये जाएंगे:-
- अवैधित खदान से किसी भी प्रकार का दूषित जल उत्पन्न नहीं होता है अर्थात् किसी भी प्रकार के दूषित जल का प्रवाह किसी भी प्राकृतिक जल स्रोत गई नहीं किया जाएगा।
 - खदान कार्यालय से उत्पन्न धरतू अपशिष्टों के निचटान के लिए सैप्टिक टैंक और संवर्धन गड्ढे प्रदान किये जाएंगे।
 - सारी जल के संवर्धन के लिए खदान के चारों ओर नारसीक ड्रेन एवं सैप्टिक टैंक को द्वारा उपचारित करने हों अन्य स्रोतों में छोड़ा जाएगा।
 - खदान के अंदर वर्षा द्वारा संचित जल को उपचारित करने आवश्यकतानुसार प्राचीनों को उपलब्ध कराया जाएगा।
 - खदान की बाउण्ड्री के चारों ओर स्थल वृक्षारोपण किया जाएगा।
 - जहां संभव तालाब के चारों ओर भी स्थल वृक्षारोपण किया जाएगा।
- उल्लेखित अवैधन में अवैधित स्थल से तालाब 630 मीटर तथा नहर 1 कि.मी. की दूरी पर है जो कि अधीनगत रीज खनिज अधिनियम, 2015 में बर्णित मानक दूरियों से अधिक है। अतः खदान संचालन के दौरान उपरोक्त बिन्दु क्रमांक 1 से 4 के पालन से तालाब एवं नहर पर ध्यान को रखा जा सकेगा।
32. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में ललित नहीं है।
33. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिराज्य का.अ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उत्तराधिकार का प्रकरण ललित नहीं है।
34. लोकमान्यलाई के दौरान उठाने गये समस्त मुद्दों के निराकरण हेतु किये जाने वाले कार्य बाउण्ड्री शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
35. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को Common Cause vs. Union of India Writ Petition (C) 114 of 2014 में दिए गए विरुद्ध निर्देशों का पालन किया जाएगा।
36. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को Writ Petition (S)

Civil No. 114/2014 Common Cause vs. Union of India & Ors. में दिए गए दिशा निर्देशों का मेरे द्वारा पालन किया जाएगा।

37. संयुक्त पर्यावरण प्रबंधन योजना के अनुपालन के लिए पर्यावरण के माईकरोआईन्फ के अनुसार क्लस्टर में सम्मिलित सभी आवेदकों के द्वारा पर्यावरण समिति का गठन किया जाएगा जिस पर एक पर्यावरणविद की नियुक्ति की जाएगी, इस आशय का सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
38. आवेदक द्वारा भूमि स्वामियों के निजी अधिकारों को ध्यान में रखते हुए नियमानुसार निर्धारित कुआरमज्जा तथा रोपणन की प्राथमिकता का अवसर भूमि स्वामियों को उपलब्ध बनाया जाएगा। इस आशय का सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
39. क्लस्टरिंग का कार्य सी.जी.एम.एस. द्वारा अधिपूत विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
40. परीक्षोपजा प्रस्तावक द्वारा सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि आवेदित स्थल से स्कूल 1.50 कि.मी., अस्पताल 5.50 कि.मी. एवं आबादी क्षेत्र 420 मीटर की दूरी पर है जो कि राष्ट्रीय ग्रीन खनिज अधिनियम, 2015 में वर्णित मानक दूरियों से अधिक है। अतः स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में प्रभाव नगण्य होगा। खनन कार्य से स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में होने वाले जन समस्याओं का निराकरण हेतु निम्न उपाय किये जाएंगे:-
 - I. खदान के माईन बारन्ट्री में घाटी ओर सपन वृक्षारोपण किया जाएगा जिससे स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में प्रभाव नगण्य होगा।
 - II. धूल (डस्ट) के निराकरण के लिए टैंकर के द्वारा पानी का छिड़काव किया जाएगा जिससे स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में प्रभाव नगण्य होगा।
 - III. हमारे द्वारा खनिज का परिवहन तारनोलिन से इकठ्ठर किया जाएगा, जिससे रास्ते में धड़न से खनिज ना गिरे।
 - IV. हमारे द्वारा धड़नों का परिवहन स्कूल एवं आबादी क्षेत्र से होकर नहीं किया जाएगा जिससे स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में परिवहन का प्रभाव नगण्य होगा।
 - v. हमारे द्वारा स्कूल एवं आबादी क्षेत्र में वैम्य लगावन स्वास्थ्य परीक्षण बनाया जाएगा।
 - vi. आसपस क्षेत्र में पर्यावरण प्रभाव आकलन रिपोर्ट के AIR MODELING के परिणामों के अनुसार स्टडी क्षेत्र का घाबंड लेवल कन्सट्रेशन CPCB के मानकों के भीतर पाये गये है, अतः आबादी क्षेत्र, स्कूल एवं अस्पताल आदि पर PM-10 का प्रभाव नगण्य होगा।
 - vii. धूल एवं क्लस्टरिंग आदि से होने वाले प्रभावों के लिए DGMS के रजिस्टर्ड क्लस्टर द्वारा नियमानुसार कम तीब्रता वाले निर्धारित विस्फोट की तकनीक अपनाकर काम किया जाएगा। जिससे क्लस्टरिंग के कारण आबादी क्षेत्र, स्कूल एवं अस्पताल पर पड़ने वाला प्रभाव नगण्य होगा।

40. सड़कों का उचित रखरखाव एवं धूल आदि से मुक्ता हेतु नियमित जल फिड़काव किया जावेगा, जिससे स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में धूल का प्रभाव नगण्य होगा।

41. अध्ययन क्षेत्र में पर्यावरण प्रभाव आकलन रिपोर्ट को MOBE MODELING के अनुसार कठोर परिवर्तन तथा विभिन्न ध्वनि परीक्षण सेन्ट्री के संयुक्त परिणाम, रात एवं दिन में 75dB के मानकों के भीतर चढ़े गये हैं, अतः आबादी क्षेत्र, स्कूल एवं अस्पताल आदि पर प्रभाव नगण्य होगा।

42. जारी टी.ओ.आर. अनुसार परिवर्तन प्रस्तावक को स्थापित कार्य हेतु सी.जी.एन.एस. से अनुमति पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना था, जिसके संदर्भ में परिवर्तन प्रस्तावक का कथन है कि बिना लीज एपीमेंट के स्थापित हेतु किये गये आवेदन को सी.जी.एन.एस. द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है। पर्यावरण स्वीकृति मिलने एवं लीज एपीमेंट के उपरांत स्थापित हेतु सी.जी.एन.एस. से अनुमति लिया जाएगा।

43. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेपटी जोन में किये गये उत्खनन हेतु जांच कर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही हेतु संचालक, संचालनालय, भौतिकी तथा खनिकर्म्म, इंदारकी भवन, नया रायपुर अटल नगर, जिला - रायपुर (छत्तीसगढ़) को लेख किया जाना आवश्यक है।

44. सी.ई.आर. कार्य एवं 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (प्रोन्टईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विधान दिनांक उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. कार्यलय कलेक्टर (अभिज साख), जिला-सुर्गली के द्वारा कर्मांक 1889/खलि-03/2021-22 सुर्गली, दिनांक 22/02/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य 3 खदानें, क्षेत्रफल 12.058 हेक्टेयर हैं। आवेदित खदान (ग्राम-लमली) का क्षेत्रफल 4.818 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम-लमली) को मिलाकर कुल क्षेत्रफल 16.875 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिसी में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण यह खदान बी-1 श्रेणी की मानी गयी।

2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (पिछा संशोधित) के प्रावधानों एवं माननीय एन. जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार कलेक्टर में आने वाली खदानों की उत्खनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले प्रभावों की रोकथाम हेतु कलेक्टर में आने वाले कल्पित खदानों को शामिल करके हुए, कलेक्टर हेतु वर्गिन इन्धापरसेमेंट सेनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने तथा क्रियान्वित कानने हेतु संचालक, संचालनालय, भौतिकी तथा खनिकर्म्म, इंदारकी भवन, नया रायपुर अटल नगर, जिला - रायपुर (छत्तीसगढ़) के स्तर से उपयुक्त कार्यवाही किये जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

3. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सीमेंटी जॉन में किचे गवे उत्खनन हेतु जांच वन डेवी के विरुद्ध कार्यवाही हेतु संचालक, संचालनालय, मौजिही तथा अधिष्ठाता, इटावा की मजूर, तथा चम्पूर अदालत नगर, जिला – चम्पूर (अलीसगढ़) को लेख किया जाए।
4. उत्खनित 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का पुनर्गठन प्लान (Restoration plan) एवं 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में तीन पसिलों में पीछों का रोपण कर, पीछों का नामांकन एवं संख्यांकन कर फोटोग्राफ्स को एस.ई.आई.ए.ए., अलीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की माहरी अनुमोदा की जाती है।
5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स शिवला मिनरल्स (जमती कोलोमर्बाईट स्टोन माईन, चार्टरिंग- श्री मनीष कुमार अडवाल्) को ग्राम-जमती, तहसील-ज्वरिया, जिला-मुंगेरी के खसरा क्रमांक 42, 79, 83, 84, 85/1, 85/2, 89 शामिल 88, 90, 91/1, 91/2, 92, 93, 94, 95/2, 96, 98/1, 98/2, 99, 100, 101, 102, 103/1, 103/2, 104, 105, 106, 107, 118, 119, 120, 122 एवं 123 में स्थित कोलोमर्बाईट (नीम खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल-4.819 हेक्टेयर, उत्खनन क्षमता-2,01,318 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुमोदा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकल्प पर प्राधिकरण की दिनांक 25/10/2023 को संभल 15वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा मसौदा का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया—

1. समिति की अनुमोदा को स्वीकार करते हुए आवेदक – मेसर्स शिवला मिनरल्स (जमती कोलोमर्बाईट स्टोन माईन, चार्टरिंग- श्री मनीष कुमार अडवाल्) को निम्नानुसार अतिरिक्त शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया—
 - I. लीज जारी होने के परचाय 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में तीन पसिलों में पीछों का रोपण कर, पीछों का नामांकन एवं संख्यांकन कर फोटोग्राफ्स अवैधानिक रिपोर्ट में समाहित करते हुए एस.ई.आई.ए.ए., अलीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।
 - II. सी.ई.आर. के तहत, ई.एच.सी. के तहत तथा 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में किचे जाने वाले वृक्षारोपण का सत्यापन वन विभाग के सहाय अधिकारी अथवा वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण के सत्यापन हेतु अधिवृत्त संस्थाओं (खेई चार्टी) से अनुमोदन कराकर अवैधानिक रिपोर्ट में समाहित करते हुए एस.ई.आई.ए.ए., अलीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।
 - III. सी.ई.आर. के अंतर्गत लालक के चारों ओर में किचे जाने वाले वृक्षारोपण के सत्यापन हेतु डिपॉजिट फोटोग्राफ्स सहित अवैधानिक रिपोर्ट में समाहित करते हुए एस.ई.आई.ए.ए., अलीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।
 - IV. लोकमुनवाई के दौरान उठाये गये सस्ता कुर्दों के निराकरण हेतु किचे जाने वाले कचरे की जानकारी/रिपोर्ट अवैधानिक रिपोर्ट में समाहित करते हुए एस.ई.आई.ए.ए., अलीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

४. इन्डस्ट्रीयल मैनेजमेंट प्लान के तहत प्रतिवर्ष किये जाने वाले इन्डस्ट्रीयल कॉन्सल्टिंग कार्रवाई तथा पर्यावरणीय सलाहकार (Environmental Consultant) के नाम सहित जानकारी अर्थात् रिपोर्ट में सन्तुष्टि करते हुये एन.ई.आई. ए.ए. उत्तीर्णता को प्रमाणित किया जाए।

साथ ही समिति द्वारा निर्दिष्ट किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित नहीं किये जाने की स्थिति में विधिवत् वैधानिक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

2. एखनित 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का पुनर्गठन प्लान (Restoration plan) प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त परियोजना प्रस्तावक को सख्त पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।
3. एखनन हेतु आवेदित भूमि के भूमि स्वामियों के भूमि से संबंधित समस्त हितों की रक्षा, भारत राष्ट्र के समस्त नियमों के अंतर्गत पालन की जिम्मेदारी परियोजना प्रस्तावक की रहेगी, इस बाबत सख्त पत्र (Notarized undertaking) प्राप्त कर प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त ही परियोजना प्रस्तावक को सख्त पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।
4. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में किये गये एखनन हेतु जांच कर सीमा के विरुद्ध कार्यवाही हेतु संचालक, संचालनालय, भूमिहीन तथा खनिकर्मा, इंदारवाती मकान, नया रावपुर अटल नगर, जिला - रावपुर (उत्तीसगढ़) को लेख किया जाए।
5. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये एखनन से पर्यावरण को क्षति होने के कारण अतीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रावपुर अटल नगर को निपमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को सख्त पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए। साथ ही संचालक, संचालनालय, भूमिहीन तथा खनिकर्मा, इंदारवाती मकान, नया रावपुर अटल नगर एवं उत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रावपुर अटल नगर को पत्र लेख किया जाए।

3. सेतारों काल्हा निगराला (सी- सी मुबेना कुषार कितानी), घाग-जयराजनगर, ताड़तील-मस्तुरी, जिला-बिलासपुर (सचिवालय का नक्का क्रमांक 1479)

ऑनलाइन आवेदन - पूर्व में प्रयोजन नम्बर - एसआईए / सीजी / एमआईएन / 68737 / 2020, दिनांक 30/11/2020 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रयोजन नम्बर - एसआईए / सीजी / एमआईएन / 433183 / 2020, दिनांक 13/06/2020 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित चूना पत्थर (ग्रीन खनिज) खदान है। खदान घाग-जयराजनगर, ताड़तील-मस्तुरी, जिला-बिलासपुर स्थित खसरा क्रमांक 720, 721, 722/8, 733, 734/1, 734/2, 734/5 एवं 734/6, कुल क्षेत्रफल-2.995 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित एखनन क्षमता-40,000.05 टन प्रतिवर्ष है।

पूर्व में एस.ई.ए.सी. उत्तीसगढ़ के द्वारा दिनांक 11/06/2021 द्वारा बकल्प 'बी' कोटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन

संचालक द्वारा अप्रैल, 2018 में प्रकाशित स्टैन्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) और ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट और प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज रिजल्टिंग इन्वायल्वमेंट क्लीयरेंस अम्बड ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2008 में वर्णित सेमी 1(ए) का स्टैन्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) जारी किया गया है।

उपरोक्त परिशोधना प्रस्तावक को एस.ई.ए.पी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 02/08/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 481वीं बैठक दिनांक 11/08/2023

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री कपिलेन्द्र टर्मा, अधिकृत प्रतिनिधि एवं पर्यावरण सलाहकार के तन में मेसर्स कोम्प्रीजेंस रिजार्च इन्डिया प्राइवेट लिमिटेड, मोएडा उल्लरदेश की ओर से सुधी अंजली प्रधान उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति आई गई—

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण— इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. ज्ञान पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र – उत्खनन एवं उत्खार की स्थापना के संबंध में ग्राम पंचायत जयराजपुर का दिनांक 28/11/2018 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. उत्खनन योजना – उक्त योजना प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि प्रशासन), जिला-बलौदाबाजार-भाटापाठ को ज्ञापन क्रमांक 2847/ख.लि./टीन-1/2018 बलौदाबाजार, दिनांक 22/08/2018 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बिलासपुर को ज्ञापन क्रमांक/1738/ख.लि./न.क्र./2020 बिलासपुर, दिनांक 04/12/2020 को अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 5 खदानें, क्षेत्रफल 5.681 हेक्टेयर है।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बिलासपुर को ज्ञापन क्रमांक/2341/ख.लि./न.क्र./2021 बिलासपुर, दिनांक 03/02/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे पार्किंग स्थल, मंदिर, मस्जिद, मठ, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है। पक्की सड़क 128 मीटर की दूरी पर है।
6. भूमि एवं एल.ओ.आई. संबंधी विवरण – भूमि आवेदक के नाम पर है। एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बिलासपुर को ज्ञापन क्रमांक/133/ख.लि./उ.प./2018 बिलासपुर, दिनांक 20/04/2018 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 6 माह की अवधि तक थी। तत्पश्चात् एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि काबज न्यायालय संचालक भौतिकी एवं खनिकर्त, नवा रावपुर अटल नगर के अपील प्रकरण क्रमांक 12/2018 द्वारा जारी पारित आदेश दिनांक 27/08/2020 की प्रति प्रस्तुत की गई है जिसके अनुसार "उपरोक्त विवेचना के आधार पर पुनरीक्षण प्रकरण स्वीकार करते हुए जिला कार्यालय (खनिज शाखा) बिलासपुर के पत्र दिनांक 20/04/2018 द्वारा जारी आदेश पत्र में निर्दिष्ट शर्तों का पालन पुनरीक्षणकर्ता मेसर्स कान्हा मिनरल्स प्रो.

सुबेडा कुमार मिश्राजी, निवासी गुरुनानक चौक लोथवा विला मिलासपुर द्वारा कर लिये जाने की स्थिति में छतरीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एच 8-42/2012/12, दिनांक 28/08/2020 के परिप्रेय में उक्त प्रकरण में निम्नानुसार स्वीकृति आदेश जारी करने हेतु अधिनियम समवायधि प्रदान करते हुए प्रकरण कलेक्टर, विला मिलासपुर को प्रत्यक्षित किया जाता है।" होना बताया गया है।

7. डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट – वर्ष 2019 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति जमादानी की गई है।
8. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा वन विभाग द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र के संकेद में अनुरोध किया गया कि लीज क्षेत्र से लगी हुई अन्य खदान (खैराती सीला रानी सिंह, ग्राम-जयसामनगर, खसरा क्रमांक 252/1, एका 3.5 एकड़) को वन विभाग द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र को ही अवहित प्रकरण हेतु मान्य किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है, जिसके अनुसार कार्यालय वनमण्डलधिकारी मिलासपुर, वनमण्डल, जिला-मिलासपुर के क्षमन/मा.वि./3891 मिलासपुर, दिनांक 24/08/2004 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। उक्त हेतु समिति द्वारा सहायति प्रस्ता की गई।
9. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी – निकटतम आबादी ग्राम-जयसामनगर 500 मीटर, स्कूल ग्राम-जयसामनगर 570 मीटर एवं अस्पताल जयसामनगर 2.10 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 340 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 18 कि.मी. दूर है। लोथामर नदी 4.8 कि.मी., अला नदी 5.6 कि.मी., मौसमी नाला 4.5 कि.मी., तालाब 300 मीटर एवं नहर 210 मीटर दूर है।
10. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिस्टलीय पील्यूटेंट एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिबंधित किया है।
11. खाना संपदा एवं खाना का विवरण – जिबेसीजिकल रिजर्व 4,49,260 टन, नाईनेबल रिजर्व 3,03,314 टन एवं निकलहेक्जल रिजर्व 2,72,682 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 7,054.88 वर्गमीटर है। खाना कास्ट सेमी मेटेनाईज्ड स्थिति से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 7 मीटर है। लीज क्षेत्र में खाने मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है तथा कुल मात्रा 11,012.14 घनमीटर है, जिसमें से 2,274 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को सीमा पट्टी (7.5 मीटर उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) में फैलाकर पुनःस्थापना के लिए उपयोग किया जाएगा, शेष 8,738 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर खनन की भूमि खसरा क्रमांक 743/1 एवं 743/5 में भण्डारित कर संरक्षित रखा जाएगा। बीच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की सम्पत्ति आयु 6 वर्ष है। लीज क्षेत्र में अंतर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है, जिसका क्षेत्रफल 1,251.88 वर्गमीटर है। जैक डैमर से ड्रिलिंग एवं बलमिंटिंग किया जाएगा। खदान में कठु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का सिद्धकाय किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उल्लानन (टन)
प्रथम	49,977.53
द्वितीय	49,999.85
तृतीय	2,477.48
चतुर्थ	2,432.88
पंचम	2,384.53

12. **जल आपूर्ति** – परिवोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 8.5 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति भू-जल के स्रोत से की जाएगी। इस काम में सेंट्रल वाटरवर्क बोर्ड अखीरिटी के अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।
13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी एवं सड़क क्रमांक 743/2, 732 एवं 731/1 में 1,830 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। परिवोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के भीतर पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के तहत निम्नानुसार कार्य प्रस्तावित है:-

विवरण		प्रथम (रुपये)	द्वितीय (रुपये)	तृतीय (रुपये)	चतुर्थ (रुपये)	पंचम (रुपये)
खदान की सारगुटी एवं सड़क क्रमांक 743/2, 732 एवं 731/1 में (1,830 नग) वृक्षारोपण हेतु	वृक्षारोपण हेतु चरि	1,79,300	18,300	18,300	18,300	18,300
	वेनिंग हेतु चरि	1,87,000	—	—	—	—
	खार हेतु चरि	81,500	81,500	81,500	81,500	81,500
	सिंचाई, रख-रखाव आदि हेतु चरि	1,40,000	1,40,000	1,40,000	1,40,000	1,40,000
कुल चरि = 15,19,000		5,87,800	2,37,800	2,37,800	2,37,800	2,37,800

उपरोक्त भूमि पर वृक्षारोपण, वेनिंग व पौधों की रख-रखाव किये जाने वाले कार्य भूमि स्वामियों द्वारा पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

14. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उल्लानन – प्रस्तुतिकरण के दौरान परिवोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी के कुछ भाग में उल्लानन कार्य किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उल्लानन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लंघन है। अतः परिवोजना प्रस्तावक के विरुद्ध जांच उपरोक्त निवमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।
15. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तों जारी की गई है। शर्त क्रमांक 7(a)(c) के अनुसार:-

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्तों के अनुसार माईन लैंज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेपटी जॉन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

10. ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण:-

i. जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी – मॉनिटरिंग कार्य : दिसम्बर 2020 से 28 फरवरी 2021 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 8 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 4 स्थानों पर भू-जल गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 4 स्थलों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 8 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

ii. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पीएन, एसओ₂, एनओ₂ का सांद्रण लेवल:-

Concentration level ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) of criteria pollutants			
Criteria Pollutants	Minimum ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Maximum ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	CPCB Standard ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
PM _{2.5}	20	41	60
PM ₁₀	42	73	100
SO ₂	5	13	80
NO ₂	10	25	80

iii. परिवेशीय स्थल के आसपास जल स्रोतों की गुणवत्ता:- ई.आई.ए. के Chapter-3 Description of environment में दर्शाये गये टैबल अनुसार क्लोराइड्स, नाइट्रेट्स, सल्फर, कार्बोनेट्स, लैंड, आर्सेनिक एवं अन्य रासायनिक तत्वों का सांद्रण लेवल भारतीय मानक से कम है।

iv. परिवेशीय ध्वनि स्तर:-

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	Minimum dB (A)	Maximum dB (A)	CPCB Standard dB (A)
Day L _{eq}	34.4	45.3	75
Night L _{eq}	29.1	36.2	70

जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है।

v. उक्त मॉनिटरिंग कार्य के साक्षात्प हेतु अतिरिक्त मॉनिटरिंग कार्य 28 नवम्बर 2022 से 28 दिसम्बर 2022 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 8 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 4 स्थानों पर भू-जल गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 4 स्थलों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 8 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

vi. अतिरिक्त मॉनिटरिंग कार्य के परिणामों अनुसार पीएन, एसओ₂, एनओ₂ का सांद्रण लेवल:-

Concentration level ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) of criteria pollutants			
Criteria Pollutants	Minimum ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Maximum ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	CPCB Standard ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
PM _{2.5}	21	42	60
PM ₁₀	43	75	100
SO ₂	5	17	80
NO ₂	10	27	80

चं. अतिरिक्त नॉइसिंग कार्ड के परिणामी अनुसार परिवर्तीय ध्वनि स्तर:-

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	Minimum dB (A)	Maximum dB (A)	CPCB Standard dB (A)
Day L_{eq}	35.8	45.5	75
Night L_{eq}	29.4	33.2	70

जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है। नॉइसिंग कार्ड तथा अतिरिक्त नॉइसिंग कार्ड के परिणाम तुलनात्मक रूप से समझ पाये गये।

खं. पी.सी.यू की गणना:- कारी बाइनी / मल्टीएक्सल ईसी बाइनी को सम्बन्धित करते हुये दृष्टिक अव्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार वर्तमान में 222.8 पी.सी.यू प्रतिघंटा एवं बी/सी अनुपात (VOC ratio) 0.037 है। प्रस्तावित परियोजना उपरंत 71.5 पी.सी.यू की वृद्धि होगी। तापस्वात् कुल 294 पी.सी.यू प्रतिघंटा एवं बी/सी अनुपात (VOC ratio) 0.05 होगी। ई-मटेरियल/ड्रोकवर्ल्स के परिवहन हेतु सड़क मार्ग की लोड कैरिंग क्षमता निर्धारित मानक (Excellent) से भीतर है।

क. पी.एस.सी की गणना:-

S No.	Parameters	Baseline at project site ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Predicted GLC ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) Aarmod Model	Total GLC ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
1.	PM_{10}	73	5.87261	78.87
2.	$\text{PM}_{2.5}$	40	3.69	43.69
3.	SO_2	13	2.05	15.05
4.	NO_2	21	1.23	22.23

ख. परियोजना प्रस्तावक द्वारा फ्लोरा (Flora) एवं फौना (Fauna) की जानकारी प्रस्तुत किया गया है।

17. लोक सुनवाई दिनांक 30/09/2022, पूर्वान्त 12:00 बजे, स्थान - जयसमनगर स्टेडियम, जयसमनगर तहसील-मस्तुई, जिला-मिलालपुर में सम्पन्न हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, फ्लोरा/फौना पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रावपुर अटल नगर, जिला-रावपुर के पत्र दिनांक 21/11/2022 द्वारा प्रेषित किया गया है।

18. जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न मुद्दाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:-

1. हमारे घाग में बेरोजगारी बहुत बढ़ चुकी है। छात्रवासी बेरोजगार हो चुके हैं।

2. हमारा खेत खदान के नजदीक में है, 50 एकड़ जमीन बर्बाद हो गया है, मिट्टी को खेत में फेंक देते हैं। सबसे बेजो रीटी मिलेगा कहते हैं पर सब काम तो मशीन से होता है।

3. हमारा खेत खदान से लगा हुआ है। खदान खुलने से आर्षित है। नाली जान हो गया है तथा नाली से मिट्टी निकलवाया जाए।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावकों की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसल्टेंट का कथन निम्नानुसार है:-

1. परीक्षण काल की आवृत्त पुनर्वास एवं रोजगार नीति के अनुसार, खेपटा तथा अनुभव के आधार पर स्थानीय प्राणीयों को परियोजना में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान किया जाएगा।
 2. आवंटित खदान निजी भूमि पर है, आवा-पारा की जमीनों बकर जल में मिट्टी की उर्वर शक्ति, पानी की शुद्धता आदि पर पड़ने वाले प्रभाव के लिए मॉनिटरिंग प्रोग्राम के तहत जीव की जावेगी एवं उचित निराकरण किया जावेगा।
 3. जलप्रवाह को सुचारु रखने के लिए खदान के चारों ओर उचित नाली का निर्माण किया जावेगा।
28. कलस्टर हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान – परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवंटित खदान को शामिल करती हुये कलस्टर में कुल 6 खदानें आती हैं। अतः कलस्टर में शामिल खदानों द्वारा कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है। कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान के तहत निम्न कार्य प्रस्तावित है:-

विवरण	प्रथम (रुपये)	द्वितीय (रुपये)	तृतीय (रुपये)	चतुर्थ (रुपये)	पंचम (रुपये)
प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सड़कों/चट्टी मार्ग से उत्पन्न कुल चलाचलन के नियंत्रण हेतु जल सिंक्रलाज, चट्टी मार्ग की कुल लम्बाई 3.4 कि.मी.	2,88,000	2,88,000	2,88,000	2,88,000	2,88,000
कलस्टर चट्टी मार्ग (3,400 मीटर) के चारों ओर (2,288 वर्ग) कुशासन हेतु	8,93,000	3,28,000	3,28,000	3,28,000	3,28,000
इन्फ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000
सड़कों / चट्टी मार्ग के संचारण हेतु	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000
हेल्थ चेकअप डेम्प	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
कुल राशि = 45,37,000	13,81,000	7,94,000	7,94,000	7,94,000	7,94,000

कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सन्तुष्टि निम्नानुसार होगी:-

विवरण	प्रथम (रुपये)	द्वितीय (रुपये)	तृतीय (रुपये)	चतुर्थ (रुपये)	पंचम (रुपये)
प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000

दीर्घ सड़कों/पहुँच मार्ग के वायुमय धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव, पहुँच मार्ग की कुल लम्बाई 1,175 मीटर।					
इन्फ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
हानि परिटिका के विकास हेतु सामान्य मार्ग के दोनों तरफ (784 नग) वृक्षारोपण हेतु	3,38,000	1,42,000	1,42,000	1,42,000	1,42,000
सड़कों / पहुँच मार्ग के संभारण हेतु	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
होल्ड वेकअप फंड	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
कुल राशि = 13,31,000	4,23,000	2,27,000	2,27,000	2,27,000	2,27,000

20. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परिवोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा करवाते निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
75.37	2%	1.51	Following activities at, Village- Jaiamnagar	
			Plantation around village Pond & maintenance for 5 Year	1.53
			Total	1.53

21. सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब के घाँस और (जामुन एवं आम की विभिन्न प्रजातियों की) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 60 नग पीछों के लिए राशि 8,000 रुपये, कीसिंग के लिए राशि 8,000 रुपये, खाद के लिए राशि 3,000 रुपये एवं सिंचाई तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 26,000 रुपये इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 45,000 रुपये तथा आगामी 4 वर्षों में कुल राशि 1,53,000 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत जयसमनगर के सहमति उपरोक्त तालाब (खसरा क्रमांक 245) के घाँस और वृक्षारोपण के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

22. क्लस्टर हेतु कॉर्पोरेट इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान तैयार कर समस्त खदानों को एक नक्शे में प्रदर्शित करने हेतु जानकारी प्रस्तुत किया गया है।

23. क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों के लिए तैयार कॉर्पोरेट इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान हेतु सभी खदानों को अर्बाइट एवं देशांतर सहित नक्शे में दर्शाते हुए पुनरीक्षित कर प्रस्तुत किया गया है।

24. ऊपरी मिट्टी को लीच क्षेत्र के अंदर सेप्टी जॉन में 1 मीटर की ऊँचाई तक संभारित किया जाएगा। नीचे ऊपरी मिट्टी को लीच क्षेत्र के बाहर भण्डारित

किया जाएगा। इस प्रकार भण्डारित खपती मिट्टी का किसी भी प्रकार का दुरुपयोग न करने, विक्रय न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी का उपयोग पुनःसंचय हेतु किये जाने, इस प्रकार भण्डारित खपती मिट्टी का निरीक्षणकर्ता/ अधिकारी को उनके निरीक्षण/ धमन के दौरान निरीक्षण कराये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

25. ब्लास्टिंग का कार्य डी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
26. माइनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सभ्य कुआरोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सार्वजनिक वेद (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
27. परियोजना से जिन-जिन स्थलों से पयुजिटिव इस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल चिकित्सक की व्यवस्था किये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
28. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल्स कनसेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत बाउण्ड्री निल्लसी द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
29. अतीसमृद्ध आदर्श पुनर्वास नीति के तहत स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
30. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिरूचना क्र.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उत्तरायन का प्रकरण लंबित नहीं है।
31. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि खदान से किसी भी प्रकार का दूषित जल (यदि उत्पन्न होता है तो) का प्रवाह किसी भी प्राकृतिक जल स्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किया जाएगा, खदान के संभालन के दौरान तालाब एवं अन्य निकटताम जल निकायों को किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं पहुंचाई जाएगी एवं प्राकृतिक जल स्रोत, नाला, नदी, तालाब के संभालन व संरक्षण हेतु निम्न उपाय किये जायेंगे—
 - i. अव्यवस्थित खदान से किसी भी प्रकार का दूषित जल उत्पन्न नहीं होता है अर्थात् किसी भी प्रकार के दूषित जल का प्रवाह किसी भी प्राकृतिक जल स्रोत में नहीं किया जायेगा।
 - ii. खदान कार्यालय से उत्पन्न घरेलू अपशिष्टों के निपटारण के लिए सेंट्रिक टैंक और सींच बढ़ते प्रदान किये जायेंगे।
 - iii. सखी जल के संभालन के लिए खदान के चारों ओर गार्सीड ट्रेन एवं सेंट्रल टैंक के द्वारा उपस्थापित करके ही अन्य स्रोत में छोड़ा जायेगा।
 - iv. खदान के अंदर वर्षा द्वारा संचित जल को उपस्थापित करके आवश्यकतानुसार ग्रामीणों को उपलब्ध कराया जायेगा।
 - v. खदान की बाउण्ड्री के चारों ओर सभ्य कुआरोपण किया जायेगा।

ख. क्या समय तालाब के घाटी और भी सफ़्त क़ासरोपण क़िया जावेगा।

असतुत आवेदन में आवेदित स्कूल से तालाब 300 मीटर तथा नहर 210 मीटर की दूरी पर है जो कि अलीबाग़द गीन खनिज अधिनियम, 2015 में वर्णित मानक दूरियों से अधिक है। अतः खदान संघालन के दौरान उपरोक्त बिन्दु क्रमांक (i) से (ख) के पालन से तालाब एवं नहर पर प्रभाव को रोका जाएगा।

12. आवेदक द्वारा भूमि स्वामियों के निजी अधिकारों के ध्यान में रखते हुए नियमानुसार निर्धारित मुआवज़ा तथा रोजगार की प्राथमिकता का अवलन भूमि स्वामियों को उपलब्ध कराया जाएगा। इत आसय का सफ़्त पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत क़िया गया है।

13. परिषीोजना प्रस्तावक द्वारा सफ़्त पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत क़िया गया है कि आवेदित स्कूल से स्कूल 570 मीटर, अस्पताल 3 कि.मी. एवं आबादी क्षेत्र 500 मीटर की दूरी पर है जो कि अलीबाग़द गीन खनिज अधिनियम, 2015 में वर्णित मानक दूरियों से अधिक है। अतः स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में प्रभाव नगण्य होगा। खनन कार्य से स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में होने वाले जन समस्यओं का निराकरण हेतु निम्न उपाय क़िये जादने:-

i. खदान के माईन बाउन्ड्री में घाटी और सफ़्त क़ासरोपण क़िया जावेगा जिससे स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में प्रभाव नगण्य होगा।

ii. घूल (ड्रस्ट) के निराकरण के लिए टैकर के द्वारा पानी का डिडक़ाय क़िया जाएगा जिससे स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में प्रभाव नगण्य होगा।

iii. हमारे द्वारा खनिज का परिवहन लार्परलिन से करवाकर क़िया जावेगा, जिससे रासो में खहन से खनिज ना लिये।

iv. हमारे द्वारा वाहनों का परिवहन स्कूल एवं आबादी क्षेत्र से होकर नहीं क़िया जावेगा जिससे स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में परिवहन का प्रभाव नगण्य होगा।

v. हमारे द्वारा स्कूल एवं आबादी क्षेत्र में डीम्य लगाकर स्वास्थ्य परीक्षण कराया जावेगा।

vi. अवलन क्षेत्र में पर्यावरण प्रभाव आकलन रिपोर्ट के AIR MODELING के परिणामों के अनुसार स्टडी क्षेत्र का प्रारंभ लेवल कन्सट्रैक़न CPCB के मानकों के भीतर पाये गये है, अतः आबादी क्षेत्र, स्कूल एवं अस्पताल आदि पर PM-10 का प्रभाव नगण्य होगा।

vii. घूल एवं खारिंटिंग आदि से होने वाले प्रभावों के लिए DGMS के रजिस्टर्ड प्लास्टर द्वारा नियमानुसार जन तीव्रता वाले नियमित डिस्कोट की तकनीक अपनकर काम क़िया जाएगा। जिससे खारिंटिंग के कारण आबादी क्षेत्र, स्कूल एवं अस्पताल पर पड़ने वाला प्रभाव नगण्य होगा।

viii. सड़कों का उचित रखरखाव एवं घूल आदि से मुक्त हेतु नियमित जल डिडक़ाय क़िया जावेगा, जिससे स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में घूल का प्रभाव नगण्य होगा।

ix. अवलन क्षेत्र में पर्यावरण प्रभाव आकलन रिपोर्ट के NOISE MODELING के अनुसार अन्तर, परिवहन तथा विभिन्न ध्वनि परीक्षण केन्ट्री के सामुल्य

परिणाम, रात एवं दिन में CPMG के मानकों के भीतर पाये गये हैं, अतः आवासी क्षेत्र, स्कूल एवं अस्पताल आदि पर प्रभाव नगण्य होगा।

34. लोकसुनवाई के दौरान उठाये गये समस्त मुद्दों के निराकरण हेतु किये जाने वाले कार्यों काबत सपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
35. संयुक्त पर्यावरण प्रबंधन योजना के अनुपालन के लिए पर्यावरण के सॉईजलाईन्स के अनुसार कलक्टर में सम्मिलित सभी आवेदकों के द्वारा पर्यावरण समिति का गठन किया जायेगा जिसे पर एक पर्यावरणविद की नियुक्ति कि जायेगी, इस आशय का सपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
36. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लखित नहीं है।
37. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि सान्नीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को Common Cause vs. Union of India Writ Petition (C) 114 of 2014 में दिए गए विवा निर्देशों का भंगे द्वारा पालन किया जायेगा।
38. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि सान्नीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को Writ Petition (S) Civil No. 114/2014 Common Cause vs. Union of India & Ors. में दिए गए विवा निर्देशों का भंगे द्वारा पालन किया जायेगा।
39. सी.ई.आर. कार्यों एवं 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में कुआरोपम कार्यों के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या इन्स्टीमगड पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में कुआरोपम का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरान्त गठित त्रि-पक्षीय समिति से सन्वयित कठया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया—

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज सख्य), जिला-बिलासपुर के द्वारा क्रमांक/1738/ख.लि./न.क्र./2020 बिलासपुर, दिनांक 04/12/2020 के अनुसार आवेदित खदान के 500 मीटर के भीतर अवस्थित 5 खदानें, क्षेत्रफल 5.881 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम-जयसामनगर) का क्षेत्रफल 2.925 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम-जयसामनगर) को मिलाकर कुल क्षेत्रफल 8.806 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक होने से कारण यह खदान की-1 क्षेत्र की मानी गयी।
2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और प्रलयानु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (क्या संशोधित) के प्रावधानों एवं माननीय एन. जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार कलक्टर में आने वाली खदानों की उत्खनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले प्रभावों की संकथान हेतु कलक्टर में आने वाले समस्त खदानों को शामिल करते हुए, कलक्टर हेतु कॉमन इन्व्हायस्टमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने तथा क्रियान्वित कराने हेतु संघालक, संघालनालय, भूमिही तथा खनिकर्म, इंडायली भवन, नख रासपुर

अटल नगर, जिला - रायपुर (छत्तीसगढ़) को स्तर से उपयुक्त कार्यवाही किये जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

3. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जॉन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपकारी उपायों (Remedial Measures) के संख्या में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों तथा वृक्षारोपण आदि के किये समुचित उपायों संबंध संघालय, संघालनालय, भौतिकी तथा खनिकर्न, इत्यादी भवन, नया रायपुर अटल नगर, जिला - रायपुर (छत्तीसगढ़) को पत्र लेख किया जाए।
4. प्रातिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अशुद्ध उत्खनन पाये जाने पर जीव उपरांत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संघालय, संघालनालय, भौतिकी तथा खनिकर्न एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।
5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक - मेसर्स कान्हा मिनरल्स (जी.- बी मुंडेरा कुमार खिजनी) को ग्राम-जयतमनगर, तहसील-नस्तुरी, जिला-बिलासपुर के खसरा क्रमांक 720, 721, 722/8, 733, 734/1, 734/2, 734/5 एवं 734/8 में स्थित चूना पत्थर (सीम खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल-2.995 हेक्टर, उत्खनन क्षमता-48,999 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुमति की गई।

प्रतिक्रमण द्वारा बैठक में विचार - उपरोक्त प्रकरण पर प्रतिक्रमण की दिनांक 25/10/2023 को संपन्न 156वीं बैठक में विचार किया गया। प्रतिक्रमण द्वारा नली का अचलोकन किया गया। प्रतिक्रमण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया-

1. समिति की अनुमति की स्वीकार करती हुई आवेदक - मेसर्स कान्हा मिनरल्स (जी.- बी मुंडेरा कुमार खिजनी) को निम्नानुसार अतिरिक्त शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया:-
 - i. सी.ई.आर. के तहत ई.एम.पी. के तहत तथा 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में किये जाने वाले वृक्षारोपण का सत्यापन वन विभाग के सहाय अधिकारी अथवा वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण के सत्यापन हेतु अधिकृत संस्थाओं (आई.ए.सी.ए.ए. से अनुमोदन बनाकर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करती हुई एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।
 - ii. सी.ई.आर. के अंतर्गत सत्यापन के चारों ओर में किये जाने वाले वृक्षारोपण के सत्यापन हेतु डिपॉजिट कोटेशनपत्र सहित अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करती हुई एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।
 - iii. लोकसुनवाई के दौरान उठाये गये समस्त मुद्दों के निराकरण हेतु किये जाने वाले कार्यों की जानकारी/रिपोर्ट अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करती हुई एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।
 - iv. इन्धायरोमेटल मेनेजमेंट प्लान के तहत प्रतिवर्ष किये जाने वाले इन्धायरोमेट मॉनिटरिंग कार्ड तथा पर्यावरणीय सलाहकार (Environmental Consultant)

के नाम सहित जानकारी अर्थात् रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई. ए.ए. छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

साथ ही समिति द्वारा निर्दिष्ट किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित नहीं किये जाने की स्थिति में विभिन्न वैज्ञानिक एवं वन्यजालक कार्यवाही की जाएगी।

2. नाईल लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेम्टी जॉन में किये गये उखनन हेतु जांच कर लेवी के विरुद्ध कार्यवाही हेतु संचालक, संचालनालय, भीमिडी तथा खनिकर्न, इंदरावती भवन, नया रायपुर अटल नगर, जिला - रायपुर (छत्तीसगढ़) को लेख किया जाए।

3. नाईल लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेम्टी जॉन के कुछ भाग में किये गये उखनन से पर्यावरण को क्षति होने के कारण छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।

परिचोचना प्रस्तावक को सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए। साथ ही संचालक, संचालनालय, भीमिडी तथा खनिकर्न, इंदरावती भवन, नया रायपुर अटल नगर एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर को पत्र लेख किया जाए।

4. मेसर्स श्री अरविन्द सोनी (अकलखटा खोलोसाईट नाईल), ग्राम-अकलखटा, तहसील-जैजैपुर, जिला-जांजगीर-बांघा (वर्तमान में जिला-सक्की) (सचिवालय का पता क्रमांक 1428)

ऑनसाईन आवेदन - पूर्व में प्रपोजल नम्बर - एसआईए / सीजी / एमआईएन / 50029 / 2020, दिनांक 22 / 12 / 2020 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर - एसआईए / सीजी / एमआईएन / 432474 / 2023, दिनांक 13 / 08 / 2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईनल ई. आई. ए. रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

प्रस्ताव का विवरण - यह धातु विस्तार का प्रकल्प है। यह पूर्व से संचालित खोलोसाईट (गोम खनिज) खदान है। खदान ग्राम-अकलखटा, तहसील-जैजैपुर, जिला-जांजगीर-बांघा (वर्तमान में जिला-सक्की) निम्न खसरा क्रमांक 1283 / 1, कुल क्षेत्रफल-4.047 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता - 17,500 टन प्रतिवर्ष से 2,49,020 टन प्रतिवर्ष है।

पूर्व में एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के आपन दिनांक 08 / 04 / 2021 द्वारा प्रकल्प 'बी' कंटेनरी का होने के कारण श्रमिक संरक्षण, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2018 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ बिजनेस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज निम्नलिखित इन्वोल्वमेंट क्लीयरेन्स अन्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित सेक्शन 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) जारी किया गया है।

उपानुसार परिचोचना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के आपन दिनांक 02 / 08 / 2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 491वीं बैठक दिनांक 11 / 08 / 2023

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री विजय चौहान, अधिकृत प्रतिनिधि एवं पर्यावरण सलाहकार के रूप में केसरी कॉन्सीजेंट रिसर्च इन्डिया प्राइवेट लिमिटेड, नौराज उत्तरप्रदेश की ओर से सुधी अंजली प्रधाने तयकियत हुए। समिति द्वारा गती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण-

- a. पूर्व में डीसीआईएट खदान खाना क्रमांक 1283/1, कुल क्षेत्रफल-4.047 हेक्टेयर, क्षमता-17,500 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निवारण प्राधिकरण, उत्तीसगढ़ द्वारा दिनांक 18/03/2018 को जारी की गई।
- b. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का चलन प्रतिवेदन हेतु एकिकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर में आवेदन दिनांक 21/09/2022 को किया गया था, जो आज दिनांक तक अप्राप्त है। वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, बिलासपुर के ज्ञापन दिनांक 03/04/2023 द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के चलन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोघाना सहित प्रस्तुत की गई।
- bb. निर्धारित शर्तानुसार कृतारोपण किया गया है।
- bc. कार्यालय कलेक्टर (खनिज सखा), जिला-जंजगीर-बांग के ज्ञापन क्रमांक 2188/ख.सि./2022 जंजगीर, दिनांक 04/08/2022 द्वारा किलत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:-

वर्ष	उत्पादन (टन)
2016-17	11,000
2017-18	15,500
2018-19	15,000
2019-20	16,000
2020-21	15,500
2021-22	17,500

समिति का मत है कि अडिल 2022 से अद्यतन स्थिति तक किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रदानित कनाकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. क्षान पंचायत का अनापति प्रमाण पत्र - क्षान की स्थापना एवं उत्खनन के संबंध में क्षान पंचायत अकलसत का दिनांक 08/08/2008 का अनापति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. उत्खनन योजना - संतोषित क्षारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त संचालक, संचालनालय, भौतिकी तथा खनिकर्म्म, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्रमांक 3812/माईनिंग-2/क्यु.पी./एफ.नं.100/2015 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 09/09/2020 द्वारा अनुमंथित है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज सखा), जिला-जंजगीर-बांग के ज्ञापन क्रमांक /2173/ख.सि./नं.क./2020 जंजगीर,

- दिनांक 18/09/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 1 खदान, क्षेत्रफल 4.469 हेक्टेयर है।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं – कार्यालय कलेक्टर (जनित हाथड़ा), जिला-जांजगीर-बांग के डायन क्रमांक/2174/क.सि./न.क./2020 जांजगीर, दिनांक 18/09/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार एक खदान से 200 मीटर की परिधि में बोर्ड की सार्वजनिक क्षेत्र जैसे शक्ति क्लब, अस्पताल, स्कूल, पुर, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है। बरसाती नाला 50 मीटर दूरी पर है।
 6. भूमि एवं लीज का विवरण – यह सार्वजनिक भूमि है। लीज की अवधि सोनी के नाम पर है। लीज बीड 50 वर्ष अर्थात् दिनांक 20/07/2016 से 19/07/2066 तक की अवधि हेतु है।
 7. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
 8. वन विभाग का अनुमति प्रमाण पत्र – कार्यालय वनमन्त्रालयकारी, जांजगीर-बांग वनमन्त्रालय, बांग के डायन क्रमांक/ मा.सि./ 1366/ 2006/ बांग, दिनांक 13/03/2006 से जारी अनुमति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
 9. महापूरन संरचनाओं की दूरी – निकटतम आसदी घाट-अकलसत 1 कि.मी., स्कूल घाट-अकलसत 750 मीटर एवं अस्पताल अकलसत 1.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 112 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 13.9 कि.मी. दूर है। सोन नदी 8 कि.मी., बोर्ड नदी 8 कि.मी., नहर 4.4 कि.मी. एवं तालाब 1.9 कि.मी. बीसमी नाला 50 मीटर की दूरी पर है।
 10. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सोन, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिबंधित किया है।
 11. खनन संपदा एवं खनन का विवरण – टिथोलेजिकल रिजर्व 29,34,075 टन, माईनेबल रिजर्व 18,86,422 टन एवं रिक्वहेबल रिजर्व 15,82,797 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा मिट्टी (खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 6,870 वर्गमीटर है। खनन कास्ट सेमी मेकनाईज्ड विधि से खनन किया जाता है। खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 30 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है तथा कुल गांजा 14,800 घनमीटर है, जिलने से 2,088 घनमीटर ऊपरी मिट्टी की 7.5 मीटर (माईन काउन्ट्री) क्षेत्र में फैलावन कुशलपन के लिए तथा क्षेत्र 12,742 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को उत्तरी दिशा में नाला एवं आवेदित क्षेत्र के मध्य की सार्वजनिक भूमि में बण्ड बनाने हेतु भण्डारित कर संवेदित रखा जाएगा। क्षेत्र की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। लीज क्षेत्र में प्रखर स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। जैक हेमर से ड्रिलिंग एवं स्टाबिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का सिंक्राय किया जाता है। सर्वेकार प्रस्तावित खनन का विवरण निम्नानुसार है—

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	1,20,770	चतुर्थ	1,58,398
द्वितीय	2,31,921	अंशम	1,40,720
तृतीय	2,49,020	अंशम	1,22,553
चतुर्थ	2,40,470	पंचम	89,751
पंचम	1,90,598	दशम	30,400

12. जल आपूर्ति - परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 8 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति नू-जल के माध्यम से किया जाता है। इस बावजूद सेन्ट्रल प्रायमरी वीटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।
13. कुसारीयन कार्य - लीज क्षेत्र की सीमा में घाटी और 7.5 मीटर की पट्टी में 1.187 मी कुसारीयन किया जाएगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के भीतर पर्यावरणीय प्रदूषण योजना के तहत निम्नानुसार कार्य प्रस्तावित है:-

विवरण		प्रथम (रुपये)	द्वितीय (रुपये)	तृतीय (रुपये)	चतुर्थ (रुपये)	पंचम (रुपये)
खदान की बाउन्ड्री में, (1.187 मी) कुसारीयन हेतु	कुसारीयन हेतु राशि	1,28,300	11,600	11,600	11,600	11,600
	वेसिंग हेतु राशि	87,208	-	-	-	-
	खाल हेतु राशि	58,350	58,350	58,350	58,350	58,350
	सिंचाई, रख-रखाव आदि हेतु राशि	1,40,000	1,40,342	1,40,000	1,40,000	1,40,000
	कुल राशि = 12,64,000	4,23,858	2,10,292	2,09,250	2,09,250	2,09,250

14. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन - लीज क्षेत्र के घाटी और 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

15. ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण-

- i. जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी - मॉनिटरिंग कार्य 22 दिसम्बर 2020 से 31 मार्च 2021 को संचालित किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतराल 8 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 4 स्थानों पर नू-जल गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 4 स्थानों पर सखी जल गुणवत्ता तथा 8 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।
- ii. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पीएम, एसओ₂, एनओ₂ का सांद्रण लेवल:-

Criteria Pollutants	Minimum ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Maximum ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	CPCB Standard ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
PM ₁₀	22	42	60
PM _{2.5}	44	72	100
SO ₂	4	14	80
NO ₂	11	26	80

- iii. परियोजना स्थल के आसपास जल स्रोतों की गुणवत्ता:- ई.आई.ए. के Chapter-3 Description of environment में दशमि मई टेबल अनुसार

क्लोराइड्स, नाइट्रेट्स, सल्फर, कार्बोनेट्स, लोड, आर्सेनिक एवं अन्य रासायनिक तत्वों का सामान्य स्तरल भारतीय मानक से कम है।

iv. परिवेशीय ध्वनि स्तर:-

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	Minimum dB (A)	Maximum dB (A)	CPCB Standard dB (A)
Day L_{eq}	38.7	47.4	75
Night L_{eq}	30.7	38.3	70

जो उक्त स्तर से निर्धारित मानक स्तर से कम है।

v. जी.एल.सी की गणना:-

S No.	Parameters	Baseline at project site ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Predicted QLC ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Total GLC ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
1	PM_{10}	72	5.87251	77.87

16. पी.सी.यू की गणना:- भारी वाहनों / मल्टीएक्सल हेवी वाहनों को समाहित करते हुए ट्रेडिक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार वर्तमान में 284 पी.सी.यू प्रतिघंटा एवं की/सी अनुपात (ATC ratio) 0.044 है। प्रस्तावित परिवर्धना उपरांत 218 पी.सी.यू की वृद्धि होगी। तत्पश्चात् कुल 474 पी.सी.यू प्रतिघंटा एवं की/सी अनुपात (ATC ratio) 0.079 होगी। विचार के उपरांत भी सी-मटेरियल / प्रोडक्ट्स के परिवहन हेतु सड़क मार्ग की लोड कैरिंग क्षमता निर्धारित मानक (Excellent) से भीतर है।

17. परिवर्धना प्रस्तावक द्वारा फ्लोरा (Flora) एवं फौना (Fauna) की जांचवारी प्रस्तुत किया गया है।

18. लोक मुनवाई दिनांक 05/01/2022, प्रातः 11:00 बजे, स्थान - अनुसुचित जनजाति कक्षा आराम अकलगा, विकासखण्ड-जौनपुर, जिला-जौनपुर-घांसा में सम्पन्न हुई। लोक मुनवाई रस्तावेज तदनुषार सचिव, जिला-जौनपुर पर्यावरण संरक्षण मंत्रालय, नया रायपुर अदालत नगर, जिला-रायपुर के पत्र दिनांक 04/04/2022 द्वारा प्रेषित किया गया है।

19. जनमुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न मुद्दाय/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:-

- यहां ध्वनिस्तर के कारण चर्जर निषिद्धि बनी हुई है। सड़क के खराब हो गई है। गणका राई मंदिर का चरता भी काफी खराब हो गया है।
- डोलोमाइट खदान के कारण पूरे गांव में प्रदूषण फैला हुआ है। बच्चों में विभिन्न प्रकार की निमोनिया फैल रही है। जल सार काफी नीचे चला गया है, नहरियां खत्म हो गई है। उस क्षेत्र का पर्यावरण बर्बाद हो रहा है।
- जलसंधन क्षमता बढ़ाने से हमारे गांव के किसानों को अनेक कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। खदानों से खोती बाढ़ी सम्भवा हो रही है।
- पहले खम्हरिया से जगा जंगल था, यहां पर विचार से, जानवर खत्म हो गये हैं। स्टाम्प पेपर में लिखकर दिया गया था कि मैं खदान संचालन नहीं करूंगा। खदान तत्काल बंद होना चाहिए।

लोक सुनवाई के दौरान उठते नये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावकों की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसल्टेंट का कथन निम्नानुसार है:-

- i. छठीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 के अनुसार सतत सार्वजनिक स्थलों से निषेधावली रखी जाती है। अर्थात् छठीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 के अनुसार सतत सार्वजनिक स्थलों से निषेधावली रखी जाती है। अर्थात् छठीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 के अनुसार सतत सार्वजनिक स्थलों से निषेधावली रखी जाती है।
 - ii. प्राकृतिक सतही जल प्रवाह को सुचारु बनाए रखने हेतु पट्टा क्षेत्र के चारों ओर गार्लैंड ड्रेन का निर्माण किया गया है। वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु सड़कों पर नियमित रूप से पानी का छिड़काव कर वायु प्रदूषण को कम किया जाएगा।
 - iii. पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित रखने हेतु चारों ओर वृक्षारोपण किया जा रहा है। चारों ओर संचालन तारबोलिन के अंकन किया जाएगा एवं पर्यावरण निगरानी कार्यक्रम को लागू किया जाएगा।
 - iv. आवेदित भूमि क्षेत्र में अखनन हेतु सभी संबंधित विभागों जैसे खनिज विभाग, पंचायत, राजस्व विभाग, वन विभाग आदि के कानूनसम्मत निषेधावली निरीक्षण के बाद अखनन के तहत अनुमति दी गई है।
20. क्लस्टर हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान – परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवेदित खदान को शामिल करती हुई क्लस्टर में कुल 2 खदानें आती हैं। अतः क्लस्टर में शामिल खदानों द्वारा कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है। कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान के तहत निम्न कार्य प्रस्तावित है:-

विवरण	अवधि (रुपये)	द्वितीय (रुपये)	तृतीय (रुपये)	चतुर्थ (रुपये)	पंचम (रुपये)
प्रदूषण नियंत्रण हेतु परियोजना के दौरान सड़कों/पट्टेय मार्ग से उत्पन्न हुए उत्सर्जन को नियंत्रण हेतु जल छिड़काव पट्टेय मार्ग की कुल लम्बाई 3.750 मीटर	3,60,000	3,60,000	3,60,000	3,60,000	3,60,000
घास सड़क मार्ग (3.75 कि.मी.) के दोनों तरफ (2,500 वर्ग) वृक्षारोपण हेतु					
वृक्षारोपण (30 प्रतिवृक्ष जीवन दर) हेतु राशि	2,75,000	25,000	25,000	25,000	25,000
पेंसिंग हेतु राशि	3,75,000	—	—	—	—
खाद हेतु राशि	1,25,000	1,25,000	1,25,000	1,25,000	1,25,000

	सिंचाई एवं रक्ष-रखाव हेतु राशि	2,80,000	2,80,000	2,80,000	2,80,000	2,80,000
इन्फ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग		98,000	98,000	98,000	98,000	98,000
सड़कें / पहुँच मार्ग के संभारण हेतु		1,00,000	1,00,000	1,00,000	1,00,000	1,00,000
हेल्थ चेकअप कॅम्प		50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
कुल राशि = 58,05,000		16,81,000	10,38,000	10,38,000	10,38,000	10,38,000

कीमत इन्फ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता निम्नानुसार होगी:-

विवरण	प्रथम (रुपये)	द्वितीय (रुपये)	तृतीय (रुपये)	चतुर्थ (रुपये)	पंचम (रुपये)	
प्रारंभिक निवेश हेतु परियोजना के दौरान सड़कें/पहुँच मार्ग से सम्बन्धित कुल ऊपर्युक्त के निवेश हेतु जल संचयन, पहुँच मार्ग की कुल लम्बाई 1,780 मीटर।	1,80,000	1,80,000	1,80,000	1,80,000	1,80,000	
हरियाणा प्रदेश के विकास हेतु राष्ट्रीय सड़क मार्ग के दोषोत्तरक (2.188 मग) प्रारंभिक निवेश हेतु	कुशलतापूर्वक (30 प्रतिशत जीवन दर) हेतु राशि	1,30,400	11,800	11,800	11,800	11,800
	संभारण हेतु राशि	1,77,900	-	-	-	-
	खाद हेतु राशि	59,300	59,300	59,300	59,300	59,300
	सिंचाई एवं रक्ष-रखाव हेतु राशि	1,41,400	1,40,900	1,40,900	1,40,900	1,40,900
इन्फ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग		48,000	48,000	48,000	48,000	48,000
सड़कें / पहुँच मार्ग के संभारण हेतु		48,000	48,000	48,000	48,000	48,000
हेल्थ चेकअप कॅम्प		48,000	48,000	48,000	48,000	48,000
कुल राशि = 29,77,000		8,33,000	5,38,000	5,38,000	5,38,000	5,38,000

21. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय जवाबदारी (C.E.R.) - परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से वर्णन संवर्धित निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
119.72	2%	2.40	Following activities at Village- Akalsara	
			Plantation around village Pond & maintenance for 5 Year	3.27
			Total	3.27

22. सी.ई.आर. के अंतर्गत टालाब के घाटी और (जामुन एवं आम की विभिन्न प्रजातियों की) वृक्षारोपण हेतु प्रस्ताव अनुसार 85 नए पेड़ों के लिए राशि 12,750 रुपये, कंसिंग के लिए राशि 12,750 रुपये, खाद के लिए राशि 4,250 रुपये एवं सिंचाई तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 60,500 रुपये इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 90,250 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 2,37,000 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा आम पंचायत अकलसर के सहमति उत्तरांत टालाब (खसरा क्रमांक 582) के घाटी और वृक्षारोपण के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।
23. ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के अंदर सेपटी ज़ोन में 1 मीटर की ऊंचाई तक संरक्षित किया जाएगा। सेप ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर सम्भारित किया जाएगा। इस प्रकार सम्भारित ऊपरी मिट्टी का किसी भी प्रकार का दुरुपयोग न करने, विक्रय न करने एवं अन्य कार्य में उपयोग नहीं किने जाने एवं इस मिट्टी का उपयोग पुनःप्रयोग हेतु किये जाने, इस प्रकार सम्भारित ऊपरी मिट्टी का निरीक्षणकर्ता/ अधिकारी को उनके निरीक्षण/ प्रथम के दौरान निरीक्षण कराये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
24. स्टास्टिंग का कार्य डी.जी.एम.एल. द्वारा अधिकृत विस्फोटक लाइसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
25. माइनिंग लीज क्षेत्र के अंदर शयन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पेड़ों का सन्नाईवाल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
26. परियोजना से दिन-दिन स्वच्छों से फ्लुजिडिब डस्ट उत्पन्न होगा, उन स्वच्छों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
27. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनेरल्स कनसेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत बाउण्ड्री निल्लरों द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
28. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

29. परिशोधन प्रस्तावक द्वारा समय पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना क्र.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उत्सर्जन का उल्लंघन लक्षित नहीं है।

30. परिशोधन प्रस्तावक द्वारा समय पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि खदान से किसी भी प्रकार का दूषित जल (यदि उत्पन्न होता है तो) का प्रवाह किसी भी प्राकृतिक जल स्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किया जाएगा, खदान के संचालन के दौरान तालाब एवं अन्य निकटतम जल संचयनों को किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं पहुंचाई जाएगी एवं प्राकृतिक जल स्रोत, नाला, नदी, तालाब के संरक्षण व संवर्धन हेतु निम्न उपाय किये जाएंगे:-

- i. आवेदित खदान से किसी भी प्रकार का दूषित जल उत्पन्न नहीं होता है अर्थात् किसी भी प्रकार के दूषित जल का प्रवाह किसी भी प्राकृतिक जल स्रोत में नहीं किया जाएगा।
- ii. खदान कार्यालय से उत्पन्न घरेलू अपशिष्टों के निस्तारण के लिए सेप्टिक टैंक और सोख गड्ढे प्रदान किये जाएंगे।
- iii. सतही जल के संरक्षण के लिए खदान के चारों ओर गारलैंड ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक के द्वारा उपस्थापित करके ही अन्य स्रोतों में छोड़ा जाएगा।
- iv. खदान के अंदर वर्षा द्वारा संचित जल को उपस्थापित करके आवश्यकतानुसार हार्नेषों को उपलब्ध कराया जाएगा।
- v. खदान की बाउण्ड्री के चारों ओर सभ्य वृक्षारोपण किया जाएगा।
- vi. क्या सोख तालाब के चारों ओर भी सभ्य वृक्षारोपण किया जाएगा।

प्रस्तुत आवेदन में आवेदित स्थल से तालाब 1.9 कि.मी. तथा नहर 1 कि.मी. की दूरी पर है जो कि छत्तीसगढ़ नीम खनिज अधिनियम, 2015 में वर्णित मानक दूरियों से अधिक है। अतः खदान संचालन के दौरान उपरोक्त बिन्दु क्रमांक (i) से (vi) के धारण से तालाब एवं नहर पर प्रभाव को रोका जा सकेगा।

31. आवेदक द्वारा भूमि स्वामियों के निजी अधिकारों को ध्यान में रखते हुए नियमानुसार निर्धारित मुआवजा तथा रोजगार की प्राथमिकता का अवसर भूमि स्वामियों को उपलब्ध कराया जाएगा। इस आशय का समय पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

32. परिशोधन प्रस्तावक द्वारा समय पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि आवेदित स्थल से स्कूल 740 मीटर, अस्पताल 15 कि.मी. एवं आबादी क्षेत्र 1 कि.मी. की दूरी पर है जो कि छत्तीसगढ़ नीम खनिज अधिनियम, 2015 में वर्णित मानक दूरियों से अधिक है। अतः स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में प्रभाव नगण्य होगा। खनन कार्य से स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में होने वाले जन समस्याओं का निराकरण हेतु निम्न उपाय किये जाएंगे:-

- i. खदान के माईन बाउण्ड्री में चारों ओर सभ्य वृक्षारोपण किया जाएगा जिससे स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में प्रभाव नगण्य होगा।
- ii. धूल (डस्ट) के निराकरण के लिए टैंकर के द्वारा पानी का छिड़काव किया जाएगा जिससे स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में प्रभाव नगण्य होगा।

- ii. हमारे द्वारा खनिज का परिवहन तालपट्टिन से प्रकल्प किया जायेगा, जिससे चमो में बाढ़न से खनिज या गिरे।
 - iv. हमारे द्वारा बाढ़नी का परिवहन स्कूल एवं आबादी क्षेत्र से होकर नहीं किया जायेगा जिससे स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में परिवहन का प्रभाव नगण्य होगा।
 - v. हमारे द्वारा स्कूल एवं आबादी क्षेत्र में बीम्प लगाकर स्वास्थ्य परीक्षण कराया जायेगा।
 - vi. अध्ययन क्षेत्र में पर्यावरण प्रभाव आकलन रिपोर्ट के AIR MODELING के परिणामी के अनुसार स्टडी क्षेत्र का एअरब लेवल कन्सट्रेंटेशन CPCB के मानकों के भीतर पाये गये है, अतः आबादी क्षेत्र, स्कूल एवं अस्पताल आदि पर PM-10 का प्रभाव नगण्य होगा।
 - vii. धूल एवं ध्वान्तिंग आदि से होने वाले प्रभावों के लिए O&MS के रजिस्टर्ड क्लास्टर द्वारा नियमानुसार कम तीव्रता वाले निवृत्त डिस्क्रीट की तकनीक अपनाकर कम किया जाएगा। जिससे ध्वान्तिंग के कारण आबादी क्षेत्र, स्कूल एवं अस्पताल पर पड़ने वाला प्रभाव नगण्य होगा।
 - viii. सड़कों का उचित रखरखाव एवं धूल आदि से मुक्ता हेतु निवृत्त जल छिड़काव किया जायेगा, जिससे स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में धूल का प्रभाव नगण्य होगा।
 - ix. अध्ययन क्षेत्र में पर्यावरण प्रभाव आकलन रिपोर्ट के NOISE MODELING के अनुसार ऊसर, परिवहन तथा विभिन्न ध्वनि परीक्षण सेन्टी के संकुल परिवार, रात एवं दिन में CPCB के मानकों के भीतर पाये गये है, अतः आबादी क्षेत्र, स्कूल एवं अस्पताल आदि पर प्रभाव नगण्य होगा।
33. लोकमान्यबाई के दौरान उठाये गये कलसत मुद्दों के निराकरण हेतु शिदे जाने वाले कार्य बाक्य शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
 34. संकुल पर्यावरण प्रबंधन योजना के अनुपालन के लिए पर्यावरण के माईकलड्रैन्स के अनुसार क्लस्टर में स्थापित सभी आवेदकों के द्वारा पर्यावरण समिति का गठन किया जायेगा जिस पर एक पर्यावरणविद की नियुक्ति कि जायेगी, इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
 35. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकल्प देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लक्षित नहीं है।
 36. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि नाननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को Common Cause vs. Union of India Writ Petition (C) 114 of 2014 में दिए गए विज्ञा निर्देशों का भेरे द्वारा पालन किया जायेगा।
 37. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि नाननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को Writ Petition (S) Civil No. 114/2014 Common Cause vs. Union of India & Ora. में दिए गए विज्ञा निर्देशों का भेरे द्वारा पालन किया जायेगा।

38. सी.ई.आर. कार्य एवं 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में कृषारीपण कार्य के नॉटिफरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (प्रोफेसर्स/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन वा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में कृषारीपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरान्त गठित त्रि-पक्षीय समिति से सलघापित करवाया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया—

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-जांजगीर-बांग के प्राचल क्रमांक/2173/ख.नि./न.क./2020 जांजगीर दिनांक 18/09/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 1 खदान, क्षेत्रफल 4.489 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (डान-अकलसरा) का क्षेत्रफल 4.047 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम-अकलसरा) को मिलाकर कुल क्षेत्रफल 8.536 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 6 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण यह खदान बी-1 श्रेणी की गयी।
2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए अधिनियम, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों एवं माननीय एन. जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार कलेक्टर में आने वाली खदानों की पर्यावरण गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले प्रभावों की रोकथाम हेतु कलेक्टर में आने वाले समस्त खदानों को शामिल करते हुए, कलेक्टर हेतु कॉमन इम्प्याक्टमेंट स्टेटेमेंट प्लान तैयार किये जाने तथा क्रियान्वित करने हेतु संचालक, संचालनालय, भूमिहीन तथा खनिकर्त्त, इंदारकी मदन, नया रायपुर अटल नगर, जिला - रायपुर (छत्तीसगढ़) के स्तर से उपयुक्त कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।
3. अप्रैल 2022 से अद्यतन तिथि तक किंग् पार् उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जांचकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करताकर एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्त अनुशंसा की जाती है।
4. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से आवेदक - मेसर्स श्री अरविन्द सोनी (अकलसरा डोलोमाईट माईनिंग) को डान-अकलसरा, ताहरील-जैजैपुर, जिला-जांजगीर-बांग (वर्तमान में जिला-रायपुर) के खसरा क्रमांक 1283/1 में स्थित डोलोमाईट (शील खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल-4.047 हेक्टेयर, उत्खनन क्षमता-17,500 टन प्रतिवर्ष से 2,48,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार - उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 25/10/2023 की संख्या 158वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा सभी का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया—

1. समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुए आवेदक - मेसर्स श्री अरविन्द सोनी (अकलसरा डोलोमाईट माईनिंग) को निम्नानुसार अतिरिक्त शर्तों से अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया—

1. सी.ई.आर. के तहत, ई.एम.पी. के तहत तथा 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में किये जाने वाले कृषायोग्यता का सत्यापन वन विभाग के सहाय अधिकारी अथवा वन विभाग द्वारा कृषानोपयोग के सत्यापन हेतु अधिवृत्त संस्थाओं (आई.ए.सी.) से अनुमोदन कराकर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करने हेतु एस.ई.आई.ए.ए. अतीसंग्रह को प्रेषित किया जाए।
2. सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब के चारों ओर में किये जाने वाले कृषायोग्यता के सत्यापन हेतु विद्योदय फोटोग्राफर सहित अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करने हेतु एस.ई.आई.ए.ए. अतीसंग्रह को प्रेषित किया जाए।
3. लोकसुलवाई के दौरान उदात्त एवं समस्त मुद्दों के निराकरण हेतु किये जाने वाले कर्तव्यों की जानकारी/रिपोर्ट अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करने हेतु एस.ई.आई.ए.ए. अतीसंग्रह को प्रेषित किया जाए।
4. इन्फार्मेटिव वेबसाइट प्लान के तहत प्रतिवर्ष किये जाने वाले इन्फार्मेटिव मॉनिटरिंग कार्य तथा पर्यावरणीय सलाहकार (Environmental Consultant) के नाम सहित जानकारी अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करने हेतु एस.ई.आई.ए.ए. अतीसंग्रह को प्रेषित किया जाए।

सब ही समिति द्वारा निहित किये गये कर्तव्यों का पालन सुनिश्चित नहीं किये जाने की स्थिति में विधिवत् वैधानिक एवं दम्भसमक कार्यवाही की जाएगी।

2. अप्रैल 2023 से अद्यतन स्थिति तक किंग्फिशर उत्खनन की वार्षिक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर (पूर्व जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की उत्पादन क्षमता से अधिक नहीं होने की दृष्टिकोण) प्रस्तुत किये जाने की उपरोक्त परियोजना प्रस्तावक को सख्त पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को सख्त पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

5. मेहराई कोरिया स्टोन क्वार (डोभापानी आर्बिटीरी स्टोन माईनिंग प्रो.- श्रीमती शोभा चौधरी), ग्राम-डोभापानी, तहसील-बैकुण्ठपुर, जिला-कोरिया (सचिवालय का पत्ता क्रमांक 2513)

ऑनलाइन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 432560/2023, दिनांक 11 /08/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संचालित सञ्चारण फथर (सील खनिज) खदान है। खदान ग्राम-डोभापानी, तहसील-बैकुण्ठपुर, जिला-कोरिया स्थित खदान क्रमांक 432, कुल क्षेत्रफल-1.22 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-9,266.87 टन प्रतिवर्ष है।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. अतीसंग्रह के ज्ञापन दिनांक 02/08/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 481वीं बैठक दिनांक 11 /08 /2023

प्रस्तुतीकरण हेतु भी आकाश चौदह, अधिसूक्त प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा जारी, प्रस्तुत जानकारी का अद्यतन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई—

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण—

- a. पूर्व में जारी पत्रार आदान करण क्रमांक 432, कुल क्षेत्रफल—1.32 हेक्टर, क्षमता—8,268.67 टन (3,488.14 घनमीटर) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण स्नायात निर्धारण प्राधिकरण, जिला—कोरिया द्वारा दिनांक 01/08/2018 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 8 वर्ष की अवधि तक वैध थी।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार—

"SA, Notwithstanding anything contained in this notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 29/03/2024 तक वैध होगी।

- b. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी शोर्टटर्मनल सहित प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिबन्ध प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

- aa. कार्यालय कलेक्टर (अग्नि शक्ति) बैकुण्ठपुर, जिला—कोरिया के आदेश क्रमांक 247/अग्निज/उ.प./2023 कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 28/01/2023 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उल्लंघन की जानकारी निम्नानुसार है—

वर्ष	उल्लंघन (घनमीटर में)
2018	69
2019	321
2020	248
2021	252
2022	813

समिति का मत है कि दिनांक 01/01/2023 से अद्यतन स्थिति तक किए गए उल्लंघन की वार्षिक मात्रा की जानकारी अग्निज विभाग से प्राप्तित कनाकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. घास पंखावत का अनुपलब्ध प्रमाण पत्र — उल्लंघन से संबंध में घास पंखावत जानकारी का दिनांक 08/12/2011 का अनुपलब्ध प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. उत्खनन योजना – जारी सीमा इन्फार्मेटिफ मैनेजमेंट प्लान एन्ड जारी कलेक्टर सीमा प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अखिलरी, जिला-बलरामपुर-रा. राज के द्वारा क्रमांक 4185/खनिज/2018 बलरामपुर, दिनांक 23/02/2018 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) बैकुण्ठपुर, जिला-कोरिया के द्वारा क्रमांक 748/खनिज/उ.प./2023 कोरिया, बैकुण्ठपुर, दिनांक 25/01/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) बैकुण्ठपुर, जिला-कोरिया के द्वारा क्रमांक 748/खनिज/उ.प./2023 कोरिया, बैकुण्ठपुर, दिनांक 25/01/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मठ, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल संचयन आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. भूमि एवं सीज का विवरण – यह राजासीय भूमि है। सीज सीमा सीमा चौकड़ा के नाम पर है। सीज सीज 5 वर्ष अर्थात् दिनांक 31/01/2013 से 30/01/2018 तक वैध थी। तत्पश्चात् सीज सीज 25 वर्ष अर्थात् दिनांक 31/01/2018 से 30/01/2043 तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई है।
7. डिस्ट्रीक्ट बुरी रिपोर्ट – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट बुरी रिपोर्ट (District Burwy Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र – कार्यालय वनस्पतारिकाली, कोरिया वनस्पतार, जिला-बैकुण्ठपुर के द्वारा क्रमांक/स.क./808 बैकुण्ठपुर, दिनांक 24/02/2023 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की सीमा से 823 मीटर दूर है।
9. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी – निकटतम आबादी ग्राम-डोमामानी 500 मीटर, स्कूल ग्राम-डोमामानी 950 मीटर एवं अस्पताल बैकुण्ठपुर 10.7 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 10.85 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 19 कि.मी. दूर है। गेज नदी 800 मीटर, खलाब 880 मीटर, नहर 3.06 कि.मी. एवं बीसवी नाला 1.38 कि.मी. दूर है।
10. पारिस्थितिकीय/जैवविकिसता संवेदनशील क्षेत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अन्वयण, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित किरिकली पॉल्स्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविकिसता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिबंधित किया है।
11. खनन संघदा एवं खनन का विवरण – पूर्व में जियोलाजिकल रिजर्व 88,773.50 घनमीटर, माईनेबल रिजर्व 35,545.40 घनमीटर एवं रिक्वारेबल रिजर्व 34,890.83 घनमीटर था। वर्तमान में जियोलाजिकल रिजर्व 83,883.50 घनमीटर, माईनेबल रिजर्व 38,855.40 घनमीटर एवं रिक्वारेबल रिजर्व 32,899.83 घनमीटर है। सीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा चट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 4,203.75 वर्गमीटर है। औपन क्वार्ट सीमा मैकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 6 मीटर है।

लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर तथा कुल मात्रा 3,732.08 घनमीटर है। जिसमें से 1,474 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को 7.5 मीटर (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) क्षेत्र में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए तथा शेष 2,258 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को सड़कति प्रयाग भूमि (जिसका क्षेत्रफल 432, रकबा 3,400 वर्गमीटर क्षेत्र) में संरक्षित किया जायेगा। शेष की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की स्थापित आयु 10 वर्ष है। लीज क्षेत्र में खतरा स्थापित नहीं है, एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं है। जैक हेमल से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल स्थापित किया जाता है। वर्षावन प्रस्तापित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तापित उत्खनन (घनमीटर)	वर्ष	प्रस्तापित उत्खनन (घनमीटर)
प्रथम	3,489.05	छठम	3,489.23
द्वितीय	3,489.05	सप्तम	3,489.23
तृतीय	3,489.05	अष्टम	3,489.23
चतुर्थ	3,489.05	नवम	3,489.23
पंचम	3,489.01	दशम	3,489.57

12. **जल आपूर्ति** - परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 8 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति पृ-जल के माध्यम से किया जाएगा। इस संबंध में नट्टल प्राथमिक वॉटर अथॉरिटी का अनुरोध प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
13. **वृक्षारोपण कार्य** - लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में कुल 834 नम वृक्षारोपण किया जाना है। जिनमें से 680 नम वृक्षारोपण किया जा चुका है। अतः लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में शेष 154 नम वृक्षारोपण किया जाएगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के भीतर पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के तहत निम्नानुसार कार्य प्रस्तापित है:-

विवरण	प्रथम (रुपये)	द्वितीय (रुपये)	तृतीय (रुपये)	चतुर्थ (रुपये)	पंचम (रुपये)	
प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सड़कों/पट्टीय मार्ग से उत्पन्न धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	
खदान के बाउण्ड्री में (154 नम) वृक्षारोपण हेतु	वृक्षारोपण हेतु राशि	18,400	-	-	-	-
	कोरिंग हेतु राशि	70,000	-	-	-	-
	खाद हेतु राशि	41,700	41,700	41,700	41,700	41,700
	सिंचाई, रक-रखाव आदि हेतु राशि	1,55,000	1,50,000	1,50,000	1,50,000	1,50,000
कुल राशि = 13,51,000	3,35,100	2,41,700	2,41,700	2,41,700	2,41,700	

14. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन - लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।
15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** - परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरोक्त निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
12.12	2%	0.24	Following activities at, Village- Dobhapani	
			Plantation around Pond	0.48
			Total	0.48

16. सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब के चारों तरफ (आम, जामुन एवं कटहल) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 12 नव पीछों के लिए राशि 1,200 रुपये, कोरिंग के लिए राशि 1,800 रुपये, छाव के लिए राशि 800 रुपये, सिंचाई तथा राह-रखाव आदि के लिए राशि 12,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 15,800 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 30,400 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत दोभापानी (खसरा क्रमांक 85) के सहमति उपरोक्त तालाब के चारों तरफ वृक्षारोपण किये जाने के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।
17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, राधनुर इलीनागढ़ से उपायित कम्प्लायंस रिपोर्ट प्राप्त होने पर राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति/राज्य स्तरीय पर्यावरण स्नाघात आधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
18. ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के अंदर सेपटी जोन में 1 मीटर की ऊंचाई तक भण्डारित किया जाएगा। सेब ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर भण्डारित किया जाएगा। इस प्रकार भण्डारित ऊपरी मिट्टी का किसी भी प्रकार का दुरुपयोग न करने, विक्रय न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी का उपयोग पुनःप्राप्त हेतु किये जाने, इस प्रकार भण्डारित ऊपरी मिट्टी का निरीक्षणकर्ता/ अधिकारी को उनके निरीक्षण/ प्रमाण के दौरान निरीक्षण कराये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
19. ब्लानिटिंग का कार्य डी.जी.एच.एस. द्वारा अधिकृत डिप्लोमेटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
20. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर साधन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पीछों का सारवाइवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
21. परियोजना से डिज-डिज स्काली से पयुविटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्काली पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

22. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनेरल्स कन्सेशन नियम (Minerals Concession Rules) की तहत बाउण्ड्री प्लानों द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने वाला शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
23. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति को तहत स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
24. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरुद्ध भावा सखार, कार्यालय, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना क्र.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उत्तरादेश का प्रकरण लंबित नहीं है।
25. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि खदान से किसी भी प्रकार का दूषित जल (यदि उत्पन्न होता है तो) का प्रवाह किसी भी प्राकृतिक जल स्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किया जाएगा, खदान के संचालन के दौरान तालाब एवं अन्य निकटतम जल निकायों को किसी प्रकार की कोई भी हानि नहीं पहुंचाई जाएगी एवं प्राकृतिक जल स्रोत, नाला, नदी, तालाब के संरक्षण व संवर्धन हेतु निम्न उपाय किये जाएंगे:-
- आवेदित खदान से किसी भी प्रकार का दूषित जल उत्पन्न नहीं होता है अर्थात् किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह किसी भी प्राकृतिक जल स्रोत में नहीं किया जाएगा।
 - खदान कार्यालय से उत्पन्न घरेलू अपशिष्टों के निपटारन के लिए सेप्टिक टैंक और सोख गड्ढे प्रदान किये जाएंगे।
 - सबही जल को संकलन के लिए खदान के चारों ओर गार्डन ड्रैन एवं सेप्टिक टैंक के द्वारा उपचारित करके ही अन्य स्रोतों में छोड़ा जाएगा।
 - खदान के अंदर वर्षा द्वारा संचित जल को उपचारित करके आवश्यकानुसार ग्रामीणों को उपलब्ध कराया जाएगा।
 - खदान की बाउण्ड्री के चारों ओर सड़क कृषानोपन किया जाएगा।
 - यथा संभव तालाब के चारों ओर भी सड़क कृषानोपन किया जाएगा।
- प्रस्तुत आवेदन में आवेदित स्थल से तालाब 900 मीटर तथा नहर 3.08 कि.मी. की दूरी पर है जो कि छत्तीसगढ़ नीम खनिज अधिनियम, 2015 में बर्णित मानक दूरियों से अधिक है। अतः खदान संचालन के दौरान उपरोक्त बिन्दु क्रमांक 1 से 6 के फालन से तालाब एवं नहर पर प्रभाव को रोकना जा सकेगा।
26. आवेदक द्वारा भूमि स्वामियों के निजी अधिकारों को ध्यान में रखते हुए नियमानुसार निर्धारित मुआवजा तथा रोजगार की प्राप्ति के लिए आवश्यक भूमि स्वामियों को उपलब्ध कराया जाएगा। इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
27. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि आवेदित स्थल से स्थूल 900 मीटर, अस्पताल 10.75 कि.मी. एवं आबादी क्षेत्र 900 मीटर की दूरी पर है जो कि छत्तीसगढ़ नीम खनिज अधिनियम, 2015 में बर्णित मानक दूरियों से अधिक है। अतः स्थूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में प्रभाव नगण्य होगा। खनन कार्य से स्थूल, अस्पताल एवं

आबादी क्षेत्र में होने वाले जन समस्याओं का निराकरण हेतु निम्न उपाय किये जायेंगे—

- i. खदान के माईन बालूझी में पानी और सफ़्तन कुआनीयन किया जायेगा जिससे स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में प्रभाव नगण्य होगा।
 - ii. मूल (डस्ट) के निराकरण के लिए टीकर के द्वारा पानी का छिड़काव किया जाएगा जिससे स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में प्रभाव नगण्य होगा।
 - iii. हमारे द्वारा खनिज का परिवहन टारपोलिन से ढकवान किया जायेगा, जिससे रास्ते में वाहन से खनिज न गिरे।
 - iv. हमारे द्वारा वाहनों का परिवहन स्कूल एवं आबादी क्षेत्र से होकर नहीं किया जायेगा जिससे स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में परिवहन का प्रभाव नगण्य होगा।
 - v. हमारे द्वारा स्कूल एवं आबादी क्षेत्र में बीज लगाकर स्वास्थ्य परीक्षण कराया जायेगा।
 - vi. अध्ययन क्षेत्र में पर्यावरण प्रभाव आकलन रिपोर्ट के AIR MODELING से परिणामों के अनुसार स्टडी क्षेत्र का ग्राउंड लेवल कन्संट्रेशन CPCB के मानकों के भीतर राखे गये हैं, अतः आबादी क्षेत्र, स्कूल एवं अस्पताल आदि पर PM-10 का प्रभाव नगण्य होगा।
 - vii. मूल एवं ब्लैस्टिंग आदि से होने वाले प्रभावों के लिए DGMS के एडिस्टर्ड ब्लास्टर द्वारा नियमानुसार कम तीव्रता वाले निर्धारित विस्फोट की तकनीक अपनाकर काम किया जाएगा। जिससे ब्लैस्टिंग के कारण आबादी क्षेत्र, स्कूल एवं अस्पताल पर पड़ने वाला प्रभाव नगण्य होगा।
28. परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन इकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लभित नहीं है।
 29. परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 की Common Cause vs. Union of India Writ Petition (C) 114 of 2014 में दिए गए दिशा निर्देशों का मेरे द्वारा पालन किया जायेगा।
 30. परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 06/01/2020 की Writ Petition (S) Civil No. 114/2014 Common Cause vs. Union of India & Ors. में दिए गए दिशा निर्देशों का मेरे द्वारा पालन किया जायेगा।
 31. समिति का मत है कि सी.ई.आर. एवं कृशासेपन कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-सदस्यीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) सहित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं कृशासेपन का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि-सदस्यीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।
 32. माननीय एन.जी.टी., डिस्ट्रिक्ट बेच, नई दिल्ली द्वारा सर्वोच्च प्राथमिक विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य

(अपरिष्कृत एपिसोड नं. 100 ऑफ 2018 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुद्दा हम से निम्नानुसार निर्दिष्ट किया गया है—

- a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
- b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया—

1. कार्पोरेट कनेक्टर (खनिज शाखा) बैकुण्ठपुर, जिला-कोरिया को ज्ञापन क्रमांक 748/खनिज/उ.प./2023 कोरिया, बैकुण्ठपुर, दिनांक 25/01/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अन्य खदानों की संख्या निकल है। आवेदित खदान (ग्राम-डोभापानी) का क्षेत्रफल 1.22 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 8 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी-2 श्रेणी की मानी गयी।
2. एकीकृत क्षेत्रीय कार्पोरेट, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर एच.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सहर्त अनुमति की जाती है।
3. जनवरी 2023 से अब तक किये गये उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर एच.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सहर्त अनुमति की जाती है।
4. सीज क्षेत्र में अवस्थित कुओं (यदि हो तों) की कटाई स्वाम प्राधिकारी से अनुमति उपरोक्त ही किये जाने बाबत समझ पत्र (Notarized undertaking) को एच.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सहर्त अनुमति की जाती है।
5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से आवेदक - मेसर्स कोरिया स्टील इस्पात (डोभापानी अड्डिनरी स्टील माईन्, प्रो- बीन्गी रोमा पीपल) को ग्राम-डोभापानी, तहसील-बैकुण्ठपुर, जिला-कोरिया के खसरा क्रमांक 432 में स्थित लघुआलय पत्थर (ग्रीन खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल-1.22 हेक्टेयर, क्षमता-8,388 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुमति की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार - उपरोक्त प्रकल्प पर प्राधिकरण की दिनांक 26/10/2023 को संख्या 168वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा मसौदा कर अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय किया गया—

1. एकीकृत क्षेत्रीय कार्पोरेट, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।

2. जानकारी 2023 से अब तक किये गये उत्खनन की वार्षिक मात्र की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाए।
3. लीज क्षेत्र में अवस्थित कुएँ (यदि हो गों) की कटाई स्थल अधिकारी से अनुमति उपरंत ही किये जाने काबत सपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
4. लीज क्षेत्र में जीवित कुएँ के नाम, संख्या एवं उसकी मोटाई तथा कुल अराजकीय है अथवा नहीं? के संबंध में जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए। साथ ही कुएँ की कटाई के संबंध में निर्धारित प्रक्रिया के तहत स्थल अधिकारी से अनुमोदन कराकर प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त बंभित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरंत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परिशीलना प्रताकक को तदानुसार सूचित किया जाए।

8. मेसारी कंपनी आर्डिनरी स्टोन क्वारी (प्रो.- श्री बंधल अदवात), ग्राम-केपी, तहसील-सुम्झा, जिला-सरगुजा (सचिवालय का नसती क्रमांक 2614)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीपी/ एम्आईएन/ 432417/2023, दिनांक 11/08/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित सत्कार्य पत्थर (गीन खनिज) खदान है। खदान ग्राम-केपी, तहसील-सुम्झा, जिला-सरगुजा स्थित खाना क्रमांक 485/11/2, 485/35 एवं 485/36, कुल क्षेत्रफल-2.281 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन धमता- 40,830 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परिशीलना प्रताकक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 02/08/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 481वीं बैठक दिनांक 11/08/2023

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री बंधल अदवात, प्रोन्साईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नसती, प्रस्तुत जानकारी का अवलीकन एवं परीक्षण करने पर निम्न सिध्ति पाई गई-

1. पूर्ण में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण- इस खदान की पूर्ण में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. ग्राम पंचायत का अनाधीत प्रमाण पत्र - उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत कंपनी का दिनांक 08/03/2020 का अनाधीत प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. उत्खनन योजना - क्वारी प्लान, इन्फार्मेट केनेजमेंट प्लान एंड क्वीरी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी जिला-रायगढ़ के पु. ज्ञापन क्रमांक 337-39/ख.ति./स.व./2023 रायगढ़, दिनांक 20/02/2023 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की चरिधि में स्थित खदान - क्वारलव कलेक्टर (खनिज सत्कार्य), जिला-सरगुजा के ज्ञापन क्रमांक 300/खनिज/ख.ति./2023 अम्बिकापुर,

दिनांक 15/03/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 3 खदानें, क्षेत्रफल 2.545 हेक्टेयर है।

5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-ससुजा के डायन क्रमांक 299/खनिज/ख.लि. 1/2023 अम्बिकापुर, दिनांक 15/03/2023 द्वारा जारी डायन पर अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे पुल, रेलसाईन, नहर, बांध, एनीकट, मयन, स्कूल, अस्पताल, बीटन सफाई परियोजना, मंदिर, मस्जिद, पुस्तकालय, मत्शाला, वाणिज्यिक स्थल आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. एल.ओ.आई. का विवरण – एल.ओ.आई. की संघल अध्याज के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर ससुजा (खनिज शाखा), जिला-अम्बिकापुर के डायन क्रमांक 685/खनिज/ख.लि.1/1.8.22/2020 अम्बिकापुर, दिनांक 28/08/2022 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 1 वर्ष हेतु केव है। समिति का मत है कि एल.ओ.आई. की केषता वृद्धि संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
7. भू-स्वामित्व – भूमि खसरा क्रमांक 485/11/2 व 485/35 की संघल अध्याज (आवेदक) एवं खसरा क्रमांक 485/38 सीमाधी राजधानी अध्याज के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामी का सहमति पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट – वर्ष 2019 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. वन विभाग का अनापीत डायन पत्र – कार्यालय वनस्पतलाधिकारी, ससुजा वनमण्डल, अम्बिकापुर के डायन क्रमांक/तक.अधि/689 अम्बिकापुर, दिनांक 08/08/2019 से जारी अनापीत डायन पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की सीमा से 500 मीटर की दूरी पर है।
10. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी – निकटतम आबादी ग्राम-कोपी 400 मीटर, स्कूल ग्राम-कोपी 600 मीटर एवं अस्पताल ग्राम-अम्बिकापुर 10.9 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 245 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 8.6 कि.मी. दूर है। गंगार नदी 5.9 कि.मी., मौसमी नाला 2.1 कि.मी., तालाब 640 मीटर एवं नहर 3.35 कि.मी. दूर है।
11. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केंद्रीय अनुसंधान विभाग क्षेत्रों द्वारा घोषित क्रिटिकली पीन्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होने प्रतिबंधित किया है।
12. खनन संचालन एवं खनन का विवरण – जिनीलीजिकल रिजर्व 9,29,481 टन, मार्निंगल रिजर्व 4,31,909 टन एवं विकल्पेबल रिजर्व 4,33,718 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 5.818 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 20 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.25 मीटर है तथा कुल मात्रा 3,850 घनमीटर है, जोकर स्टोन की मोटाई 0.25 मीटर है तथा कुल मात्रा 3,850 घनमीटर है। क्षेत्र

की लंबाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 30 वर्ष है। लीज क्षेत्र में कठोर स्थानों प्रस्तावित हैं, जिसका क्षेत्रफल 1500 वर्गमीटर है। लीज क्षेत्र से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ड्राइलिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का डिफ्यूजिव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित राजस्व का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित राजस्व (₹)
प्रथम	40,307.83
द्वितीय	40,606.30
तृतीय	40,915.39
चतुर्थ	40,678.20
पंचम	40,630.00

13. जल आपूर्ति - परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 9 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति भू-जल के स्रोतों से किया जाएगा। इस बाबत सेन्ट्रल प्रायक वाटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।
14. कुआरौपण कार्य - लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की गहरी में 1.118 मम कुआरौपण किया जाएगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र की भीतर पर्यावरणीय प्रदूषण को रोकने के लिए निम्नानुसार कार्य प्रस्तावित है:-

विवरण	प्रथम (₹)	द्वितीय (₹)	तृतीय (₹)	चतुर्थ (₹)	पंचम (₹)	
प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सड़की/पहुंच मार्ग से उत्पन्न धूल परिसरों के नियंत्रण हेतु जल डिफ्यूजिव	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	
खदान की वातमंडलीय (1.118 मम) कुआरौपण हेतु	कुआरौपण हेतु राशि	1,11,800	-	-	-	-
	फेंसिंग हेतु राशि	80,000	-	-	-	-
	खान हेतु राशि	55,800	55,800	55,800	55,800	55,800
	सिंचाई, रख-रखाव आदि हेतु राशि	1,55,000	1,50,000	1,50,000	1,50,000	1,50,000
कुल राशि = 14,88,600	4,66,400	2,55,800	2,55,800	2,55,800	2,55,800	

15. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा गहरी में रखनन - लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा गहरी में रखनन कार्य नहीं किया गया है।
16. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) - परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरान्त निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
37.67	2%	0.75	Following activities at,	

			Village- Kept
			Plantation around village pond
			0.50
			Total
			0.50

17. बीईआर के अंतर्गत तालाब के चारों तरफ (आम, जामुन एवं कटहल) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 38 नव पौधों के लिए राशि 3,800 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 5,850 रुपये, खाद के लिए राशि 1,800 रुपये, सिंचाई तथा पत्र-पत्राव आदि के लिए राशि 18,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 29,700 रुपये तथा आगामी 4 वर्षों में कुल राशि 38,800 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा राज पंचायत कंपनी (खसरा क्रमांक 84) के सहमति उपरोक्त तालाब के चारों तरफ वृक्षारोपण किये जाने के संबंध में जमानदारी प्रस्तुत की गई है।
18. उपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के अंदर रोपटी जॉन में 1 मीटर की ऊंचाई तक संश्लिष्ट किया जाएगा। शेष उपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर भण्डारित किया जाएगा। इस प्रकार भण्डारित उपरी मिट्टी का किसी भी प्रकार का दुरुपयोग न करने, विक्रय न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी का उपयोग पुनःप्रयोग हेतु किये जाने, इस प्रकार भण्डारित उपरी मिट्टी का निरीक्षणकर्ता/ अधिकारी को उनके निरीक्षण/ भ्रमण के दौरान निरीक्षण कराये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
19. स्फोटन का कार्य डी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत विस्फोटक लाइसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
20. माइनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सभ्य वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सारवाइवल रेट (Survival rate) 80 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
21. परियोजना से जिन-जिन स्थलों से स्तुडिटेड जल उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर निश्चित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
22. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनेरल्स कनसेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत बाउण्ड्री डिक्लरेशन द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
23. कंपनीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
24. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विस्तृत भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उत्सर्जन का प्रकल्प लक्षित नहीं है।
25. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि खदान से किसी भी प्रकार का सुक्षित जल (यदि उत्पन्न होता है तब) का प्रवाह किसी भी प्राकृतिक जल स्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किया जाएगा,

खदान के संचालन के दौरान तालाब एवं अन्य निकटस्थ जल निकायों को किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं पहुंचाई जाएगी एवं प्राकृतिक जल स्रोत, नाल, नदी, तालाब के संरक्षण व संवर्धन हेतु निम्न उपाय किये जाएंगे:-

- i. आवेदित खदान से किसी भी प्रकार का दूषित जल उत्पन्न नहीं होता है अर्थात किसी भी प्रकार के दूषित जल का प्रवाह किसी भी प्राकृतिक जल स्रोत में नहीं किया जाएगा।
- ii. खदान कार्यालय से उत्पन्न होने वाले अपशिष्टों के निचटान के लिए सेप्टिक टैंक और सोख गड्ढे प्रदान किये जाएंगे।
- iii. सतही जल के संरक्षण के लिए खदान के चारों ओर गार्डरैड ड्रेन एवं सेप्टिक टैंक के द्वारा उपचारित करके ही अन्य स्रोतों में छोड़ा जाएगा।
- iv. खदान के अंदर जहाँ द्वारा संचित जल को उपचारित उनके आवश्यकानुसार घासीनों को उपलब्ध कराया जाएगा।
- v. खदान की बाउंड्री के चारों ओर सघन वृक्षारोपण किया जाएगा।
- vi. वथा समय तालाब के चारों ओर भी सघन वृक्षारोपण किया जाएगा।

प्रस्तुत आवेदन में आवेदित स्थल से तालाब 540 मीटर तथा नहर 3.38 कि.मी. की दूरी पर है जो कि छातीसगढ़ ग्रीन खनिज अधिनियम, 2015 में वर्णित मानक दूरियों से अधिक है। अतः खदान संचालन के दौरान उपरोक्त बिन्दु लगाकर। से ज के पालन से तालाब एवं नहर पर प्रभाव को रोक जा सकेगा।

26. आवेदक द्वारा भूमि स्वामियों को निजी अधिकारों को ध्यान में रखते हुए नियमानुसार निर्धारित मुआवजा तथा रोजगार की प्राथमिकता का अन्वय भूमि स्वामियों को उपलब्ध कराया जाएगा। इस आश्वासन का समर्थ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

27. परिसीोजना प्रस्तावक द्वारा समर्थ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि आवेदित स्थल से स्कूल 600 मीटर, अस्पताल 10.9 कि.मी. एवं आबादी क्षेत्र 400 मीटर की दूरी पर है जो कि छातीसगढ़ ग्रीन खनिज अधिनियम, 2015 में वर्णित मानक दूरियों से अधिक है। अतः स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में प्रभाव नगण्य होगा। खनन कार्य से स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में होने वाले जन समस्याओं का निराकरण हेतु निम्न उपाय किये जाएंगे:-

- i. खदान के बाईन बाउंड्री में चारों ओर सघन वृक्षारोपण किया जाएगा जिससे स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में प्रभाव नगण्य होगा।
- ii. भूल (ड्रॉट) के निराकरण के लिए टैंकर के द्वारा पानी का सिंचकण किया जाएगा जिससे स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में प्रभाव नगण्य होगा।
- iii. हमारे द्वारा खनिज का परिवहन टारपीलिन से ढककर किया जाएगा, जिससे रास्ते में गड़हन से खनिज ना लिये।
- iv. हमारे द्वारा गड़नों का परिवहन स्कूल एवं आबादी क्षेत्र से होकर नहीं किया जाएगा जिससे स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में परिवहन का प्रभाव नगण्य होगा।
- v. हमारे द्वारा स्कूल एवं आबादी क्षेत्र में सीमा लगाकर रकबाध परीक्षण कराया जाएगा।

44. अध्ययन क्षेत्र में पर्यावरण प्रभाव आकलन रिपोर्ट के AIR MODELING के परिणामों के अनुसार स्टडी क्षेत्र का घातक लेवल कन्संट्रेशन CPCB के मानकों के भीतर पाये गये है, अतः आवासी क्षेत्र, स्कूल एवं अस्पताल आदि पर PM-10 का प्रभाव नगण्य होगा।
45. दूध एवं स्लास्टिंग आदि के होने वाले प्रभावों के लिए DGMS के रजिस्टर्ड स्लास्टर द्वारा नियमानुसार कम तीव्रता वाले नियंत्रित विस्फोट की तकनीक अपनाकर काम किया जाएगा। जिससे स्लास्टिंग के कारण आवासी क्षेत्र, स्कूल एवं अस्पताल पर पड़ने वाला प्रभाव नगण्य होगा।
28. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विस्फोट इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंदरूनी किन्हीं भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
29. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को Common Cause vs. Union of India With Petition (C) 114 of 2014 में दिए गए दिशा निर्देशों का भंग द्वारा चलन किया जावेगा।
30. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को With Petition (S) Civil No. 114/2014 Common Cause vs. Union of India & Ors. में दिए गए दिशा निर्देशों का भंग द्वारा चलन किया जावेगा।
31. समिति का मत है कि सी.ई.आर. एवं क्लस्टरिंग कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-सदस्यीय समिति (प्रोपराइटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या इन्टीग्रेटेड पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं क्लस्टरिंग का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि-सदस्यीय समिति से समाप्तित बनाया जाना आवश्यक है।
32. भारतीय एन.डी.टी. ट्रिब्यूनल बेंग, नई दिल्ली द्वारा सर्वोच्च पाठ्यक्रम विस्फोट भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (प्रोपराइटर एप्लिकेशन नं. 188 ऑफ 2018 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-
- a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEAA as well as for cluster situation where over it is not provided.
- b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP to be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.
- समिति द्वारा विचार विमर्श उपरंत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-**
1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज राजस्व), जिला-सम्पूर्ण के दायरे क्रमांक 300/खनिज/खलि./2022 अम्बिकापुर, दिनांक 19/03/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 3 खदानें, क्षेत्रफल 2.545 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम-केपी) का क्षेत्रफल 2.281 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम-केपी) को मिलाकर क्षेत्रफल 4.726 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संघलित खदानों का कुल

क्षेत्रफल 5 हेक्टर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी-2 श्रेणी की बानी गयी।

2. एल.ओ.आई. की कौशल वृद्धि संबंधी दस्तावेज/जानकारी को एन.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ ने आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्त अनुमति की जाती है।
3. लीज क्षेत्र में अवस्थित कुएँ (यदि हो लें) की कटाई स्वाम प्रधिकारी से अनुमति उपरांत ही किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) को एन.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ ने आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्त अनुमति की जाती है।
4. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक - मेसर्स कंपनी आर्दिनी स्टोन क्वारी (प्री- श्री चंचल अडवाले) को ग्राम-कैरी, तहसील-सुपडू, जिला-सुनडू का खसरा क्रमांक 485/11/2, 485/35 एवं 485/38 में स्थित साधारण पत्थर (ग्रीन खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल-2.251 हेक्टर, क्षमता-40,830 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुमति की गई।

प्रतिकल्प द्वारा बैठक में विचार - उपरोक्त प्रकल्प पर प्रतिकल्प की दिनांक 26/10/2023 को संख्या 158वीं बैठक में विचार किया गया। प्रतिकल्प द्वारा कमी का अवलोकन किया गया। प्रतिकल्प द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय किया गया-

1. एल.ओ.आई. की कौशल वृद्धि संबंधी दस्तावेज/जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
2. लीज क्षेत्र में अवस्थित कुएँ (यदि हो लें) की कटाई स्वाम प्रधिकारी से अनुमति उपरांत ही किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
3. लीज क्षेत्र में जीवित कुएँ के नाम, संख्या एवं उसकी गोलार्ध तथा कुल अराजकीय है अथवा नहीं? के संबंध में जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए। साथ ही कुएँ की कटाई के संबंध में निर्धारित प्रतिष्ठा के तहत स्वाम प्रधिकारी से अनुमति अनिवार्य प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त बाधित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कलेंदाही की जाएगी।

परिष्कार प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

7. मेसर्स बरबतपुर क्वारी पत्थर क्वारी (प्री- श्री श्रीराम कुमार लोन्गरे, ग्राम-बरबतपुर, तहसील व जिला-महासमुंद्र (सविवालय का कमी क्रमांक 2818)

ऑनलाइन आवेदन - प्रयोजन नम्बर - एन.ई.आई.ए.ए./ सीजी/ एम.आई.ए.ए./ 433260/2023, दिनांक 13/06/2023 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संवाहित क्वारी पत्थर (ग्रीन खनिज) खदान है। खदान ग्राम-बरबतपुर, तहसील व जिला-महासमुंद्र स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 188/1, कुल क्षेत्रफल-0.42 हेक्टर में है। खदान की आवेदित उत्पादन क्षमता-2,523.75 टन प्रतिवर्ष है।

भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा ऑफिस नोटेफिकेशन दिनांक 28/04/2023 जारी किया गया है, जिसके पैरा 4 में निम्न प्रावधान है:-

"The matter has been examined in the Ministry and accordingly it has been decided that all valid ECs issued by DEIAA shall be reappraised through SEAC/SEIAA in compliance to the order of the Hon'ble NGT in O.A. 142 of 2022. In view of above, it is hereby directed that all concerned SEACs shall re-appraise the ECs issued by DEIAAs between 15.01.2016 and 13.09.2018 (including both dates) and all fresh ECs in this regard shall be granted only by SEIAAs based on such appraisal. The exercise shall be completed within a time period of one year from the date of issue of this OM. DEIAAs shall transfer all such files where ECs have been granted to concerned SEIAA within a time period of one month from issue of this OM."

उक्त ऑफिस नोटेफिकेशन के तहत परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिकरण से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनः अनुमंसा (re-appraisal) हेतु एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समस्त ऑनलाइन आवेदन किया गया है।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 02/08/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 481वीं बैठक दिनांक 11/08/2023

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री सीरेन्द्र कुमार लोभारे, प्रोन्साईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अद्यतन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति आई गई-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण-

- पूर्व में कर्जी परमार खदान खाना क्रमांक 138/1, कुल क्षेत्रफल-0.42 हेक्टेयर, क्षमता-2,523.75 टन (1,009.5 घनमीटर) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिकरण, जिला-महासमुद्र द्वारा दिनांक 22/11/2016 को जारी की गई।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के सर्ती के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोप्रामस सहित प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रामपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
- कार्यालय कलेक्टर (अग्नि शक्ति), जिला-महासमुद्र के ज्ञापन क्रमांक 580/क/अग्नि/न.अ. /2023 महासमुद्र, दिनांक 28/06/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्ष में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है-

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
01/01/2017 से 30/06/2017	निरंक
01/07/2017 से 31/12/2017	113
01/01/2018 से 30/06/2018	302
01/07/2018 से 31/12/2018	228
01/01/2019 से 30/06/2019	110

01/07/2019 से 31/12/2019	250
01/01/2020 से 30/06/2020	190
01/07/2020 से 31/12/2020	100
01/01/2021 से 30/06/2021	180
01/07/2021 से 30/06/2021	100
01/10/2021 से 31/09/2022	200
01/04/2022 से 30/06/2022	270
01/10/2022 से 31/09/2023	230

समिति का मत है कि दिनांक 01/04/2023 से अद्यतन स्थिति तक किए गए उत्खनन की कार्यात्मक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करवाकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत बरबसपुर का दिनांक 14/04/2022 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. उत्खनन योजना – कच्ची प्लान एंजिंग विथ कच्ची बलैस्टर प्लान विथ इन्फ्रास्ट्रक्चर कैनेडियन प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला-महासमुंद्र के द्वारा क्रमांक 1429/क/खनि./न.क्र./2018 महासमुंद्र, दिनांक 23/07/2018 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान – कार्पोरेट बलैस्टर (खनिज साख), जिला-महासमुंद्र के द्वारा क्रमांक 580/क/खनि./न.क्र./2023 महासमुंद्र, दिनांक 28/06/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर 08 खदानें, क्षेत्रफल 39.22 हेक्टेयर है।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं – कार्पोरेट बलैस्टर (खनिज साख), जिला-महासमुंद्र के द्वारा क्रमांक 580/क/खनि./न.क्र./2023 महासमुंद्र, दिनांक 28/06/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार जकात खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मच्छट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनर्कीट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. भूमि एवं लीज का विवरण – भूमि एवं लीज श्री धीरेन्द्र कुमार लोनारे के नाम पर है। लीज सीड 10 वर्षों अवधि दिनांक 21/01/2014 से 20/01/2024 तक वैध है। उत्खनन लीज सीड 20 वर्षों अवधि दिनांक 21/01/2024 से 20/01/2044 तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई है।
7. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट – वर्ष 2018 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र – कार्पोरेट वनमन्डलधिकारी, सामान्य वनमन्डल, जिला-महासमुंद्र के द्वारा क्रमांक/खनि./खनिज/1281 महासमुंद्र, दिनांक 06/04/2013 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र से 13 कि.मी. की दूरी पर है।
9. महासमुंद्र संरचनाओं की दूरी – निकटतम आबादी ग्राम-बरबसपुर 1.15 कि.मी., स्कूल ग्राम-बरबसपुर 1.2 कि.मी. एवं अस्पताल महासमुंद्र 8.45 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1.8 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 14.8 कि.मी. दूर है।

महानदी 500 मीटर, मौसमी नाला 500 मीटर, लाला 1.32 कि.मी एवं नहर 500 मीटर दूर है।

10. **परिस्थितिहीन/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्लिष्टकली पील्फुटेड एरिया, परिस्थितिहीन संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिबंधित किया है।
11. **खनन संभवा एवं खनन का विवरण** – पूर्व में जिपसोलॉजिकल रिजर्व 99,868 टन, माईनेबल रिजर्व 29,040 टन एवं रिक्वैरेबल रिजर्व 21,030 टन था। वर्तमान में जिपसोलॉजिकल रिजर्व 36,513 घनमीटर एवं माईनेबल रिजर्व 8,943 घनमीटर है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 1,878 वर्गमीटर है। खोपन कास्ट मैन्युअल विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 10 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर तथा कुल मात्रा 2,488 घनमीटर है। जिसमें से 788 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को 7.5 मीटर (माईन बाउण्ड्री) क्षेत्र में फैलाकर कृशारोपण के लिए तथा शेष ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के भीतर संरक्षित किया जायेगा। बीच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 11 वर्ष है। जैक ड्रैन से डिड्रिंग एवं कंट्रोल स्थापित किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	1 st to 2 nd year of five year plan period is already over before the induction of the provision of quarry plan as per Chhattisgarh minor mineral rules, 2016	षष्ठम	2,438.25
द्वितीय		सप्तम	2,433.75
तृतीय	2,002.50	अष्टम	2,478.00
चतुर्थ	2,175.00	नवम	2,512.50
पंचम	2,418.75	दशम	2,523.75

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 4 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति भू-जल से माध्यम से की जाएगी। इस संबंध में गूटल घाटमंड क्षेत्र अर्धीनिटी का अनापति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
13. **कृशारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 238 मग कृशारोपण किया जाएगा।
14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी के कुछ भाग में उत्खनन कार्य किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय सवीकृति की शर्तों का उत्तराण है। अतः जीव उपरंत नियमानुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।
15. **उत्सोखनीय है कि भारत सरकार, जर्मनी, वन एवं परतखतु परिषदोंन संकलन, माई दिल्ली द्वारा नीन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्तें क्रमांक 33(1) के अनुसार:-**

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्तों के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

16. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया है कि रेसलाईन आटा कारखाना का कार्य 01 अक्टूबर 2021 से 31 दिसंबर 2021 तक किया गया। उक्त के संबंध में दिनांक 28/09/2021 को सूचना दी गई थी।

17. माननीय एन.जी.टी., दिल्ली द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (अपरिजनात एपिलोशन नं. 188 ऑर 2018 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्दिष्ट किया गया है:-

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. कार्यालय कलेक्टर (अपरिजनात), जिला-महासमुंद्र के द्वारा जमांक 580/क/खलि/न.अं./2023 महासमुंद्र, दिनांक 28/08/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर 69 खदानें, क्षेत्रफल 39.22 हेक्टेयर हैं। आवेदित खदान (घान-बखसपुर) का रकबा 0.42 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (घान-बखसपुर) को मिलाकर कुल रकबा 39.64 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की बानी गयी।

2. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उखनन के कारण इस क्षेत्र के उपचार्य उपायों (Remedial Measures) के संबंध में उक्त लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपचार्य तथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपचार्य को क्रियान्वित बनाने बाबत संचालक, संचालनालय, भीमिडी तथा खनिकर्म, इटावा सी बवन, नवा रावपुर अटल नगर, जिला - रावपुर (अर्वासीन) को लेख किया जाए।

3. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उखनन किया जाना बंद करने पर लीज उपरोक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भीमिडी तथा खनिकर्म को एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नया राणपुर अटल नगर को निम्नानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।

4. समिति द्वारा विचार विमर्श करवाते सर्वसम्मति से दस्तावेज 'बी1' कंटेनरी का होने से कारण बनात सरकार, पर्यावरण, रान और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्न्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) कोर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट कोर प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज सिक्वायलिंग इन्वायर्नमेंट क्लीयरेंस अन्धर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2008 में वर्णित सेवी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुन्वाई सहित) नीन कोर माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुमति की गई:-
 - i. Project proponent shall submit compliance report of previous environmental clearance from Integrated Regional Office, MoEF&CC Raipur.
 - ii. Project proponent shall submit the previous year production detail from 01/04/2023 to till date from the mining department.
 - iii. Project proponent shall submit the individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.
 - iv. Project proponent shall submit the top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.
 - v. Project Proponent shall submit an undertaking that the top soil would be stacked at the earmarked place and shall use the same in plantation and backfilling of the mined out area.
 - vi. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.
 - vii. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.
 - viii. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the mines located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.
 - ix. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.
 - x. Project proponent shall submit the copy of panchnama, photographs and videography of every monitoring station.
 - xi. Project proponent shall submit an affidavit stating that no harm, no damage and no contamination shall be committed to nearby water bodies.
 - xii. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.
 - xiii. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

- xiv. Project proponent shall undertake plantation within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.
- xv. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate the details in the EIA report.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण वन प्राधिकरण की दिनांक 25/10/2023 की संपन्न 150वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नसीब का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्पत्ति से समिति की अनुमति को स्वीकार करते हुए उपरोक्तानुसार स्टैण्डर्ड टर्न ऑफ रेकॉरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी करने का निर्णय लिया गया। साथ ही वह भी निर्णय लिया गया कि-

- (1) (i) माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उल्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचाठी उपाधी (Remedial Measures) के संक्षेप में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपाधी तथा कृषासेवन आदि के लिये समुचित उपाधी बाबत संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्न, इंदरावती भवन, नया रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को पत्र लिख किया जाए।
- (ii) प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अतिक्रमण उल्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक को विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्न को पत्र लेख किया जाए।
- (iii) माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उल्खनन से पर्यावरण को क्षति होने के कारण छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।
- (2) पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्थिति का पालन प्रतिवेदन एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर से मंगाये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को टर्न ऑफ रेकॉरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी किया जाए। साथ ही संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्न, इंदरावती भवन, नया रायपुर अटल नगर एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर तथा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर को पत्र लेख किया जाए।

8. मेसर्स दिलीप बिल्डिंग्स लिमिटेड (सेमीपब्ली कार्पोरेट स्टोन क्वारी), ग्राम-सेमीपब्ली, तहसील-सरमजपगढ़, जिला-रायगढ़ (सचिवालय का नसीब क्रमांक 2391)

ऑनलाईन आवेदन - इमोजन नम्बर - एलओआई/ सीजी/ एमआईएन/ 428822/ 2023, दिनांक 21/04/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित साधारण पत्थर (ग्रीन खनिज) खदान है। खदान ग्राम-सेमीपब्ली, तहसील-सरमजपगढ़, जिला-रायगढ़ स्थित खसरा क्रमांक 88 एवं 115(पार्ट), कुल क्षेत्रफल-1.52 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-2,50,000 टन (92,605.93 पननीटर्) प्रतिवर्ष है।

तत्कालीन परिवोजना प्रस्तावक को एल.ओ.आई., फ्लोरागढ़ के द्वारा दिनांक 18/08/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 487वीं बैठक दिनांक 24/08/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नसीब, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति आई गई-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण- इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. ग्राम पंचायत का अनामतित प्रमाण पत्र - उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत लक्ष्मीपुर का दिनांक 06/08/2022 का अनामतित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. उत्खनन योजना - क्वारी प्लान, इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान एण्ड क्वारी क्लीयरेंस प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला-रायगढ़ के द्वारा दिनांक 08/08/2023 रायगढ़, दिनांक 17/04/2023 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज सार्वजनिक), जिला-रायगढ़ के द्वारा दिनांक 08/08/2023 रायगढ़, दिनांक 17/04/2023 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 1 खदान, क्षेत्रफल 2.023 हेक्टेयर है।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं - कार्यालय कलेक्टर (खनिज सार्वजनिक), जिला-रायगढ़ के द्वारा दिनांक 08/08/2023 रायगढ़, दिनांक 17/04/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार सख्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मत्भट, पुल, नदी, रेल लाईन, अस्पताल, स्कूल, एनिकोट बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. एल.ओ.आई. - एल.ओ.आई. मेसर्स दिलीप बिल्डिंग्स लिमिटेड के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज सार्वजनिक), जिला-रायगढ़ के द्वारा दिनांक 08/08/2023 रायगढ़, दिनांक 24/03/2023 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक है।

7. **भू-स्वामित्व** – भूमि खसला क्रमांक 88 श्री वैतराम व बीमती अन्नामोटी एवं ससना क्रमांक 118 बीमती भू स्वामी बाई के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामियों का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. **वन विभाग का अनामति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमन्त्रालयिकारी, वनजयगढ़, जिला-रायगढ़ के डायन क्रमांक/ना.वि./8180 वनजयगढ़, दिनांक 13/12/2022 से जारी अनामति प्रमाण पत्र अनुसार अनेकित क्षेत्र निकलतम वन क्षेत्र की सीमा से 350 मीटर, वन्यजीव अभ्यारण्य से 180 कि.मी. एवं राष्ट्रीय उद्यान से 200 कि.मी. की दूरी पर है।
10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकलतम आवाटी डाम-सेमीचाली 700 मीटर, स्कूल डाम-कुलनबर 1 कि.मी. एवं अस्पताल वनजयगढ़ 4.2 कि.मी की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 24.20 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 2.95 कि.मी. दूर है। मौसमी नाला 300 मीटर, गण्ड नदी 1.3 कि.मी. एवं तालाब 2.4 कि.मी. दूर है।
11. **परिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्लिटेकली पॉल्यूटेड एरिया, परिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिबंधित किया है।
12. **खनन शंका एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 10,87,820 टन, माईनेबल रिजर्व 4,43,542 टन एवं निकलरेबल रिजर्व 4,21,385 टन है। लीज की 7.5 मीटर लंबी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 3,800 वर्गमीटर है। खोपन क्वॉट सेमी मेटेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की संभावित अधिकतम गहराई 27 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.25 मीटर है तथा कुल मात्रा 2,825 घनमीटर है, जिसमें से 1,387.8 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को 7.5 मीटर (एचईन बाउण्ड्री) क्षेत्र में फैलाकर क्वाटेशन के लिए उपयोग एवं शेष 1,437.40 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर सहमति प्राप्त भूमि (खसला क्रमांक 82, रकबा 0.98 हेक्टेयर में से 0.18 हेक्टेयर) में सफाई कर संरक्षित रखा जाएगा। बीच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 5 वर्ष है। जैक ड्रैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल स्थापित किया जाएगा। लीज क्षेत्र में खनन स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षाकर प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	2,50,036
द्वितीय	1,92,062
तृतीय	2,077
चतुर्थ	2,000
पंचम	2,099

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 7 क्यूमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति न्यू-जल के माध्यम से की जायेगी। इस कार्य सेक्टरल धारक वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।
14. **कूचरोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में घाटी और 7.5 मीटर की पट्टी में 771 नए कूचरोपण किया जाएगा। प्रस्ताव अनुसार पीछे के लिए राशि 77,100 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 88,000 रुपये, खाद के लिए राशि 38,550 रुपये, सिंचाई एवं रख-रखाव आदि के लिए राशि 1,40,000 रुपये, इस प्रकार कुल राशि 3,30,850 रुपये प्रथम वर्ष हेतु एवं रख-रखाव हेतु कुल राशि 7,14,200 रुपये आगामी चार वर्षों हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।
15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के घाटी और 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।
16. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से कार्य संपादित निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है-

Capital Investment (In Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (In Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (In Lakh Rupees)
18.09	2%	0.3618	Following activities at Near by Govt. Primary School, Village-Sempali Khurd	
			Donation of books related to Environment Conservation & Aims	0.10
			Plantation	0.41
			Total	0.51

17. सी.ई.आर. के अंतर्गत स्कूल परिसर में कूचरोपण हेतु प्रस्ताव अनुसार 30 नए पीछे के लिए राशि 1,500 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 7,500 रुपये, खाद के लिए राशि 1,500 रुपये, सिंचाई तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 8,500 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 19,000 रुपये तथा आगामी 4 वर्षों में कुल राशि 22,000 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।
18. सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित स्कूल के प्रधान अध्यापक (Head Master) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा आवेदित खदान के 7.5 मीटर की इतित पट्टी में जो पूरा विद्यमान है वहाँ सुरक्षित रखने एवं अधिक से अधिक कूचरोपण करने सक्षम सपथ पत्र (Notarised undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
20. प्रातुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र की अन्दर एक कुआ महुआ, दो कुआ बहूल एवं काटेदार इन्डिया स्थित है। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा आवेदित क्षेत्र के भीतर स्थित कुआँ की कटाई

(यदि आवश्यक हुआ तो) स्वयं अधिकाारी की अनुमति के उपरांत ही किये जाने बाबत सपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

21. सी.ई.आर. कार्य के लिए प्रस्तावित स्कूल में कुशासन की संख्या में आवश्यकानुसार वृद्धि किये जाने एवं सुवर्धित रखने के लिए संश्लेषित किये जाने बाबत सपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
22. परियोजना प्रस्तावक द्वारा आवेदित खदान के 7.5 मीटर की दूरीत बरती में प्रयोजन अनुसार राशि का उपयोग करते हुए कुशासन किये जाने तथा उन संश्लेषित पीपी का 5 वर्ष तक संश्लेषित देखभाल व रख-रखाव करते हुए न्यूनतम 80 प्रतिशत जीवन संश्लेषित सुनिश्चित किये जाने बाबत सपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
23. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त हो जाने के उपरांत प्रथम वर्ष के अन्दर सी.ई.आर. प्रयोजन की राशि का प्रस्तावित कार्य में उपयोग करते हुए सार्वजनिक समिति के लक्ष्य प्रस्तुत किये गए प्रयोजन में ही खर्च किये जाने बाबत सपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
24. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का सपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि प्रस्तावित परियोजना के लक्ष्य खर्च किये गए राशि की, क्षेत्र की जानकारी, कार्य की जानकारी Latitude-Longitude कोटीयाय एवं KML फाईल सहित पर्यावरण स्वीकृति के फालन प्रतिवेदन में प्रस्तुत करने, यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो समिति द्वारा दी गई अनुशासनात्मक/कैथनिक कार्यवाही के लिए परियोजना प्रस्तावक बाध्य रहेगा।
25. ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के अंदर लेपटी जोन में 1 मीटर की ऊंचाई तक संश्लेषित किये जाने, संध ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर में संश्लेषित किये जाने। इस प्रकार संश्लेषित ऊपरी मिट्टी का किसी भी प्रकार का इस्तेमाल न करने, विक्रय न करने एवं अन्य कार्य में उपयोग नहीं किये जाने, इस मिट्टी का उपयोग पुनर्गठन हेतु किये जाने तथा निरीक्षणकर्ता/अधिकारी को उनके निरीक्षण/प्रश्न के दौरान निरीक्षण कराये जाने बाबत सपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
26. एक्सप्लोसिव का कार्य डी.जी.एम.एस. द्वारा अधिभूत विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत सपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
27. पर्यावरणिक कष्ट समाधान के निरोधन हेतु नियमित जल विश्लेषण किये जाने बाबत सपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
28. सार्वजनिक लीज क्षेत्र के अंदर सधन कुशासन किये जाने एवं संश्लेषित पीपी का सरवाइवल रेट (Survival rate) 80 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत सपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
29. समीक्षण अथवा पुनर्गठन पीपी के लक्ष्य स्थानीय लोगों को संलग्न दिये जाने हेतु सपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
30. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सनिज निषर्ण के लक्ष्य बायस्फी मिलर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत सपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

31. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल (यदि उत्पन्न होता है तो) का प्रवाह प्राकृतिक जल स्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं उक्त प्राकृतिक जल स्रोत, तालाब, नदी, नाला इत्यादि का संरक्षण किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
32. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकल्प देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
33. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकल्प लंबित नहीं है।
34. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को Common Cause Vs. Union Of India Writ Petition (C) 114 of 2014 में दिए गए विज्ञापन निर्देश का पालन करने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
35. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को Writ Petition (S) Civil No. 114 /2014 Common Cause Vs. Union Of India & Ors. में दिए गए विज्ञापन निर्देश का पालन करने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
36. समिति का मत है कि सी.ई.आर. कार्य एवं 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में कुशासन कार्य को सौंपित एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या जलसंग्रह पर्यावरण संरक्षण समूह के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में कुशासन का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरोक्त गठित त्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।
37. माननीय एन.जी.टी. डिमिशन बेंच, नई दिल्ली द्वारा सर्वोच्च पारम्परिक विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ऑरिजनल एपिपेकेशन नं. 185 ऑफ 2018 एवं अन्य) में दिनांक 13/08/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है—

- a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where over it is not provided.
- b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्त उपरोक्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया—

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज संसाधन), जिला-रायचढ़ के द्वारा क्रमांक 868/ख. ति./स्था./2023 रायचढ़, दिनांक 17/04/2023 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 4 खदान, क्षेत्रफल 2.023 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम-सेमीपाली) का क्षेत्रफल 1.52 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम-सेमीपाली) को मिलाकर कुल रकम 3.543 हेक्टेयर है। खदान की

सीमा से 300 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संभालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 3 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान सी-2 श्रेणी की मानी गयी।

2. सीमा क्षेत्र में वृक्ष अधिक हैं। वृक्षों की प्रजाति का संरक्षण कर सूची फोटोग्राफ्स सहित जानकारी एस.ई.आई.ए.ए. इलीसगढ़ में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने की शर्तों के अधीन ही पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों अनुमति की जाती है।
3. सभिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से आवेदक - मेसर्स दिलीप क्लिंकर्स लिमिटेड (समीचाही अर्किवाही स्टोन क्वारी) जो इला-समीचाही, तहसील-बलरघाटगढ़, जिला-रायगढ़ के खसरा क्रमांक 88 एवं 115(पार्ट) में सिद्ध संचारण पत्थर (गीन खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल-1.52 हेक्टेयर, उत्खनन क्षमता-2,50,038 टन (52,608 घनमीटर) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुमति की गई।

प्रतिक्रमण द्वारा बैठक में विचार - उपरोक्त प्रकरण पर प्रतिक्रमण की दिनांक 07/07/2023 को सम्पन्न 151वीं बैठक में विचार किया गया। प्रतिक्रमण द्वारा मती का अखतीकन किया गया। प्रतिक्रमण द्वारा नोट किया गया कि:-

1. As per proposal, project land belongs to Shri Chaitram, Smt Ashamodi and Smt Sighari Bai and copy of an agreement with respective land holders has been submitted. We are of the view that whether the subject land belongs to General Category or SC/ST Category, which is required to be verified before considering the proposal. If subject land/project land belongs to Tribal Communities in that case we need to see whether a settled procedure has been adopted for obtaining consent of the land owners or not. Therefore, proposal is returned in the present form to Project Proponent and asked to submit fresh proposal for obtaining Environmental Clearance.
2. Project proponent has submitted that Forest Land is located at a distance of 350 meters as per N.O.C. obtained from D.F.O., Dhantari. Therefore it is viewed that distance from project land should/must be in accordance with the guidelines and rules made under F.C.A., 1980. To comply with guidelines, Project Proponent is directed to submit the proposal keeping requisite distance from the Forest Land to avoid any disturbance to flora and fauna and for Wildlife protection, along with action plan for conservation of flora and fauna.
3. Project proponent shall ensure mitigation measures to minimize the impact of mining on Public Service Centers such as schools, health centers etc.
4. It has been submitted that 07 cubic meter water per day shall be required for the instant project and water shall be made available through borewell and N.O.C. of C.G.W.A. has been submitted by Project Proponent. As per National Water Policy only surface water can be utilized for industrial purposes. Therefore Project Proponent is directed to clarify the source of water for the mining (industrial) project.

प्रतिक्रमण द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय किया गया:-

1. वृक्षों की प्रजातिका संरक्षण कर सूची फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

2. प्रस्तुत सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) प्रस्ताव के तहत Donation of books related to Environment Conservation & Amins के स्थान पर शौचालय में छात्र / छात्राओं के लिए पृथक-पृथक रनिंग वाटर फेंसीलिटी की सुविधा (यदि सुविधा न हो तो) हेतु संबंधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
3. उपरोक्त कार्यो के परिपेक्ष्य में परीक्षण कार्यांत जल्दुमा अनुशांसा किये जाने हेतु प्रकल्प को एस.ई.ए.सी., उत्तीर्णन के लक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

(ब) समिति की 481वीं बैठक दिनांक 11/08/2023

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर पाया गया कि प्राधिकरण द्वारा पायी गई जानकारी/दस्तावेज की परिष्कारण प्रस्तावक द्वारा दिनांक 07/08/2023 को प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार:-

1. प्लांट की प्रजातिवार संख्यांकन कर सूची फोटोग्राफ सहित जानकारी प्रस्तुत किये जाने के संकेत में कार्यालय वन अधिकारी, बरमजपगढ़ परिक्षेत्र द्वारा दिनांक 24/08/2023 को जारी पत्र अनुसार "स्थल का निरीक्षण किया गया, जिसमें घोंच, सेन्डा एवं अन्य छोटी झड़ियां मौजूद पर पाया गया। चूंकि वर्तमान में बरसात सीजन होने के कारण जल क्षेत्र NAA, गुजरल अर्थ में घना प्रतीत हो रहा है।" होता बताया गया है।
2. प्रस्तुत सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) प्रस्ताव के तहत Donation of books related to Environment Conservation & Amins के स्थान पर शौचालय में छात्र / छात्राओं के लिए पृथक-पृथक रनिंग वाटर फेंसीलिटी की सुविधा (यदि सुविधा न हो तो) हेतु किन्तानुसार संबंधित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
18.00	2%	0.3618	Following activities at Near by Govt. Primary School, Village-Sempalli Khurd	
			Runing Water Facility for Boys Toilets	0.15
			Runing Water Facility for Girls Toilets	0.20
			Plantation	0.41
			Total	0.76

3. सी.ई.आर. के अंतर्गत स्कूल परिसर में पुनरोपवन हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 30 नग पीछी के लिए राशि 1,500 रुपये, पेसिंग के लिए राशि 7,500 रुपये, छात्र के लिए राशि 1,500 रुपये, सिंचाई तथा राख-रखाव आदि के लिए राशि 8,500 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 19,000 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 22,000 रुपये हेतु पर्यवहार व्यव का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

4. सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित स्कूल के प्रधान अध्यापक (Head Master) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

5. प्राधिकरण द्वारा नोट किये गये तथ्यों के परिपेक्ष्य में समिति का निम्न मत है—

- विद्यार्थीय प्रकरण में उत्खनन हेतु भूमि स्वामियों के अनुबंध पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई है तथा संबंधित कार्यालय कलेक्टर (खनिज साख) द्वारा एन.ओ.आई. जारी की गई है।

- विद्यार्थीय प्रकरण में आवश्यकतानुसार कार्यालय कमन्स/हाथिकारी से जारी अनुमति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। साथ ही संबंधित खदान की दूरी वन क्षेत्र से 250 मीटर से अधिक है। अतः प्रस्तावित लीज क्षेत्र पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 लागू नहीं होता है।

- विभिन्न संरचनाओं से न्यूनतम दूरी बाबत – छत्तीसगढ़ शासन, खनिज संधन विभाग, मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 27/03/2015 के अन्वय-वी के बिन्दु क्रमांक 8(ग) में निम्न प्रावधान है—

“जो किसी पुल, राष्ट्रीय या राज्य राजमार्ग, रेलवे से, सभी दिशाओं में, 100 मीटर की दूरी के भीतर, प्रधानमंत्री दान सड़क योजना, मुख्यमंत्री दान सड़क योजना के अन्तर्गत निर्मित सड़क, लोक निर्माण विभाग की अन्य जिले के सड़कों से, सभी दिशाओं में, 60 मीटर के भीतर तथा ग्रामीण कच्चे रास्ते से, सभी दिशाओं में, 10 मीटर के भीतर या ग्रामीण मार्ग को छोड़कर, किसी सार्वजनिक स्थान से, सभी दिशाओं में, 60 मीटर के भीतर” का उल्लेख है।

विद्यार्थीय प्रकरण में सार्वजनिक क्षेत्र तथा स्कूल, हेल्थ सेंटर आदि की दूरी उपरोक्त अधिसूचना अनुसार निर्धारित दूरी से अधिक होने, प्रस्तावित खदान अपेक्षाकृत छोटे लीज क्षेत्र का होने तथा खदान उद्योग द्वारा प्रस्तावित पर्यावरण प्रबंधन एवं प्रदूषण नियंत्रण की सख्त व्यवस्था करने के कारण Mitigation measures to minimize the impact of mining on Public Service Centers such as schools, health centers etc. की आवश्यकता प्रतिपादित नहीं होती है।

- जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से किये जाने बाबत सेंट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है। चूंकि **MINISTRY OF JAL SHAKTI (Department Of Water Resources, River Development And Ganga Rejuvenation) (CENTRAL GROUND WATER AUTHORITY), New Delhi** द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 24/09/2020 में निम्न प्रावधान है—

“Exemptions from seeking No Objection Certificate: (v) Micro and small Enterprises drawing ground water less than 10 cum/day.”

विद्यार्थीय प्रकरण में जल खपत की मात्रा 10 घनमीटर/दिन से कम है। अतः औद्योगिक/कृषिकार्य (जल छिड़काव) में पृथक से अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता प्रतिपादित नहीं होती है।

उपरोक्त तथ्यों के अन्वय पर समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से पूर्ण में समिति की 487वीं बैठक दिनांक 24/05/2023 में की गई अनुमति के अन्वय पर पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने की अनुमति की गई थी एवं पुनः अनुमति की जाती है। साथ ही समिति द्वारा निहित किये गये शर्त क्रमांक 18 के तहत सी.ई.आर.

के अंतर्गत प्रस्तावित स्कूल में रनिंग वाटर एवं क्लोरिनेशन हेतु व्यय किया जाएगा। तदनुसार पूर्व में अनुसूचित पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्त को संशोधित किया जाए तथा समिति की 487वीं बैठक दिनांक 24/08/2023 में निहित की गई शर्त सहाय्य रहेगी।

समिति की 482वीं बैठक दिनांक 23/08/2023 में अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय के अंतर्गत आवेदित प्रकरण में सुद्धि पत्र (corrigendum) जारी किये जाने हेतु विचार किया गया, जो निम्नानुसार है-

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.) छत्तीसगढ़ की 481वीं बैठक दिनांक 11/08/2023 को आवेदित की गई थी। उक्त कार्यवाही विवरण के एजेन्डा आइटम क्रमांक-3 "नेसर्ल दिलीप बिल्डर्स लिमिटेड (सेमीपब्ली आर्किटेक्चर स्टोन स्वारी), डान-सेमीपब्ली, तहसील-बलरजयगढ़, जिला-रायगढ़ (सविवालय का नक्सा क्रमांक 2381)" के प्रकरण में पृष्ठ क्रमांक 82 पर समिति के निर्णय में सुद्धि पत्र (corrigendum) जारी किये जाने की अनुमति की गई-

"समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त कार्यवाही से पूर्व में समिति की 487वीं बैठक दिनांक 24/08/2023 में की गई अनुमति के आधार पर पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने की अनुमति की गई थी एवं पुनः अनुमति की जाती है। साथ ही समिति द्वारा निहित किये गये शर्त क्रमांक 18 के तहत सी.ई.आर. के अंतर्गत प्रस्तावित स्कूल में रनिंग वाटर एवं क्लोरिनेशन हेतु व्यय किया जाएगा। तदनुसार पूर्व में अनुसूचित पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्त को संशोधित किया जाए तथा समिति की 487वीं बैठक दिनांक 24/08/2023 में निहित की गई शर्त सहाय्य रहेगी।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्रतिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.) छत्तीसगढ़ को तदनुसार सूचित किया जाए।"

के स्थान पर

"समिति द्वारा चाचा गया कि प्रतिकरण द्वारा "We are of the view that whether the subject land belongs to General Category or SC/ST Category, which is required to be verified before considering the proposal. If subject land/project land belongs to Tribal Communities in that case we need to see whether a settled procedure has been adopted for obtaining consent of the land owners or not. Therefore, proposal is returned in the present form to Project Proponent and asked to submit fresh proposal for obtaining Environmental Clearance." के settled procedure हेतु विन्दु उठाये गये हैं। उक्त के संबंध में समिति का मत है कि परामर्श के संबंध में आवेदित खदान हेतु जारी एल.ओ.आई./सहमति प्राप्त भूमि अनुसूचित जनजाति व्यक्ति (सहमतिकर्ता) की भूमि है।

आतः समिति द्वारा पुनः विचार विमर्श उपरोक्त कार्यवाही से परियोजना प्रस्तावक द्वारा settled procedure का अनुचित पालन किया गया है अथवा नहीं? के संबंध में कलेक्टर, जिला-रायगढ़ से जानकारी नंगये जाने के लिए पत्र लेख किया जाए। साथ ही परियोजना प्रस्तावक को भी सूचित किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा settled procedure का अनुचित पालन नहीं किये जाने की स्थिति में आवेदित प्रकरण को डि-लिस्ट/निरस्त किये जाने की अनुमति की जाएगी एवं ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 2008 (यथा संशोधित) के तहत पालन करते हुए (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (SC/ST Category) के पर्यावरणीय हितों की रक्षा तथा संरक्षण के लिए प्रस्ताव सहित) पुनः आवेदन करने की अनुमति की जाएगी। अन्यथा की स्थिति में आवश्यक अधिन कार्यवाही की जाएगी।" ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 2008

(यथा संशोधित) के पैरा 5(घ) के तहत समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किये जाने हेतु समिति का गठन किये जाने का निर्णय लिया गया। एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ द्वारा उठाये गये विन्दुओं पर तथा ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 2008 (यथा संशोधित) एवं भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 29/10/2014 के अंतर्गत समिति स्थल निरीक्षण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी। स्थल का पूर्ण निरीक्षण कर वास्तुस्थिति से अनगत बनाने हेतु श्री एन. के. चन्दाकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, श्री विजय सिंह शुभ, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, डॉ. मोहम्मद रशीक खान, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति तथा क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायगढ़ को सम्मिलित करते हुये पत्र सदस्यीय समिति का गठन किया जाता है। पत्र सदस्यीय समिति स्थल का निरीक्षण करेगी तथा अद्यतन स्थिति से अनगत बनाने हुये कलरफुल फोटोग्राफ्स दिनांक सहित विन्दुवार निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए। अतः समिति से निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरान्त प्रस्ताव पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

श्री एन.के. चन्दाकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, श्री विजय सिंह शुभ, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, डॉ. मोहम्मद रशीक खान, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति तथा क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायगढ़ एवं परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए। साथ ही कलेक्टर, जिला-रायगढ़ को पत्र लेख किया जाए।

पढ़ा जाये।

साथ ही समिति द्वारा यह भी पाया गया कि समिति की 481वीं बैठक दिनांक 11/08/2023 का अनुमोदन होने के कारण वर्तमान में आवेदित प्रकरण (ऑनलाईन आवेदन - प्रयोजन नम्बर - एस.आई.ए./ सीबी/ एम.आई.ए./ 438822/ 2023, दिनांक 21/04/2023, सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2381) तदानींकी दृष्टिकोण से परिवेश पोर्टल में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के समक्ष है।

अतः समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को उपरोक्त तथ्यों से अनगत बनाने हुये कला प्रकल्प को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ को पुनः विचार किये जाने हेतु वापस भेजे जाने बाबत एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पत्र लेख किये जाने की अनुमति की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार - उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 28/10/2023 की संख्या 158वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से उपरोक्त तथ्यों के परिदृश्य में परीक्षण उपरान्त उपर्युक्त अनुमति किये जाने हेतु प्रकरण को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ एवं परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

- क. मेसर्स बस्तर बीटिंग्स प्राइवेट लिमिटेड (आयरेक्टर - श्री सुभाष चंद्राकर, राम-पुरगांव, तहसील-सोहाम्पीगुडा, जिला-बस्तर (सचिवालय का नक्सा क्रमांक 2417)

ऑनलाईन आवेदन - प्रोजेक्ट नम्बर - एसआईए/ सीजी/ आईएनबी2/428828/2023, दिनांक 12/08/2023 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - परियोजना प्रस्तावक द्वारा राम-पुरगांव, तहसील-सोहाम्पीगुडा, जिला-बस्तर स्थित पार्ट ऑफ लॉकर क्रमांक 592/1, कुल क्षेत्रफल-1.21 हेक्टेयर में पशुआ फ्लॉवर बेसड लिमिटेड मैनुफैक्चरिंग प्लांट क्षमता - 1 के.एल.सी. एवं पशुआ फ्लॉवर बेसड BML (country liquor) बीटिंग यूनिट क्षमता - 250 लीटर्स प्रतिदिन हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना का विनिर्देश रुपर 3.65 करोड़ होगा।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., जल्दीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/08/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण -

(क) समिति की 473वीं बैठक दिनांक 28/08/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 28/08/2023 द्वारा सूचना दी गयी है कि अचिरार्थ कारणों से आज बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः आगामी आवेजित बैठक में संभव ज्ञापन करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा उत्तमव्यवसायिकता से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में प्राप्ति हुई अधिल जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., जल्दीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/08/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ख) समिति की 482वीं बैठक दिनांक 23/08/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री सुभाष चंद्राकर, आयरेक्टर एवं पर्यावरण सलाहकार के रूप में मेसर्स गौरीगंज इन्फ्रास्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर की ओर से सुधी पूजा यादव उपस्थित हुए। समिति द्वारा नक्सा, प्रस्तुत जानकारों का अनावरण एवं परीक्षण करने पर निम्न विधिति प्राप्ति हुई-
1. निकटतम स्थित क्रियाकलापी संबंधी जानकारी -

- राष्ट्रीय राजमार्ग जवाही उत्तरबिंद 2.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। निकटतम रेलवे स्टेशन बड़े अरापुर 17.4 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। नौ दन्तरेवरी विमानवाहन, जयपुर 28.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 38.85 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 17 मीटर दूर है। इटावली नदी 3 कि.मी., नारणी नदी 3.8 कि.मी., कपरी नाला 8.8 कि.मी., मारकण्डी नदी 8.65 कि.मी. एवं तमरा नाला 13.65 कि.मी. दूर है। नाला संबंधित वन 8.8 कि.मी. दूर है।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 किलोमीटर की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय राजमार्ग, अन्धधारा, सेंट्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली वॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिबंधित किया है।

2. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र – उत्तराखण्ड के संबंध में ग्राम पंचायत सुरमांग का दिनांक 26/08/2023 एवं ग्राम रामा का दिनांक 23/08/2023 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. यू-साफिल – सी.एस.आई.डी.सी. के पत्र क्रमांक 7850, दिनांक 28/11/2022 द्वारा मद्रास सिस्टिजरी एवं जेनेरेशन यूनिट हेतु एल.ओ.आई. जारी की गई है। तापस्थल फर्तीसमड बायल एवं मेकर्स बस्तर सीटगिला प्राइवेट लिमिटेड के मध्य दिनांक 30/12/2022 को हुये लेण्ड रजिस्ट्री एवं लीज सीड की प्रती प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार लीज सीड 99 वर्ष अवधि दिनांक 30/12/2022 से 29/12/2121 तक की अवधि हेतु वैध है।
4. लेण्ड एरिया स्टेटमेंट –

S. No.	Land use	Area (m ²)	Area (%)
1.	Plant Area	2,420	20
2.	Green belt Area	3,893	33
3.	Open Area	4,235	35
4.	Road and Paved Area	1,452	12
Total		12,100	100

5. सी-मटेरियल –

S.No	Raw Material	Quantity	Source	Mode of Transport	Storage Details
1.	Mahua Flower	1.4 TPD	Domestic market	Covered Trucks	Closed Silo
2.	Chemicals				
a	Caustic soda flakes 100%	1.0 Kg/Day	Domestic market	Covered Trucks	Close Bags
b	Active dry yeast	23 Kg/Day		Covered Trucks	Covered containers
c	Caustic soda	1.0 Kg/Day		Covered Trucks	Covered containers
d	Sulfuric acid	1.0 liter/day		Covered Trucks	Covered containers
e	Hydrochloric acid	1.0 Liter/Day		Covered Trucks	Covered containers
f	Hydrated lime	1.0 Kg/Day		Covered Trucks	Covered containers
g	Antiscalant	1.0 Kg/Day		Covered Trucks	Cold Storage
3.	Fuel				
a	Agro waste (Rice husk)	5 TPD	Domestic market	Covered Trucks	Covered Shed
b	HSD	50 Liter/Hour	Near by fuel station	Closed tank	Closed tank in covered Shed

समिति का मत है कि सी-मटेरियल हेतु उपयोग किये जाने वाले मद्रास प्लंट की व्यवस्था के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

e. प्रस्तावित इकाई संबंधी जानकारी -

S. No.	Unit	Capacity	Proposed Product
1.	Distillery (Pot Still with column arrangement distillation unit)	1.0 KLD	Mahua Flower based spirit
2.	Bottling line	250 Cases per day	Mahua Flower based MFL (Potable Country liquor)

7. वन विभाग का अनामति प्रमाण पत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि परियोजना से निकलतम वन क्षेत्र की वार्षिक दूरी के संबंध में वन विभाग से अनामति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन किया गया है, जो प्रक्रियाधीन है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा फाईनल ई.आई.ए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले अण्डरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
8. उत्तीर्णताद्वय साभान एवं उत्तीर्णताद्वय माईनर फॉरेस्ट प्रोब्लुमस सी-ओलेटिंग पेंडिंग तथा मैसर्स बसतर् सीटैल्स प्राईवेट लिमिटेड के मध्य दिनांक 19/05/2022 को हुए त्रि-पक्षीय एच.ओ.यू. (TRI-PARTITE MEMORANDUM OF UNDERSTANDING) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था – पेटेरियल हैंडलिंग एवं ट्रांसफर माइंट्स में डस्ट कलेक्टर लगाया जाना प्रस्तावित है। बीवलर से होने वाले डस्ट उत्सर्जन को नियंत्रण हेतु बेग फिल्टर एवं 11 मीटर ऊंचाई की विमनी स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। बीवलर क्षमता 1.2 टन प्रतिघंटा की स्थापना प्रस्तावित है। विमनियों में ऑन-लाईन कंटिन्यूअस एमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम की स्थापना प्रस्तावित है। UASB/CSTR रिफ्लक्टर में इन्फारेड कैमरा लगाया जाना प्रस्तावित है। अंतरिक मार्गों का पर्यवेक्षण किया जाना प्रस्तावित है। प्बुलिट्रीव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था की जाएगी। समिति का मत है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी माईक लाईन्स के अनुसार विमनी की ऊंचाई न्यूनतम 30 मीटर रखा जाना आवश्यक है।

10. वीस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था -

Particulars	Quantity	Disposal
Industrial Solid Wastes		
Mahua flower residue	0.40 TPD	Converted to organic manure & used for plantation within premises/handed over to farmers
Boiler ash	0.06 TPD	Handed over to brick manufacturing units.
ETP Sludge	0.10 TPD	Handed over to brick manufacturing units.
STP Sludge	0.002 TPD	Used as manure within plant premises.
Hazardous Solid Waste		
Discarded Drums / Barrels / Empty Containers	0.10 TPA	Will be sent to Authorized recyclers Nearest TSDF Site.
Used/ Spent Oil	0.10 KLA	Will be sold to registered recyclers

11. जल प्रबंधन व्यवस्था -

- जल खपत एवं सर्वोत्त - प्रस्तावित परिप्रेक्ष्यता हेतु कुल 19.8 घनमीटर प्रतिदिन (बीचलर में 4.5 घनमीटर प्रतिदिन, प्रोसेस में 5.5 घनमीटर प्रतिदिन, कुलिंग टॉवर मेकअप में 2 घनमीटर प्रतिदिन, वेस्ट ट्रीटमेंट बेकवॉश में 1 घनमीटर प्रतिदिन, ऐश खनिकन में 0.8 घनमीटर प्रतिदिन, क्लोरोगन के लिए 5.3 घनमीटर प्रतिदिन एवं घरेलू उपयोग हेतु 0.5 घनमीटर प्रतिदिन) का उपयोग किया जाएगा। कुल 19.8 घनमीटर प्रतिदिन जल में से केस जल की आवश्यकता 8 घनमीटर प्रतिदिन की आवश्यकता होगी तथा शेष जल को पुनः उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि जल की आपूर्ति का सर्वोत्त एवं संबंधित विभाग से अनुमति प्राप्त कर ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

- जल इस्तेमाल नियंत्रण व्यवस्था - बीचलर से उत्पन्न दूषित जल को पुनः चक्रण कर उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। प्रक्रिया से 5.5 घनमीटर प्रतिदिन, कुलिंग टॉवर से 2 घनमीटर प्रतिदिन, ऐश खनिकन से 0.8 घनमीटर प्रतिदिन एवं अन्य से 0.3 घनमीटर प्रतिदिन (इस प्रकार कुल 8.8 घनमीटर प्रतिदिन) दूषित जल उत्पन्न होगा, जिसके उपचार हेतु ई.टी.पी. क्षमता 10 घनमीटर प्रतिदिन स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। ई.टी.पी. में कंटीन्यूअस एक्ल्यूजेंट मॉनिटरिंग सिस्टम, फ्लो मीटर एवं पी.टी.जेड. कॅन्स की स्थापना प्रस्तावित है। उपचारित दूषित जल 8.8 घनमीटर प्रतिदिन को पुनः उपयोग किया जाना प्रस्तावित है।

घरेलू दूषित जल की मात्रा 0.4 घनमीटर प्रतिदिन होगी, जिसके उपचार हेतु एनबीबीआर तकनीक आधारित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता 1 घनमीटर प्रतिदिन स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। उपचारित दूषित जल 0.3 घनमीटर प्रतिदिन को क्लोरोगन हेतु उपयोग किया जाएगा। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाएगी।

- प्रस्तुतीकरण के दौरान परिप्रेक्ष्यता प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि ऊष्म प्रक्रिया से जनित स्टीम वॉश को ई.टी.पी. से उपचारित किया जाएगा। इस संबंध में समिति का मत है कि मट्टा फ्लायर आधारित रिचरिड (Slip) एवं एल्कोहल (Liquor) के उत्पादन प्रक्रिया से जनित स्टीम वॉश को उचित उपचार हेतु केन्द्रीय इस्तेमाल नियंत्रण बोर्ड से मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए पत्र लेख किया जाना आवश्यक है।

- भू-जल उपयोग प्रबंधन - उद्योग स्थल सेंट्रल घाउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार सैफ जोन में आता है। जिसके अनुसार-

(अ) कुंड एवं नयन उद्योगों को कम से कम 40 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।

(ब) घाउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अन्याई नई तकनीक तथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग / ऑर्टिफिशियल जल रिचार्ज के अन्तर्गत भू-जल निरुद्ध होने की अनुमति सेंट्रल घाउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान है। अतः उद्योग को रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

- ऐन बीटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था – ऐन बीटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था की विस्तृत विवरण/जानकारी फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।
- 12. ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था – प्रस्तावित प्रक्रिया से उत्पन्न ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रण हेतु साईलींग एवं डैम्पर्स की स्थापना किया जाना, परिवार के बच्चों और सभ्य कृषारोपण किया जाना, कर्मचारियों को पी.पी. किट दिया जाना प्रस्तावित है। डी.जी. सेट एक्वेस्टिक एक्वोजनर मुक्त होनी, जिससे ध्वनि प्रदूषण नवम्ब होनी। साथ ही समय समय पर ध्वनि स्तर का मापन किया जाना प्रस्तावित है।
- 13. विद्युत आपूर्ति स्वीट – परिवर्धना हेतु कुल 25 किलोवाट विद्युत की आवश्यकता होगी। विद्युत की आपूर्ति जलौलण्ड राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से की जाएगी। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु 30 क्वी.ए. का 1 डी.जी. सेट का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। विमनी की ऊंचाई सी.पी.सी.बी. नाईडलाईन्स के अनुसार कम से कम 3.5 मीटर रखा जाना प्रस्तावित है।
- 14. कृषारोपण संबंधी जानकारी – हरित परिटिका के विकास हेतु कुल क्षेत्रफल के 0.4 हेक्टेयर (33 प्रतिशत) क्षेत्र में कृषारोपण किया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि हरित परिटिका का क्षेत्रफल 33 प्रतिशत से बढ़ाकर न्यूनतम 40 प्रतिशत किया जाना आवश्यक है एवं कृषारोपण हेतु (पीपी की संख्या सहित) पीपी का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का वर्मेशन घटकवार एवं समझदार व्यव का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव के.एन.एल. फाईनल सहित फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
- 15. प्रस्तुतीकरण के दौरान परिवर्धना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि डेसलाईन बाय कलेक्शन का कार्य मार्च, 2023 से मई, 2023 तक मध्य किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपर्युक्त सर्वसम्मति से प्रकल्प बी-1 कंटेनरी का होने के कारण भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैंडर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज निस्वाधिन इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अफ्टर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित सेमी ड्रॉई डिस्टिलरी (Distillery) का स्टैंडर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) निम्न अतिरिक्त बिन्दुओं सहित जारी किए जाने की अनुमति की गई-

- i. Project proponent shall submit technical details of proposed plant with process flowchart and layout plan with KML file.
- ii. Project proponent shall submit the mechanism of procurement of mahua flowers from the market.
- iii. Project proponent shall submit an affidavit that he will follow all actrules of MFP collection, storage transport etc, excise actrules & PEISA actrules made by government time to time.
- iv. Project proponent shall submit NOC from Concern department for usage of water.
- v. Project proponent shall ensure to submit the NOC from GREDA (CHHATTISGARH STATE RENEWABLE ENERGY DEVELOPMENT AGENCY) for use of rice husk as a fuel in boiler.

- vi. Project proponent shall submit the NOC from competent authority mentioning distance between project boundary to forest boundary /National park/ Sanctuary.
- vii. Project proponent shall submit the details of emission of gas from fermentation unit and shall submit preventive measures.
- viii. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.
- ix. Project proponent shall submit calculation regarding total storm water received in the premises, potential of rain water harvesting and quantity to be harvested along with details of proposed structures in EIA report.
- x. Project proponent shall submit details of Traffic impact study report.
- xi. Project proponent shall submit stack height proposal of minimum 30 meter (Boiler and Other units) as per the guidelines issued by CPOB from time to time.
- xii. Project proponent shall submit details of DG set alongwith stack height calculation.
- xiii. Project proponent shall undertake noise study and submit noise level report based on modelling (worst and best case scenario).
- xiv. Project proponent shall submit details of water balance chart.
- xv. Project proponent shall submit details of ETP & STP with process flow diagram and proposal for maintaining zero discharge condition.
- xvi. Project proponent shall submit details of air pollution control equipments alongwith stack height and pollution load calculation.
- xvii. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.
- xviii. Project proponent shall carryout Social Impact Assessment & Socio Economic Survey in the project influenced area i.e. 10 km radius from the project site and included as part of EIA report.
- xix. Project proponent shall carry out Impact Assessment Study on flora, fauna & possible loss in biodiversity in the project influenced area and incorporate in the EIA report.
- xx. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.
- xxi. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.
- xxii. Project Proponent shall submit proposal in detail for preparing and maintaining green belt of minimum 40% of the total plot area, in case there is restriction of land availability within plant premises for minimum 40% green belt development, then the unit shall carry 33% green belt development within the plant premises and balance plantation within a radius of 05 km from its premises to achieve the required plantation target of minimum 40%.

- xxiii. Project proponent shall submit the details of plantation undertaken during the current year & shall submit the details of proposed plantation incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintenance cost for atleast 5 years and the detailed DPR alongwith photographs in the EIA report.
- xxiv. Project proponent shall submit the energy saving techniques proposed in the project.
- xxv. Project proponent shall submit CER proposals of plantation with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा महुआ फलानर आधारित स्प्रिट (Spirat) एवं एल्कोहल (Liquor) के उत्पादन प्रक्रिया से जनित स्पेट वीस को ई.टी.पी. से उपचारित किया जाएगा। इस संबंध में महुआ फलानर आधारित स्प्रिट (Spirat) एवं एल्कोहल (Liquor) के उत्पादन प्रक्रिया से जनित स्पेट वीस के उचित अपवहन हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से मार्गदर्शन प्राप्त किये जाने हेतु पत्र लेख किये जाने की अनुशंसा की गई।

प्राथिकरण द्वारा बैठक में विचार - उपरोक्त प्रकरण पर प्राथिकरण की दिनांक 26/10/2023 को संख्या 168वीं बैठक में विचार किया गया। प्राथिकरण द्वारा नसी का अवलोकन किया गया। प्राथिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया-

1. समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुए उपरोक्तानुसार टर्म ऑफ रेकॉन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी करने का निर्णय लिया गया।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा महुआ फलानर आधारित स्प्रिट (Spirat) एवं एल्कोहल (Liquor) के उत्पादन प्रक्रिया से जनित स्पेट वीस को ई.टी.पी. से उपचारित किया जाना प्रस्तावित है। इस संबंध में महुआ फलानर आधारित स्प्रिट (Spirat) एवं एल्कोहल (Liquor) के उत्पादन प्रक्रिया से जनित स्पेट वीस के उचित अपवहन हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से मार्गदर्शन प्राप्त किये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को टर्म ऑफ रेकॉन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी किया जाए। साथ ही केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से मार्गदर्शन प्राप्त किये जाने बाबत पत्र लेख किया जाए।

10. मेसर्स बहुर स्टोन माप्टावर्स (पार्टेनर- श्री हरेश बहुर, धीरामाया सोलोमार्डि माईन), धाम-धीरामाया, राहसोल-बिला, जिला-बिलासपुर (सचिवालय का नसी क्रमांक 1884)

ऑनलाइन आवेदन - पूर्व में प्रोजेक्ट नम्बर - एस्आईए / सीजी / एमआईएन / 82948 / 2021, दिनांक 10/12/2021 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रोजेक्ट नम्बर - एस्आईए / सीजी / एमआईएन / 429407 / 2023, दिनांक 16/06/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईनल ई. आई. ए. रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित डोलेमाईट (पीन खनिज) खदान है। खदान ग्राम-बीरामादा, तहसील-बिला, जिला-बिलासपुर स्थित खण्ड क्रमांक 25, 26/2, 27, 28, 29/1, 29/2 एवं 29/3 कुल क्षेत्रफल-3.663 हेक्टेयर है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-1,50,000 टन प्रतिवर्ष है।

पूर्व में एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञान दिनांक 07/08/2022 द्वारा प्रकल्प 'बी1' कोटेगी का होने के कारण माछ सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैम्पर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) और ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट और प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज रिक्वायरिंग इन्वायर्समेंट क्लीयरेंस अन्धर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैम्पर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) जारी किया गया है।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञान दिनांक 17/08/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 482वीं बैठक दिनांक 23/08/2023

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री विनेश कुमार झा, पार्टनर एवं पर्यावरण सलाहकार के रूप में मेसर्स पी एच एम सॉल्युशन्स, नोएडा, उत्तराखण्ड की ओर से श्री राहुल कुमार उपस्थित हुए। समिति द्वारा नसी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण- इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. ग्राम पंचायत का अनामति प्रमाण पत्र – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत बीरामादा का दिनांक 20/10/2021 का अनामति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. उत्खनन योजना – क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो अतिरिक्त संचालक, संचालकालय, मीनिंगी टावा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्रमांक 5062/माईनिंग-2/स्यूपी./एन.न. 08/2021 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 01/10/2021 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान – कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा, जिला-बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 1474/खनि/न.क्र./2022 बिलासपुर, दिनांक 24/08/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 8 खदानें, क्षेत्रफल 24.888 हेक्टेयर है।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं – कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा, जिला-बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 1008/खनि/न.क्र. 19/2021, बिलासपुर, दिनांक 27/09/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार एकता खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, स्कूल, पुल, बांध, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग, एन-कॉट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. एल.ओ.आई. संबंधी विवरण – एल.ओ.आई. छत्तीसगढ़ शासन, खनिज संधन विभाग, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्रमांक एक 2-3/2018/12, नवा रायपुर दिनांक 15/08/2021 द्वारा जारी किया गया है।

जिसमें पैर ३ में "उत्खनन पट्टा क्षेत्र में खनन कार्य हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत खनन कार्य हेतु आवश्यक पर्यावरण अनुमति प्राप्त कर इस विभाग को प्रस्तुत की।" का उल्लेख है।

7. **भू-स्वामित्व** - भूमि उत्खनन क्रमांक 25, 26/2, 29/1, 29/2 मेंसरल शाह स्टोन सप्लायर, खसरा क्रमांक 27 श्री मोहन, खसरा क्रमांक 28 श्री छोटबु, खसरा क्रमांक 29/3 श्रीमती सोनकुंवर के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामियों की सहमति पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई है।

मेंसरल शाह स्टोन सप्लायर में श्री हरीश कुमार शाह, श्री सतीश कुमार शाह एवं श्री निरीश कुमार शाह पार्टनर्स हैं। इस संबंध में पार्टनरशिप डीक की प्रति प्रस्तुत किया गया है।

8. **डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट** - वर्ष 2019 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. **इस विभाग का अनुमति प्रमाण पत्र** - कार्यालय जनसंख्याधिकारी, विलासपुर जलमण्डल, जिला-विलासपुर के द्वारा क्रमांक/एक.अधि./4183 विलासपुर, दिनांक 05/11/2015 से जारी अनुमति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
10. **महावपूर्ण संरचनाओं की दूरी** - निकटतम अबादी ग्राम-बीरभाटा 800 मीटर, खुल ग्राम-बीरभाटा 1.48 कि.मी. एवं जलताल ग्राम-बीरभाटा 1.38 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1.4 कि.मी. दूर है। मनिकरी नदी 1.1 कि.मी. दूर है।
11. **परिस्थितिकीय/जैविकीयता सर्वेदनशील क्षेत्र** - परिवोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अमावास्या, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्युटेड एरिया, परिस्थितिकीय सर्वेदनशील क्षेत्र या घोषित जैविकीयता क्षेत्र स्थित नहीं होने प्रमाणित किया है।
12. **खनन संयोज्य एवं खनन का विवरण** - जियोलॉजिकल रिजर्व 39,45,789 टन एवं माईनेबल रिजर्व 14,78,207 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 8,773 वर्गमीटर है। खोपन कास्ट मेंकनडाईन्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 38.5 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी/ओवर बर्डन की मोटाई 0.25 मीटर से 0.5 मीटर है। बेच की ऊंचाई 5 मीटर एवं चौड़ाई 5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 12 वर्ष है। रीक ड्रेजिंग का उपयोग एवं ब्लॉस्टिंग किया जाएगा। लीज क्षेत्र में अकार स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। सर्वेक्षण प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	50,000	षष्ठम	1,50,000
द्वितीय	70,000	सप्तम	1,50,000
तृतीय	75,000	अष्टम	1,50,000
चतुर्थ	1,00,000	नवम	1,50,000
पंचम	1,50,000	दशम	1,50,000

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 8 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति बोस्टेल के माध्यम से की जायेगी। इस कार्य सेन्ट्रल वायुमंडल बोर्ड अथॉरिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।
14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में कुल 1,358 नम वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 1,358 नम पीपों के लिए राशि 1,02,980 रुपये, छाद के लिए राशि 10,140 रुपये, पेंटिंग के लिए राशि 2,10,700 रुपये, सिंचाई के लिए राशि 1,20,000 रुपये एवं राख-रखाव आदि के लिए राशि 1,48,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में राशि 5,89,820 रुपये एवं आगामी 4 वर्षों में कुल राशि 9,09,120 हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।
15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उलखान** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उलखान कार्य नहीं किया गया है।
16. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विस्तरेण :-**

- i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – मॉनिटरिंग का कार्य मार्च 2022 से मई 2022 के माध्यम किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 10 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर भू-जल गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 2 स्थानों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 8 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विस्तरेण किया गया है।
- ii. **मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पीएन, एसओ₂, एनओ₂ का सामान्य लेवल-**

Concentration level ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) of criteria pollutants			
Criteria Pollutants	Minimum ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Maximum ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	CPCB Standard ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
PM ₁₀	20.18	38.32	60
PM _{2.5}	30.21	51.47	100
SO ₂	10.18	34.78	80
NO ₂	10.08	28.81	80

- iii. **परियोजना स्थल के आसपास जल स्रोतों की गुणवत्ता-** ई.आई.ए. के Chapter Description of environment में दर्शाये गये टेबल अनुसार क्लोराइड, नाइट्रेट्स, सल्फर, कार्बोनेट्स, आयनिक एवं अन्य रसायनिक तत्वों का सामान्य लेवल भारतीय मानक से कम है।
- iv. **परिवेशीय ध्वनि स्तर-**

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	Minimum dB (A)	Maximum dB (A)	CPCB Standard dB (A)
Day L _{eq}	37.21	58.12	75
Night L _{eq}	31.18	42.32	70

जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है।

- v. **पी.सी.यू. की गणना-** भारी वाहनों / मल्टीएक्सल हेवी वाहनों को समाहित करते हुये ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार वर्तमान में 2,800 पी.सी.यू. प्रतिदिन एवं की/सी अनुपात 0.18 है। प्रस्तावित परियोजना वसंत 300 पी.सी.यू. की वृद्धि होगी। तत्पश्चात् कुल 3,100 पी.सी.यू. प्रतिदिन एवं की/सी अनुपात (MC ratio) 0.2 होगी। जिससे कि

उपरोक्त भी टी-स्टेटिस्टिक / प्रोबैबल के परिकल्पन हेतु सड़क मार्ग की लंबी खींच क्षमता निर्धारित मानक (Standard) के भीतर है।

vi. जी.एल.सी. की गणना-

S No.	Parameters	Baseline at project site (98 %) ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Predicted GLC ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) ISCST3	Total GLC ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
1	PM ₁₀	41.35	6	47.35

समिति द्वारा पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा पी.एम. 2.5, सल्फन डाइसाईडेट्स, नाइट्रोजन डाइसाईडेट्स के जी.एल.सी. की गणना कर जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।

vii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा फ्लोरा (Flora) एवं फौना (Fauna) की जानकारी प्रस्तुत किया गया है।

17. लोक सुनवाई दिनांक 27/01/2023 को प्रातः 11:00 बजे स्थान - शास्त्रीय हाई स्कूल परिसर बल गौरावाटा, उहरील-बिन्हा, जिला-मिर्जापुर में संपन्न हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, उत्तीर्णगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर के पत्र दिनांक 18/02/2023 द्वारा प्रेषित किया गया है।

18. जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं-

- हैवी स्टाफिंग होता है, जिससे गांव में कच्चे मकानों में दरार हो रहा है।
- खदान खेत से लगा हुआ है, जिसके कारण खेत में पानी नहीं सकता और सूखा पड़ जाता है। साथ ही स्टाफिंग से पत्थर छिटक कर खेतों में आते हैं।
- पक्के सड़क की कोई व्यवस्था नहीं किया गया है, जिसके कारण नगी में बूल और बरसात में कीचड़ की समस्या से जूझ रहे हैं।
- स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाए।

लोक सुनवाई के दौरान उठाने गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावकों की ओर से उचित/अव्यक्त/अनिर्णयित/असमर्थित का कथन निम्नानुसार है-

- स्टाफिंग का कार्य अनुभवी कंस्ट्रक्टर की निगरानी में ही कंट्रोल स्टाफिंग किया जाएगा। स्टाफिंग निम्नस्तर पर किया जाना प्रस्तावित है।
- खदान के घाटी तथा सड़क सड़क सुधार करने तथा जलसत पड़ने पर तीन मीट से घेराव करके जिससे पत्थर खेतों पर मत जाये।
- बूल के उत्सर्जन को रोकने के लिए सड़क पर दिन में दो से तीन बार पानी का छिड़काव किया जाएगा तथा खदान के घाटी और सुधारण किया जाएगा। कीचड़ वाली जगह पर खदान के मिट्टी से रोड मैटेनेंस कलाया जायेगा।
- प्रारम्भिकता के आधार पर स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाएगा।

19. कलस्टर हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान – परिचोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवेदित खदान को शामिल करती हुई कलस्टर में कुल 9 खदानें आती हैं। अतः कलस्टर में शामिल खदानों द्वारा कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है। कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान के तहत निम्न कार्य प्रस्तावित हैं:-

विवरण		प्रथम (रुपये)	द्वितीय (रुपये)	तृतीय (रुपये)	चतुर्थ (रुपये)	पंचम (रुपये)
पट्टीय मार्ग 3 कि.मी. के दोनों तल्ल (2,000 नग) इन्फ्रास्ट्रक्चर हेतु	इन्फ्रास्ट्रक्चर (90 प्रतिशत जीवन दर) हेतु रशि	1,52,000	15,200	15,200	15,200	15,200
	टि-गार्ड हेतु रशि	18,00,000	—	—	—	—
	खाद हेतु रशि	15,000	1,500	1,500	1,500	1,500
	सिंचाई, रख-रखाव एवं अन्य कार्य हेतु रशि	9,48,000	7,48,000	7,48,000	7,48,000	7,48,000
कुल रशि = 57,73,800		27,18,000	7,84,700	7,84,700	7,84,700	7,84,700

कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान में परिचोजना प्रस्तावक की सहभागिता निम्नानुसार होगी:-

विवरण		प्रथम (रुपये)	द्वितीय (रुपये)	तृतीय (रुपये)	चतुर्थ (रुपये)	पंचम (रुपये)
पट्टीय मार्ग के दोनों तल्ल बीटल (180 नग) इन्फ्रास्ट्रक्चर हेतु	इन्फ्रास्ट्रक्चर (90 प्रतिशत जीवन दर) हेतु रशि	14,440	1,444	1,444	1,444	1,444
	टि-गार्ड हेतु रशि	1,52,000	—	—	—	—
	खाद हेतु रशि	1,440	150	150	150	150
	सिंचाई, रख-रखाव एवं अन्य कार्य हेतु रशि	1,26,257	61,257	61,257	61,257	61,257
कुल रशि = 5,45,541		2,94,137	62,851	62,851	62,851	62,851

20. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परिचोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर.
(Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समझ विस्तार से कार्य
उपरोक्त निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
120	2%	2.4	Following activities at Village- Dhaurschata	

			Pavitra Nirman	Van	15.49
			Total		15.49

सी.ई.आर. के अंतर्गत "ध्वंस वन निर्माण" के तहत (नीम, आम, जर्ज, कदम, जामुन, अजोला, जमलतास, बड, पीपल आदि) कृषाटीपन हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 1,262 नम पीपल के लिए राशि 95,912 रुपये, खैरिंग के लिए राशि 2,81,818 रुपये, खाद के लिए राशि 9,450 रुपये, सिंचाई के लिए राशि 1,20,000 रुपये तथा रस-रसख आदि के लिए राशि 1,58,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 8,42,978 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 9,08,144 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा हाल हाल पंचायत चौकबाज के सहमति उपरोक्त कृषाटीपन स्थान (खसरा क्रमांक 327, क्षेत्रफल 1.25 एकड़) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

21. ब्लस्टर हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान तैयार कर समस्त खदानों को एक नक्शे में प्रदर्शित करते हुए जानकारी प्रस्तुत किया गया है।
22. ब्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों के लिए तैयार कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान हेतु सभी खदानों को अज्ञात एवं देहातर सहित नक्शे में दर्शाते हुए पुनर्विहित कर प्रस्तुत किया गया है।
23. जनसुनवाई के दौरान विभिन्न कुर्बी के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रामीणों के समक्ष दिये गये आश्वासन को पूरा करने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
24. प्रतीकवाद आदर्श पुनर्वास नीति के तहत स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
25. कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट के तहत तय की गई राशि का उपयोग पर्यावरण के हित में किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
26. लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में खैरिंग लगाकर कृषाटीपन कार्य किया जाएगा। लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी एवं कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान के तहत किये जाने वाले कृषाटीपन तथा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित कार्य की जानकारी ड्रिफ्टिंग (Drifttag) फोटोग्राफ्स सहित अर्थात्निक रिपोर्ट में समाहित करती हुये प्रस्तुत किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
27. ब्लॉस्टिंग का कार्य डी.जी.एस.एस. द्वारा अधिकृत बिल्डिंग लाइसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
28. ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर निर्धारित स्थान पर ही भंडारित कर संरक्षित रखे जाने हेतु, मिट्टी का दुरुपयोग न करने, विक्रय न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी का उपयोग पुनर्वास में किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

29. माइनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सामान्य कुआरोंपन किये जाने एवं संश्लेषित पानी का सल्वाइवल रेट (Survival rate) 80 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत सामान्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
30. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनेरल्स कन्सेशन नियम (Minerals Concession Rules) के तहत बाउन्ड्री विस्तर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत सामान्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
31. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सामान्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में ललित नहीं है।
32. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सामान्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना क्र.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई प्रलंबन का प्रकरण ललित नहीं है।
33. समिति द्वारा निहित किए गए शर्तों का पालन किये जाने बाबत सामान्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
34. भविष्य में पर्यावरणीय सवीकृति प्राप्त किये बिना उत्खनन नहीं करने एवं उत्खनन क्षमता से अधिक उत्खनन कार्य नहीं किये जाने बाबत सामान्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
35. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत सामान्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
36. फ्लुजिटिव जस्ट सासर्जन के नियंत्रण हेतु नियमित जल विश्लेषण किये जाने बाबत सामान्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
37. आवेदित क्षेत्र में स्थित कुओं की प्रजातियों की जानकारी प्रस्तुत किया जाएगा। साथ ही जल कुओं की आवश्यकता पड़ने पर ही कटाई रखान प्राधिकारी से अनुमति उपरांत ही किये जाने बाबत सामान्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
38. सी.ई.आर. के अंतर्गत किये जाने वाले कुआरोंपन का 05 वर्षों तक रख-रखाव किये जाने बाबत सामान्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
39. जो भी अतिरिक्त मिट्टी निकलेगी उसको बैरियर जोन (7.5 मीटर) में एक मीटर की ऊंचाई में ढेर किया जाएगा, इस आदेश का बाबत सामान्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
40. सी.ई.आर. कार्य एवं 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में कुआरोंपन कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (प्रोक्साईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या उत्खनन पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में कुआरोंपन का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि-पक्षीय समिति के सहायित कतया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया—

1. कार्यालय कलेक्टर खनिज सख्त, जिला-बिलासपुर के ज्ञान क्रमांक 1474/ख.नि./स.स./2023 बिलासपुर, दिनांक 24/08/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 8 खदानें, क्षेत्रफल 34.889 हेक्टेयर हैं। आवेदित खदान (ग्राम-धीरमाठा) का क्षेत्रफल 3.853 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम-धीरमाठा) को मिलाकर कुल क्षेत्रफल 38.742 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 8 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण यह खदान सी-1 श्रेणी की मानी गयी।
2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2008 (सब संशोधित) के प्रावधानों एवं माननीय एन. जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार कलक्टर में आने वाली खदानों की सख्तनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले प्रभावों की संरक्षण हेतु कलक्टर में आने वाले समस्त खदानों को शामिल करती हुई, कलक्टर हेतु कठिन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवेलपमेंट प्लान तैयार किये जाने तथा क्रियान्वित करने हेतु संचालक, संचालनालय, भूमिहीन तथा खनिजन, इटावली भवन, नया रायपुर अटल नगर, जिला - रायपुर (छत्तीसगढ़) के स्तर से उपयुक्त कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाय।
3. पी.एम. 2.5, सख्तन आउटसाईड्स, नाइट्रोजन आउटसाईड्स के जी.एस.टी. की गणना कर जानकारी को एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सख्त अनुमति की जाती है।
4. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से आवेदक - मेसर्स राहु स्टोन क्वलिटर्स (पार्टनर- श्री हरीश राहु, धीरमाठा खोलीमाईट माईन्) को ग्राम-धीरमाठा, तहसील-बिला, जिला-बिलासपुर के खसत क्रमांक 26, 28/2, 27, 28, 29/1, 29/2 एवं 29/3 में स्थित खोलीमाईट (नीम खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल-3.853 हेक्टेयर, सख्तनन क्षमता-1,50,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुमति की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार - उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 26/10/2023 को संजून 138वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा सख्त का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. समिति की अनुमति की स्वीकार करती हुई आवेदक - मेसर्स राहु स्टोन क्वलिटर्स (पार्टनर- श्री हरीश राहु, धीरमाठा खोलीमाईट माईन्) को निम्नानुसार अतिरिक्त शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया:-
 1. सी.ई.आर. के तहत ई.एम.पी. के तहत तथा 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में किये जाने वाले वृक्षारोपण का सत्यापन वन विभाग के सख्त अधिकारी अथवा वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण के सत्यापन हेतु अधिकृत संस्थाओं (आई.आई.टी.) से अनुमोदन कराकर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करती हुई एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाय।

- a. सी.ई.आर. को अंतिम प्रतिवेदन बन निर्माण के तहत किये जाने वाले क्लारिफिकेशन के माध्यम से प्रोजेक्टिंग फोटोग्राफ्स सहित अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए. उत्तीर्णता को प्रेषित किया जाए।
- b. लोकसुनवाई के दौरान उठाये गये समस्त मुद्दों के निराकरण हेतु किये जाने वाले कार्यों की जानकारी/रिपोर्ट अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए. उत्तीर्णता को प्रेषित किया जाए।
- c. इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्लान के तहत प्रतिवर्ष किये जाने वाले इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्टिंग कार्य तथा पर्यावरणीय सलाहकार (Environmental Consultant) के नाम सहित जानकारी अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए. उत्तीर्णता को प्रेषित किया जाए।

सब्सिडी समिति द्वारा निर्धारित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित नहीं किये जाने की स्थिति में विहित कानूनी एवं प्रशासनिक कार्यवाही की जाएगी।

2. पी.एम. 2.5, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के जी.एस.सी. की गणना कर जानकारी (प्रस्तुत जानकारी केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसूच्य होने की दृष्टिगत) प्रस्तुत किये जाने के तुरन्त परियोजना प्रस्तावक को ससर्त पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को ससर्त पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

11. बेसर्स महावीर कोल वॉशरीज प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम-खरगहनी, तहसील-कोटा, जिला-बिलासपुर (सचिवालय का पत्ता क्रमांक 2043)

ऑनलाईन आवेदन - पूर्व में प्रयोजन नम्बर एसआईए/ सीजी/ सीएमआईएन/ 77245/ 2022, दिनांक 26/08/2022 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रयोजन नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 433840/2023, दिनांक 29/08/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाइनल ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

प्रस्ताव का विवरण - यह अमरा विस्तार का प्रयोजन है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम-खरगहनी, तहसील-कोटा, जिला-बिलासपुर स्थित खरात क्रमांक पार্ট ऑफ 79/1, 78, 85, 80, 81, 82, 84, 87, 88/2, पार্ট ऑफ 85, 86, 89/1, 89/1, 88/2, पार্ট ऑफ 79/2, पार্ট ऑफ 93/1, 90/3, कुल क्षेत्रफल - 18.37 एकड़ में संघारित कोल वॉशरी क्षमता-0.99 मिलियन टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर कोल वॉशरी क्षमता-2.48 मिलियन टन प्रतिवर्ष के विस्तार हेतु आवेदन किया गया है। वर्तमान में परियोजना का विनियोग 22 करोड़ है। अमरा विस्तार तुरन्त परियोजना का कुल विनियोग रुपये 25 करोड़ होगा।

पूर्व में एस.ई.ए.सी. उत्तीर्णता के अभाव क्रमांक 2115, दिनांक 25/01/2023 द्वारा प्रयोजन बी-1 कोटेगरी का होने के कारण भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) और ईआईए/ईएमपी रिपोर्ट और प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज रिक्वायरी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट क्लारिफिकेशन एंड ईआईए नोटिफिकेशन, 2008 में वर्णित सेन्टी 2(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) कोल वॉशरी क्षमता-0.99 मिलियन टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 2.48 मिलियन टन प्रतिवर्ष के तहत हेतु जारी किया गया है।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 17/08/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

[ब] समिति की 462वीं बैठक दिनांक 23/08/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री. विनायक कुमार जैन, सीनियर इंटर एवं श्री. संदीप कुमार वर्मा, जलसंचयन एवं पर्यावरण सलाहकार को रूप में मेसर्स इण्डस्ट्रीज हाऊस कन्सल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड की ओर से श्री. जे.के. सोडगा रा.परिचित हुए। समिति द्वारा नतीजा प्रस्तुत जानकारी का अध्ययन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति आई गई—

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण—

- एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1420, दिनांक 28/09/2021 द्वारा मेसर्स महावीर कोल वीसरीज प्राइवेट लिमिटेड, खसरा क्रमांक पार्ट ऑफ 78/1, 78, 85, 80, 81, पार्ट ऑफ 82, 84, 88, 87, पार्ट ऑफ 55, 58, 59/1, 58/1 एवं 58/2, कुल क्षेत्रफल—18.37 एकड़, ग्राम—खरगहनी, ताहसील—कोटा, जिला—बिलासपुर कोल वीसरी समता—0.99 मिलियन टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई थी। तत्पश्चात् एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 85, दिनांक 21/04/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन जारी किया गया।

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का फाइनल प्रतिवेदन प्राप्त किये जाने बाबत दिनांक 11/11/2022 को एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर में आवेदन किया गया था। तत्पश्चात् छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल में 28/03/2023 को आवेदन किया गया। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्रमांक 1712, दिनांक 15/08/2023 के माध्यम से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का फाइनल प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार सभी शर्तों का पूर्ण पालन किया जाना बताया गया है।

2. जल एवं वायु सम्मति – छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर द्वारा सी-कोल वीसरी समता – 0.99 मिलियन टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु स्थापना सम्मति दिनांक 04/08/2022 को जारी की गई।

3. निकटतम विद्यत क्रियाकलापों संबंधी जानकारी –

- निकटतम अबादी ग्राम—धारी 500 मीटर, ग्राम—खरगहनी 900, खतर कोटा 8 कि.मी. एवं रेलवे स्टेशन कुलनितार 1.4 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 10 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 1.5 कि.मी. दूर है। नौकना नाला 150 मीटर, धारी नाला 4.5 कि.मी., धौसा नदी 5.5 कि.मी. एवं अरवा नदी 5 कि.मी. दूर है।

- रामचंदा आवेक्षित वन 5.5 कि.मी., कुआलारी आवेक्षित वन 6.5 कि.मी., लोनी आवेक्षित वन 7 कि.मी., खानपुर आवेक्षित वन 7.5 कि.मी. एवं विजयचंडी संरक्षित वन 9 कि.मी. दूर है।

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय राजमार्ग, अणुप्रकारण, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित विद्युत्करी

वील्यूटेड क्षेत्र, पर्यावरणमित्रता संकेतकाल क्षेत्र का घोषित क्षेत्रविधायक क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिबन्धित किया है।

4. कोयला वीसरी क्षमता—0.99 मिलियन टन प्रतिवर्ष से 2.48 मिलियन टन प्रतिवर्ष किया जाने हेतु कार्य समय (Working Hours) 8 घंटे से बढ़ाकर 20 घंटे किया जाएगा।
5. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र – परिवोजना स्थापना के संबंध में ग्राम पंचायत खरगढ़नी का दिनांक 21/05/2020 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
6. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र – कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, वन-वर्गीयण और क्षेत्रीय निदेशक अथानकमार टाईगर रिजर्व, जिला-जिलासपुर से दिनांक/ व.प्र./ लक.अधि./ 2021/ 1082 जिलासपुर, दिनांक 28/03/2021 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र की सीमा अथानकमार टाईगर रिजर्व से 24.2 कि.मी. की दूरी पर है।
7. गू-स्वामिन् – गुनि महावीर कोयला वीसरी प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर है।
8. सेन्स एरिया स्टेटमेंट –

S.No.	Description	Area (Acres)	Percentage (%)
1.	Washery Plant	2.76	16.80
2.	Raw Coal, Stock Yard, Clean Coal & Rejects	3.45	21.67
3.	Other Facilities (Internal Roads, WTP, Staff Quarters etc.)	0.47	2.87
4.	Plantation	8.28	50.46
5.	Two Ponds for Run off Water	1.44	8.80
Total		16.37	100

9. ग्री-मटेरियल –

For Coal Washery				
Raw Material	Existing	After Expansion	Source	Mode of Transport
Raw Coal	0.99 MTPA	2.48 MTPA	SECL, Korba	By Road through covered trucks
Operating time	1 Shift	3 Shift		

Material Balance

Product & By Product	Existing Quantity (MTPA)	After Expansion Quantity (MTPA)	Mode of Transport
Washed Coal	0.792	1.984	70% By Railway and 30% By Road through covered trucks
Reject Coal	0.196	0.496	By Road through covered trucks

10. वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था – कोयला खनन इकाई, सेटिंग इकाई एवं स्लीन हाउस में डस्ट एक्सट्रैक्शन सिस्टम के साथ बेग फिल्टर की स्थापना की

जाएगी। सभी कोल कन्वेंयर बेल्ट्स एवं जंक्शन प्वाइंट्स को इंसुलेशन अतिरिक्त बेस फिल्टर से संलग्न कर दिगामी से जोड़ा जाना प्रस्तावित है। परिवार के घासों और 3 मीटर लंबी बाउण्ड्री कोल का निर्माण एवं रेन वन के साथ लंबी स्टीन स्थापित की जाएगी। साथ ही अस्ट सप्लेशन / पपुलिटिव अस्ट कलसर्जन के नियंत्रण हेतु जल डिस्ट्रिब्यूशन की व्यवस्था किया जाना प्रस्तावित है।

11. ठोस अपशिष्ट अपसहन व्यवस्था – वॉटर रिजर्वट्स लगभग 0.466 मिलियन टन प्रतिवर्ष उत्पन्न होगा। कोल घासरी से उत्पन्न रिजर्वट्स को आस-पास चार फ्लॉटी, ईट निर्माण ईकाइयों एवं अन्य उद्योगों को इंधन के रूप में उपयोग हेतु उपलब्ध कराया जाएगा।

12. जल प्रबंधन व्यवस्था –

- जल खपत एवं स्रोत – परियोजना हेतु कुल 410 घनमीटर प्रतिदिन (कोल वॉशिंग प्रोसेस हेतु 344 घनमीटर प्रतिदिन, फॉरेलू उपयोग हेतु 13.5 घनमीटर प्रतिदिन, कृषासेवन हेतु 43.25 घनमीटर प्रतिदिन एवं अस्ट सप्लेशन हेतु 8.25 घनमीटर प्रतिदिन) जल की खपत होगी, जिसकी आपूर्ति मू-जल से की जाएगी। परियोजना हेतु आवश्यक जल की आपूर्ति हेतु सेंट्रल प्राइमरी वॉटर अथॉरिटी से 250 घनमीटर प्रतिदिन के लिए दिनांक 05/05/2024 तक अनुमति प्राप्त की गई है, साथ 150 घनमीटर जल की आपूर्ति हेतु सेंट्रल प्राइमरी वॉटर अथॉरिटी से अनुमति लिया जाना प्रस्तावित है।

- जल इस्चयन नियंत्रण व्यवस्था – ईकी मैकेनिकल सप्लायमेंट अथॉरिटी केट कोल वॉशरी स्थापित किया गया है। क्लोज्ड लूप वॉटर सिस्टम व्यवस्था की गई है। प्रक्रिया से उत्पन्न दूषित जल को उपचार हेतु डिफ्लो, बेल्ट प्रेस एवं सेटलिंग चैंबर के माध्यम से उपचार किया जाना प्रस्तावित है। औद्योगिक प्रक्रिया से उत्पन्न दूषित जल को उपरोक्तानुसार उपचार उपरंत पुनः प्रक्रिया में अस्ट सप्लेशन में तथा परिवार के वॉटर कृषासेवन में उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। फॉरेलू दूषित जल को उपचार हेतु सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्षमता 30 घनमीटर प्रतिदिन की स्थापना की जाएगी। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से उपचारित जल को पूर्णतः कोल हेम्बलिंग इरिया में अस्ट सप्लेशन हेतु उपयोग किया जाएगा। शुन्य निस्सारण की स्थिति रखी जाएगी।

- मू-जल उपयोग प्रबंधन – परियोजना स्थल सेंट्रल प्राइमरी वॉटर बोर्ड को अनुसार सीक जॉन में आता है। जिसके अनुसार-

(अ) कुइव एवं क्लोज्ड उद्योगों को कम से कम 40 प्रतिशत दूषित जल का पुनःसंग्रह एवं पुनःउपयोग किया जाना है।

(ब) प्राइमरी वॉटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वीस्टिंग / ऑटिफिकेशनल जल रिचार्ज के आधार पर मू-जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल प्राइमरी वॉटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रस्ताव है। अतः उद्योग को रेनवाटर हार्वीस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

13. रेन वॉटर हार्वीस्टिंग व्यवस्था – उद्योग परिवार में वर्षा जल का कुल रनऑफ 24,241 घनमीटर है। रेन वॉटर हार्वीस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत 1 तालाब 18,252 घनमीटर (लंबाई 65 मीटर, चौड़ाई 65 मीटर, गहराई 8 मीटर) क्षमता एवं 1 तालाब 8,912 घनमीटर (लंबाई 40 मीटर, चौड़ाई 40 मीटर, गहराई 8 मीटर)

सम्पन्न का निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। स्थापित एवं प्रस्तावित प्रस्तावित रेन वॉटर हाईनिटिंग व्यवस्था सम्बन्ध परिस्तर के पूर्ण रनडाईफ को रिचार्ज किया जा सकेगा। सभी रिचार्ज स्ट्रक्चर्स इस प्रकार निर्मित किए जाएंगे कि इनमें सतत मात्रा में वर्षा जल का बहाव हो सके।

14. विद्युत सप्लाई एवं स्कीम – परिवर्धन हेतु 1500 के.बी.ए. विद्युत की आवश्यकता है, जिसकी आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी से की जाती है। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु 500 के.बी.ए. का की.जी. सेट 10 मीटर ऊंचाई की पिली के साथ स्थापित किया गया है।
15. वृक्षारोपण संबंधी जानकारी – वर्तमान में इरिग पट्टिका के विकास हेतु 1,000 नग पीछे रोपित किया गया है। प्रस्तावित कार्यकाल के लक्ष्य 8.28 एकड़ क्षेत्र में कुल 8,830 नग पीछे रोपित किया जाना प्रस्तावित है। परिस्तर के तीन तरफ में 20 मीटर की चौड़ी सीमा चट्टी में वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 8,830 नग पीछे के लिए राशि 5,89,580 रुपये, खाद के लिए राशि 84,710 रुपये, सिंचाई के लिए राशि 1,50,000 रुपये, रख-रखाव के लिए राशि 98,000 रुपये तथा अन्य कार्य के लिए राशि 50,000 रुपये इस प्रकार प्रथम वर्ष हेतु कुल राशि 9,30,290 रुपये एवं आगामी चार वर्षों के रख-रखाव हेतु कुल राशि 14,37,832 रुपये घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।
16. ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण :-

- i. जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी – मॉनिटरिंग का कार्य अक्टूबर 2020 से दिसम्बर 2020 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतराल 8 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर भू-जल गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 8 स्थानों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 8 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

- ii. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पीएन_{2.5}, एसओ₂, एनओ₂ का मानक लेवल-

Concentration level ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) of criteria pollutants			
Criteria Pollutants	Minimum ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Maximum ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	CPCB Standard ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
PM _{2.5}	13.0	32.1	60
PM ₁₀	20.0	42.8	100
SO ₂	4.0	5.8	80
NO ₂	9.0	14.2	80

- iii. परिवर्धन स्थल के आसपास जल स्रोतों की गुणवत्ता- ई.आई.ए. के Chapter Description of environment में दर्शाये गये टेबल अनुसार क्लोरोफिल, नाइट्रेट्स, चल्क, कार्बोनेट्स, आर्सेनिक एवं अन्य रसायनिक तत्वों का मानक लेवल भारतीय मानक से कम है।

- iv. परिवेशीय ध्वनि स्तर-

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	Minimum dB (A)	Maximum dB (A)	CPCB Standard dB (A)
Day L _{eq}	50.4	52.8	75
Night L _{eq}	41.4	42.2	70

जो ऊंचा क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है।

- v. पी.सी.यू. की गणना— भारी वाहनों/मल्टीएक्सल हेवी वाहनों को शामिल करते हुए ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार कॉमान में 274 पी.सी.यू. प्रतिदिन है। प्रस्तावित परियोजना उपरान्त 1,124 पी.सी.यू. की वृद्धि होगी। तत्पश्चात् कुल 1,398 पी.सी.यू. प्रतिदिन होगी। वित्स्वत के उपरान्त भी सी-मटेरियल/ड्रॉइबल्स के परिवहन हेतु सड़क मार्ग की लोड कैरिंग क्षमता निर्धारित मानक के भीतर है।

vi. स्थितिगत इन्फेक्ट कंसेसमेंट –

Environmental Aspect	Impact of 0.59 MTPA	Impact of 2.48 MTPA
Fugitive emissions	Increment GLC (24-h average) Uncontrolled 13.4 ug/m ³	Increment (24-h average) Uncontrolled 21.3 ug/m ³
Ground water use	250 KLD	410 KLD
Waste water generation and disposal	No change	No change
Noise	Incremental Noise level at plant boundary will increase from 50.4 dBA to 52.8 dBA during day time and 41.4 dBA to 42.2 dBA during night time (due to project)	There will be no change in incremental noise level at plant boundary. Only the duration of increase will change from 8 hours to 20 hours
Traffic	214 trucks added 51% of the road capacity was utilized	534 trucks added 73% of the road capacity is now utilized

17. लोक सुनवाई दिनांक 10/05/2023 को प्रातः 11:00 बजे स्थान – ग्राम पंचायत भवन सरगहनी के समीप स्थित मैदान में, तहसील-बीटा, जिला-मिर्जापुर में संपन्न हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, उत्तीर्ण पंचायत संस्करण नंबर, नया रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर के पत्र दिनांक 29/05/2023 द्वारा प्रेषित किया गया है।

18. जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं—

- वायु प्रदूषण के लिए भविष्य में क्या कार्य योजना है, क्षेत्र में इसका लाभ/हानि होगा।
- वातावरण में पड़ने वाले वायु प्रदूषण से जनसह के स्वास्थ्य सेवा का क्या व्यवस्था रखा गया है।
- वाहनों के आवागमन पर सड़कों में जो धूल या अन्य प्रकार की गंदगी होगा उसका क्या कार्ययोजना बनाया गया है।
- स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाए।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावकों की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसल्टेंट का कथन निम्नानुसार है—

- वायु प्रदूषण की संवधान हेतु प्रस्तावित कोल वाहरी तकनीकी रूप से वेद टाईप कोल वाहरी निर्मित होगी, जिससे प्रदूषण नहीं होगा।

18. प्रस्तावित उद्योग नवीनतम तकनीक तथा उच्च क्षमता एवं गुणवत्ता की मशीनरी के उपयोग से किसी भी प्रकार से वायु अथवा जल प्रदूषण नहीं होगा। उक्त प्रदूषण नहीं होने की स्थिति में जनता से स्वास्थ्य सेवा पर किसी भी प्रकार का विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा।
 19. वाहनों के आवागमन से सड़कों पर धूल या अन्य प्रकार की गंदगी फैलने की संभावना हेतु सीटर टैकर के द्वारा नियमित व दैनिक रूप से जल छिड़कना किया जाएगा तथा सड़क के किनारे साधन कुल्लोपण कर वाहनों के आवागमन से उड़ने वाले धूल या गंदगी को फैलने से रोकना जा सकेगा।
 20. प्रदूषण नियंत्रण के अन्तर्गत स्थानीय क्षेत्रों की रोजगार दिशा जाएगा।
19. क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, बिलासपुर को ज्ञापन क्रमांक 520, दिनांक 04/05/2023 को वाचन से लोक सुनवाई निरस्त करने एवं उद्योग नहीं खुलने देने बाबत प्राप्ति शिकायत की प्रति प्रेषित की गई है। परिशोधना प्रस्तावक द्वारा उक्त शिकायत के निराकरण हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

मेसर्स महावीर कोल वास्तुशिल्प प्रोजेक्ट लिमिटेड, ग्राम-खरगहनी, तहसील-खेटा जिला-बिलासपुर (छ.ग.) की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई दिनांक 10/05/2023 को ग्राम-खरगहनी एवं दिनांक 17/05/2023 को ग्राम-खरगहनी-खर्त में निष्पत्ति है, लोक सुनवाई के संख्य में प्राप्ति शिकायत का स्पष्टीकरण निम्नलिखित है:-

- शिकायत पत्र क्र. 01: ग्राम, खरगहनी, ग्राम, खरगहना, ग्राम, फर्त, ग्राम, सोकुलपुर, ग्राम, बीपलसई, ग्राम, डैनकसोधा, ग्राम, खुरदुर एवं ग्राम, मराठी।
 - उक्त शिकायत के संख्य में स्पष्टीकरण यह है कि ग्राम खरगहनी की ई.आई.ए रिपोर्ट दिनांक 08/02/2023 को विभाग के वाचन से ग्राम पंचायत एवं संबंधित विभागों में भेजा गया है, जिसमें प्रस्तावित उद्योग के भूमि का खसत एवं रकबा पृष्ठ क्र. 02 में उल्लेखित है।
 - ग्राम पंचायत खरगहनी एवं खर्त द्वारा विधिवत सर्वसम्मति से प्रस्तावित उद्योग हेतु चरित अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है।
 - अनापत्ति प्रमाण पत्र काइनल ई.आई.ए. रिपोर्ट में संलग्न होती है।
 - प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट 10 कि.मी. वायु सीमा की कोर जेन एवं बफर जेन की विस्तृत जानकारी पृष्ठ क्र. 32 से 77 तक उल्लेखित है।
 - प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट में 10 कि.मी. की वायु सीमा में आने वाले हानों की सूची तालिका संश्लेषित किया गया है पृष्ठ क्र. 38 पर उल्लेखित है।
- शिकायत पत्र क्र. 02 एवं 03:
 - प्रस्तावित उद्योग में पर्यावरण संरक्षण हेतु तय किये गये सभी मापदण्ड का पूर्णतया पालन किया जाएगा, जिससे किसी भी प्रकार से जल, वायु व ध्वनि प्रदूषण न होने की दशा में अत्याधुनिक तकनीकी उपकरणों का लगावा जाना सुनिश्चित किया गया है।

➤ प्रस्तावित उद्योग जल के शुद्ध निस्सारण प्रक्रिया के तहत निर्मित होगा जिसमें प्रदूषित जल का पुनःसंचालन कर पुनर्उपयोग में लाया जायेगा तथा जल की कोई भी मात्रा प्रस्तावित उद्योग क्षेत्र से बाहर नहीं जायेगा।

➤ पर्यावरण विभाग के निम्नावली अनुसार लोक सुनवाई के कम से कम एक सत्र पूर्व एक दैनिक समाचार पत्र एवं एक राष्ट्रीय समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाना होता है जिसे निम्नानुसार दिनांक 24/03/2023 को ग्राम-खरगहनी एवं दिनांक 18/04/2023 को ग्राम-खरगहनी-खरौ की जनसुनवाई की सूचना प्रकाशित किया गया है।

➤ लोक सुनवाई की प्रक्रिया में कोई भी व्यक्ति अपनी आपत्ति/असमति/सहमति देने हेतु स्वतंत्र है।

• शिकायत पत्र क्र. 04

➤ प्रस्तावित उद्योग हेतु किसी भी प्रकार का न्यू-अर्जेंट नहीं किया गया है। प्रस्तावित उद्योग की भूमि निजी भूमि है तथा यह महावीर कोल वास्तवीज प्राइवेट लिमिटेड के अधिनस्थ की है।

• शिकायत पत्र क्र. 05 एवं 06

➤ प्रस्तावित उद्योग जल के शुद्ध निस्सारण प्रक्रिया के तहत निर्मित होगा जिसमें प्रदूषित जल का पुनःसंचालन कर पुनर्उपयोग में लाया जायेगा तथा जल की कोई भी मात्रा प्रस्तावित उद्योग क्षेत्र से बाहर नहीं जायेगा।

➤ प्रस्तावित उद्योग में वायु जल एवं ध्वनि प्रदूषण रोकथाम हेतु अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाना सुनिश्चित किया गया है, जो फाइनेल ई.आई.ए रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से उल्लिखित कर जमा किया जायेगा।

अतः उपरोक्त शिकायत को संदर्भ में महावीर कोल वास्तवीज प्राइवेट लिमिटेड इन पर संज्ञान लेते हुये संबंधित से विचार करेगी तथा प्रदूषण संबंधी आशंका को निवारण हेतु उचित प्रकार से प्रबंधन की व्यवस्था करेगी। प्रस्तावित वाशरी से लोगों को उनकी दैनिकिक योग्यता एवं अनुभव के अभाव पर आवश्यकतानुसार संचयन उपलब्ध होगा तथा सन्वसियों के जीवन स्तर में सुधार होगा। सी.एस.आर. के माध्यम से प्रस्तावित उद्योग के आसपास के इलाके में विकास कार्य किये जायेंगे जो उनके जनकल्याण में सहायक होगा। महावीर कोल वास्तवीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा पर्यावरण संरक्षण एवं इसके सभी निम्नावली का पुनर्लपेन चलन किया जायेगा।

20. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से वर्षीय उपरोक्त निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Additional Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
300	1%	3.0	Following activities at, GSR College Village- Pipartara	

		Plantation work	3.41
		Total	3.41

21. सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित कॉलेज के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।
22. सी.ई.आर. की राशि के तहत कॉलेज परिसर के भीतर (बड़, पीपल, नीम, करंज, आम, इमली, अर्जुन आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमान 282 नमूने की राशि के लिए राशि 13,942 रुपये, सीडिंग के लिए राशि 61,100 रुपये, खाद के लिए राशि 1,880 रुपये, सिंचाई के लिए राशि 60,000 रुपये, रख-रखाव के लिए राशि 64,000 रुपये तथा अन्य खर्च के लिए राशि 10,000 रुपये, इस प्रकार कुल राशि 1,88,922 रुपये प्रथम वर्ष में एवं कुल राशि 1,44,744 रुपये आगामी 4 वर्षों हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।
23. जनसुनवाई के दौरान विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक द्वारा शायीनों के सम्झ दिये गये आश्वासन को पूरा करने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
24. छातीसगढ़ आदर्श युवावास मीठि के तहत स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
25. छातीसगढ़ परिसर के अंदर सभ्य वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाइवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
41. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
42. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उत्सर्जन का प्रकरण लंबित नहीं है।
26. समिति द्वारा निहित किए गए शर्तों का पालन किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
27. सी.ई.आर. के अंतर्गत किये जाने वाले वृक्षारोपण का 05 वर्षों तक रख-रखाव किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया—

1. सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित कॉलेज के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र को एस.ई.आई.ए.ए., छातीसगढ़ में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अंतर्गत ही पर्यावरणीय स्वीकृति की सकारात्मक अनुमति की जाती है।
2. मेसर्स महावीर कोल वॉशरीज प्राइवेट लिमिटेड को राम-खरगहनी, तहसील-कोटा, जिला-मिलासपुर स्थित खसरा क्रमांक प्लॉट ऑफ 78/1, 78, 86, 88, 81, 82, 84, 87, 88/2, प्लॉट ऑफ 85, 86, 89/1, 88/1, 88/2, प्लॉट ऑफ 79/2, प्लॉट ऑफ 83/1, 80/3 में कुल क्षेत्रफल-16.37 एकड़ में संघालित कोल वॉशरी क्षमता-0.88 मिलियन टन प्रतिवर्ष से 2.48 मिलियन टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुमति की गई।

प्रतिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्रतिकरण की दिनांक 28/10/2023 को संलग्न 155वीं बैठक में विचार किया गया। प्रतिकरण द्वारा नसी की उपलोकन किया गया। प्रतिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त कार्यसमिति से निम्नानुसार निर्णय किया गया—

1. समिति की अनुसंधान को स्वीकार करते हुए आवेदक – मेहरा नवावीर कोल सीकरवीज प्राइवेट लिमिटेड को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया। साथ ही समिति द्वारा निर्दिष्ट किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित नहीं किये जाने की स्थिति में विधिवत् वैधानिक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।
2. सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित कॉलेज के प्राचार्य (Principal) का सहमति पर प्रस्तुत किये जाने के उपरोक्त परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति पर जारी किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति पर जारी किया जाए।

12. मेहरा नवावीर जॉइन स्टोन वाईन (श्री- श्री लोकोश चन्द्रा), ग्राम-नगाहर, तहसील-नालखरीदा, जिला-सखी (सचिवालय का नसी क्रमांक 2819)

ऑनलाइन आवेदन – प्रोजेक्ट नम्बर – एसआईए / सीजी / एमआईएन / 403700 / 2021, दिनांक 17/04/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्ण से संघारित चुन फथर (नीम खनिज) खदान है। खदान ग्राम-नगाहर, तहसील-नालखरीदा, जिला-सखी निम्न प्लॉट अफ सलत क्रमांक 184, कुल क्षेत्रफल-0.809 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-14,850 टन (5,240 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचना मेमोरेण्डम दिनांक 28/04/2023 जारी किया गया है, जिसके पैर 4 में निम्न प्रकथन है—

"The matter has been examined in the Ministry and accordingly it has been decided that all valid ECs issued by DEIAA shall be reappraised through SEAC/SEIAA in compliance to the order of the Hon'ble NGT in O.A. 142 of 2022. In view of above, it is hereby directed that all concerned SEACs shall re-appraise the ECs issued by DEIAAs between 15.01.2018 and 13.09.2018 (including both dates) and all fresh ECs in this regard shall be granted only by SEIAAs based on such appraisal. The exercise shall be completed within a time period of one year from the date of issue of this OM. DEIAAs shall transfer all such files where ECs have been granted to concerned SEIAA within a time period of one month from issue of this OM."

उक्त अधिसूचना मेमोरेण्डम के तहत परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला स्तरीय पर्यावरण सभागत निर्धारण प्रतिकरण से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनः अनुसंधान (re-appraisal) हेतु एस.ई.सी., सखीसगढ़ के संलग्न ऑनलाइन आवेदन किया गया है।

उदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.सी., सखीसगढ़ के द्वारा दिनांक 17/08/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(ख) समिति की 482वीं बैठक दिनांक 23/08/2023

प्रस्तुतीकरण हेतु की लीफ़ेट बन्दा, प्रोपर्टाईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नली, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई—

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मास्ट संरचना के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 28/04/2023 को जारी ऑफिस मेमोरेण्डम में दिये गये निर्देश का विन्दुवार पालन किये जाने बाबत जानकारी प्रस्तुत की गई है।
2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण—
 1. पूर्व में चूना पत्थर खदान खसत क्रमांक 164, कुल क्षेत्रफल—0.809 हेक्टेयर, क्षमता— 14,000 टन (3,943 घनमीटर) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण स्नाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला—जांजगीर—घांसा द्वारा दिनांक 28/01/2017 को जारी की गई।
 2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 22/08/2023 को पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन हेतु एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, नाना सारकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा राघपुर अटल नगर तथा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को आवेदन किया गया है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि मास्ट संरचना के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 28/04/2023 को जारी ऑफिस मेमोरेण्डम अनुसार रिजोर्जल के प्रकल्प के लिए जारी नई जानकारी के लिए पैर क्रमांक 5 में बिंदु 1 से 10 तक में आवश्यक/व्यक्ति त्रयों की सूची में प्रस्तावित पालन प्रतिवेदन की जानकारी जमा करना जाने का उल्लेख नहीं है अर्थात् रिजोर्जल के प्रकल्पों में सी.ई.आई.ए.ए. द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए प्रस्तावित पालन प्रतिवेदन की आवश्यकता नहीं है।

अतः सी.ई.आई.ए.ए. द्वारा जारी पर्यावरण स्वीकृति को एन.ई.आई.ए.ए. के द्वारा रिजोर्जल का प्रकल्प है एवं उपरोक्त तथ्यों के आधार पर आवेदित प्रकल्प में प्रस्तावित पालन प्रतिवेदन की आवश्यकता नहीं बन रही है। उपरोक्त दोनों ऑफिस मेमोरेण्डम पर प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर सेल्फ सर्टिफाईड पालन प्रतिवेदन को स्वीकार करते हुए पर्यावरण स्वीकृति जारी करने हेतु अनुरोध किया गया है।

- iii. निर्धारित सर्तानुसार 81 नए कुसारेणन किया गया है।
- iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज साधन), जिला—राजगी के दायन क्रमांक 320/ख.सि./2023 राजगी, दिनांक 21/08/2023 द्वारा जारी ज्ञान पत्र अनुसार निम्न वर्षों में दिये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है—

वर्ष	उत्पादन (टन)
2017-18	3,750
2018-19	14,000
2019-20	14,000
2020-21	14,700

2021-22	10,200
2022-23	14,800

3. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत नगरपालिका दिनांक 01/02/2021 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
4. उत्खनन योजना – जारी प्लान विथ जारी कंटेनर प्लान प्रस्तुत किया गया है जो उप संचालक (खनि. प्रशा.) जिला-कोरवा के डायन क्रमांक 4137/खलि-1/उ.प्रा.ख./2018 कोरवा, दिनांक 14/12/2018 द्वारा अनुमोदित है।
5. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-साली के डायन क्रमांक 207/खलि./2023 साली, दिनांक 12/08/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 1 खदान, क्षेत्रफल 1.537 हेक्टेयर है।
6. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-साली के डायन क्रमांक 208/खलि./2023 साली, दिनांक 12/08/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में भी सार्वजनिक संरचना जैसे रेल लाईन, नहर, क्वान, स्कूल, मंदिर, मस्जिद, गुस्हाला, मरगट, झिल, कल्लार्ट, एन्वीरॉन्ट, रटॉय डैम्, बॉय, वाटरसाफ्टाई परियोजना, इनटेकवेल्, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग, आबादी क्षेत्र, शैक्षणिक संस्था, अस्पताल, धार्मिक व ऐतिहासिक स्थल, वार्षिक स्थल इत्यादि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है। सड़क 50 मीटर की दूरी पर है।
7. भूमि एवं लीज कीड संबंधी विवरण – यह सार्वजनिक भूमि है। लीज की लीजेंटा कन्टा के नाम पर है। लीज कीड 10 वर्षों अर्थात् दिनांक 18/10/2004 से 14/10/2014 तक की अवधि हेतु फैस की। तत्पश्चात् लीज कीड 20 वर्षों अर्थात् दिनांक 18/10/2014 से 14/10/2034 तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई है।
8. डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट – वर्ष 2018 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र – कार्यालय वनमंडलधिकारी, जाजगीर-बांघा वनमंडल, बांघा के डायन क्रमांक/बा.वि./1785 बांघा, दिनांक 28/03/2018 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र के अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 30 कि.मी. की दूरी पर है।
10. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी – निकटतम आबादी ग्राम-कनवाईडीह 530 मीटर एवं ग्राम-नगहर 1.16 कि.मी., स्कूल ग्राम-नगहर 700 मीटर एवं अस्पताल मालखरीवा 4.55 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 22.2 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 3.5 कि.मी. दूर है। तालाब 1.08 कि.मी. एवं बीसमी नाला 200 मीटर दूर है।
11. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में आंतराज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पील्डुरेटेड एरिया, पारिस्थितिकीय

संबंधित क्षेत्र या संबंधित जैववैज्ञानिक क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिबंधित किया है।

12. खनन संयंत्र एवं खनन का विवरण – अनुमोदित जारी प्लान अनुसार जिब्सैलीजिबल रिजर्व 3,02,410 टन (1,20,984 घनमीटर), माईनेबल रिजर्व 1,48,890 टन (58,878 घनमीटर) एवं रिजर्वेबल रिजर्व 1,32,021 टन है। वर्तमान में जिब्सैलीजिबल रिजर्व 2,30,980 टन (92,384 घनमीटर) एवं माईनेबल रिजर्व 75,240 टन (30,086 घनमीटर) शेष है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 2,250 वर्गमीटर है। जंपन कास्ट सेमी सेल्फेनड्रिफ्ट विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 18 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है तथा कुल मात्रा 8,418 घनमीटर है। जिसमें से 789 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में फैलाकर कृषासेवन के लिए उपयोग किया जाएगा तथा शेष 7,629 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर सहजता प्राप्त भूमि में संरक्षित कर भण्डारित किया जाएगा। शेष की गहराई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 11 वर्ष है। लीज क्षेत्र में खार स्थापित नहीं है, एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं है। जैक हेमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल स्टाबिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षावन प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
2023-24	13,900
2024-25	13,950
2026-28	14,175
2028-27	14,400
कुल	56,025

13. जल आपूर्ति – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से की जाती है। इस बायर्ड सेंट्रल साइम्स वीटर अथॉरिटी का अनुमोदित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
14. कृषासेवन कार्य – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 380 नम कृषासेवन किया जाएगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के भीतर पर्यावरणीय प्रभाव योजना के तहत निम्नानुसार कार्य प्रस्तावित है:-

विवरण	प्रथम (रुपये)	द्वितीय (रुपये)	तृतीय (रुपये)	चतुर्थ (रुपये)	पंचम (रुपये)
प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सड़कों/पट्टीय मार्ग से उत्पन्न धूल सफाई के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000
खदान के बायस्को में	38,000	—	—	—	—
(380 नम) खाद हेतु रशि	37,000	—	—	—	—
कृषासेवन हेतु सिंचाई, रख-रखाव आदि हेतु रशि	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100
	1,50,000	1,50,000	1,50,000	1,50,000	1,50,000

	अन्य खर्च	5,000	-	-	-	-
कुल राशि =	11,88,500	3,00,100	2,22,100	2,22,100	2,22,100	2,22,100

15. खादान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा चट्टी में उखानन – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा चट्टी में उखानन कार्य नहीं किया गया है।

16. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के सख्त विस्तार से चर्चा उपरोक्त निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
16.38	2%	0.32	Following activities at Village- Naghar	
			Plantation around village pond	0.58
			Total	0.58

17. सीईआर के अंतर्गत "गांव के तालाब के चारों ओर" वृक्षारोपण (पीपू, आम, जामुन, कटहल, कदमू, कर्ज आदि) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 25 नव पीपों के लिए राशि 3,750 रुपये, पीपिंग के लिए राशि 3,750 रुपये, आम के लिए राशि 1,250 रुपये एवं सिंचाई के लिए राशि 4,000 रुपये, रकम-रखाव आदि के लिए राशि 4,000 रुपये तथा अन्य खर्च के लिए राशि 2,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 18,750 रुपये तथा आगामी 4 वर्षों में कुल राशि 37,000 रुपये हेतु परतकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत नगहर को सहमति उपरोक्त वृक्षारोपण स्थान (खसरा क्रमांक 474, क्षेत्रफल 1.284 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

18. ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के अंदर सेमटी जोन में 1 मीटर की ऊंचाई तक संद्वारित किया जाएगा। इस प्रकार संद्वारित का किसी भी प्रकार का दुरुपयोग न करने, क्षिप्त न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी का उपयोग पुनःस्थापन में किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है। साथ ही संद्वारित ऊपरी मिट्टी का निरीक्षणकर्ता / अधिकारी को उनके निरीक्षण / प्रमाण के दौरान निरीक्षण कराया जाएगा।

19. एक्सप्लोसिव लाइसेंसिंग का कार्य एक्सप्लोसिव लाइसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराया जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

20. क्यूबिडिब इन्स्ट इंस्ट्रुमेंट के निरीक्षण हेतु नियमित परत विरूपण किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

21. माइनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सख्त वृक्षारोपण किये जाने एवं संरक्षित पीपों का सरवाइवल रेट (Survival rate) 80 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

22. छातीसगढ़ आदर्श पुनर्वसन नीति के तहत स्थानीय लोगों एवं निकटस्थ आबादी क्षेत्र के निवासियों को रोजगार में प्रोत्साहित करने के लिए सख्त पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
23. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल्स कनसेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत बाउण्ड्री विलर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने का सख्त पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
24. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सख्त पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि खदान से किसी भी प्रकार का दूषित जल (जदि उत्पन्न होता है तो) का प्रवाह किसी भी प्राकृतिक जल स्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किया जाएगा, खदान के संचालन के दौरान तालाब एवं अन्य निकटतम जल निकायों को किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं पहुंचाई जाएगी एवं प्राकृतिक जल स्रोत, नाला, नदी, तालाब के संरक्षण व संवर्धन हेतु निम्न उपाय किये जाएंगे:-
- आवेदित खदान से किसी भी प्रकार का दूषित जल उत्पन्न नहीं होता है अर्थात् किसी भी प्रकार के दूषित जल का प्रवाह किसी भी प्राकृतिक जल स्रोत नहीं किया जाएगा।
 - खदान कार्यालय से उत्पन्न धरेतु अपशिष्टों के निपटान के लिए सेप्टिक टैंक और सोख गड्ढे प्रदान किये जाएंगे।
 - छाही जल के संरक्षण के लिए खदान के चारों ओर प्लास्टीक ड्रम एवं सेप्टिक टैंक के द्वारा उपचारित कचरे ही अन्य स्रोतों में छोड़ा जाएगा।
 - खदान के अंदर वर्षा द्वारा संचित जल को उपचारित कचरे आमतकमानुसार दानियों को उपलब्ध बनाया जाएगा।
 - खदान की बाउण्ड्री के चारों ओर सख्त वृक्षारोपण किया जाएगा।
 - ज्या सख्त तालाब के चारों ओर भी सख्त वृक्षारोपण किया जाएगा।
- प्रस्तुत आवेदन में आवेदित स्थल से तालाब 1.05 कि.मी. तथा नहर 880 कि.मी. की दूरी पर है जो कि छातीसगढ़ ग्रीन खनिज अधिनियम, 2015 में उचित मानक दूरियों से अधिक है। अतः खदान संचालन के दौरान उपरोक्त बिन्दु क्रमांक (i) से (vi) के पालन से तालाब एवं नहर पर प्रभाव को रोका जा सकेगा।
25. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सख्त पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
26. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सख्त पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उत्सर्जन का प्रकरण लंबित नहीं है।
27. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सख्त पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को Common Cause vs. Union of India Writ Petition (C) 114 of 2014 में दिए गए दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा।
28. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सख्त पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को Writ Petition (S)

Civil No. 114/2014 Common Cause vs. Union of India & Ors. में दिए गए विचार निर्देशों का मेरे द्वारा चालन किया जाएगा।

28. आवेदक द्वारा भूमि स्वामियों के निजी अधिकारों को ध्यान में रखते हुए निम्नानुसार निर्धारित मुआवजा तथा रोजगार की प्राथमिकता का अन्ततः भूमि स्वामियों को उपलब्ध कराया जाएगा। इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
29. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि आवेदित स्थल से स्कूल 700 मीटर, अस्पताल 4.50 कि.मी. एवं आबादी क्षेत्र 500 मीटर की दूरी पर है जो कि पू.न. गौतम खनिज अधिनियम, 2015 में वर्णित मानक दूरी से अधिक है। उक्त स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में प्रभाव नगण्य होगा। खनन कार्य से स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में होने वाले जन समस्याओं का निराकरण हेतु निम्न उपाय किन्हीं ज़रूरी:-
- i. खदान के भाईन बाल-ड्री में चारी और सखन कृत्रिमण किया जावेगा जिससे स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में प्रभाव नगण्य होगा।
 - ii. बूल (डस्ट) के निराकरण के लिए टैंकर के द्वारा पानी का छिड़काव किया जाएगा जिससे स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में प्रभाव नगण्य होगा।
 - iii. हमारे द्वारा खनिज का परिवहन लानपोलिन से व्यवकर किया जावेगा, जिससे रास्ते में बहन से खनिज ना निरे।
 - iv. हमारे द्वारा बहनों का परिवहन स्कूल एवं आबादी क्षेत्र से होकर नहीं किया जावेगा जिससे स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में परिवहन का प्रभाव नगण्य होगा।
 - v. हमारे द्वारा स्कूल एवं आबादी क्षेत्र में कौम्य लगाकर स्वास्थ्य परीक्षण कराया जावेगा।
 - vi. हमारे द्वारा स्कूल में परियोजना लागत 2 प्रतिशत सी.ई.आर. के तहत कार्य किया जावेगा।
 - vii. बूल एवं स्टास्टिंग आदि से होने वाले प्रभावों के लिए OCMAS के रजिस्टर्ड स्टास्टर द्वारा निम्नानुसार कम तीव्रता वाले निश्चित विस्फोट की तकनीक अपनाकर कम किया जाएगा। जिससे स्टास्टिंग के कारण आबादी क्षेत्र, स्कूल एवं अस्पताल पर पड़ने वाला प्रभाव नगण्य होगा।
 - viii. सड़कों का सफाई स्वच्छाव एवं बूल आदि से मुक्ता हेतु नियमित जल छिड़काव किया जावेगा, जिससे स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में बूल का प्रभाव नगण्य होगा।
30. सी.ई.आर. कार्य एवं 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में कृत्रिमण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में कृत्रिमण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरान्त गठित त्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. कार्यालय कलेक्टर (अग्निज शाखा), जिला-साली के इमान क्रमांक 207/ख. लि./2023 सली, दिनांक 12/08/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर की गीतर अवस्थित 1 खदान, क्षेत्रफल 1.527 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (घाम-नगझर) का क्षेत्रफल 0.809 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (घाम-नगझर) को मिलाकर कुल क्षेत्रफल 2.346 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण यह खदान बी-1 श्रेणी की मानी गयी।
2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिनियम, 2006 (ज्या संबंधित) के प्रावधानों एवं माननीय एन. जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार कलेक्टर में आने वाली खदानों की परखनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले प्रभावों की संवर्धन हेतु कलेक्टर में आने वाले समस्त खदानों को शामिल करते हुए, कलेक्टर हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने तथा क्रियान्वित कराने हेतु संचालक, संचालनालय, भीमिडी तथा सैनिकर्न, इटावती भवन, नया रायपुर अटल नगर, जिला - रायपुर (छत्तीसगढ़) के सार से उपयुक्त कार्यवाही किये जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाय।
3. ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर सहमति प्राप्त भूमि में संरक्षित वन पध्दति किये जाने बाबत उत्तरा क्रमांक एवं लीज क्षेत्र की जानकारी को एच.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अर्धीन पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्त अनुशंसा की जाती है।
4. कार्यालय कलेक्टर (अग्निज शाखा), जिला-साली को भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 28/04/2023 के तहत परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को पुनः अनुशंसा (re-approval) हेतु संबंधित नसी की इस कार्यालय में अविलम्ब प्रेषित किये जाने हेतु पत्र लेख किये जाने हेतु एच.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अर्धीन पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्त अनुशंसा की जाती है।
5. भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 28/04/2023 को जारी ऑफिस मेमोरेण्डम में दिये गये निर्देश का विन्दुवार पालन किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) को एच.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अर्धीन पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्त अनुशंसा की जाती है।
6. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक - मेसर्स नगझर लाईम स्टोन माईन (प्री- की लोडिंग घन्टा) की घाम-नगझर, एडसील-पालखरीदा, जिला-साली के पार्ट ऑफ खदान क्रमांक 164 में विद्यत भूरा पत्थर (गीम अग्निज) खदान, कुल क्षेत्रफल-0.809 हेक्टेयर, राखनन क्षमता-14.850 टन (5.940 घनमीटर) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार - उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 25/10/2023 को संघन 158वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नसी का अंतिमकरण किया गया। प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया-

1. समिति की अनुमति को स्वीकार करते हुए आवेदक – मेहता नरकर साईन स्टीन माईन (प्रो- श्री लोकेश चन्दा) को निम्न अतिरिक्त शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय किया गया-
 1. सी.ई.आर. के तहत एवं 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में किये जाने वाले कुआरेपन का सत्यापन वन विभाग के सहज अधिकारी अथवा वन विभाग द्वारा कुआरेपन के सत्यापन हेतु अधिकृत संस्थाओं (आई पार्टी) से अनुमोदन कराकर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुए एस.ई.आई.ए.ए. प्रतीसंग्रह को प्रेषित किया जाए।
 2. सी.ई.आर. के अंतर्गत पाल के सत्यापन के शर्तों और में किये जाने वाले कुआरेपन के सत्यापन हेतु लिफ्टिंग फोटोग्राफ्स सहित अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुए एस.ई.आई.ए.ए. प्रतीसंग्रह को प्रेषित किया जाए।

समिति द्वारा निर्धारित शर्तों के अंतर्गत निहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जाए। पालन नहीं किये जाने की स्थिति में विधिवत् कार्यवाही की जाएगी।

2. कम्पनी निट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर सहनति प्राप्त भूमि में संश्लिप्त वन भण्डारित किये जाने बाबत कम्परा क्रमांक एवं लीज क्षेत्र की जानकारी प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त परियोजना प्रस्तावक को सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।
3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-राजगी को भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 28/04/2023 के तहत परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनः अनुमोदन (re-approval) हेतु संबंधित नस्ती को इस कार्यालय में अविलम्ब प्रेषित किये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।
4. भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 28/04/2023 को जारी ऑफिस मेमोरेण्डम में दिये गये निर्देश का विन्दुबद्ध पालन किये जाने बाबत कम्परा पत्र (Notarized undertaking) को प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त परियोजना प्रस्तावक को सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए। साथ ही कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-राजगी को पत्र लेख किया जाए।

13. मेहता घोड़ाटी कर्मी फ्लोर कम्पनी (प्रो- श्री शिव कुमार रावे), ग्राम-घोड़ाटी, तहसील व जिला-महाराजगंज (सविद्यालय का नस्ती क्रमांक 2820)

ऑनसाईन आवेदन – प्रोजेक्ट नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एनआईए/ 433748/2023, दिनांक 18/08/2023 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व में संचालित कर्मी फ्लोर (सीम खनिज) खदान है। खदान ग्राम-घोड़ाटी, तहसील व जिला-महाराजगंज स्थित पाट ऑफ खनरा क्रमांक 31, कुल क्षेत्रफल-0.8 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित राखणन क्षमता-5,760 टन (2,304 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिका मेमोरेण्डम दिनांक 28/04/2023 जारी किया गया है, जिसके पैरा 4 में निम्न प्रस्ताव है—

"The matter has been examined in the Ministry and accordingly it has been decided that all valid ECs issued by DEIAs shall be reappraised through SEAC/SEIAA in compliance to the order of the Hon'ble NGT in O.A. 142 of 2022. In view of above, it is hereby directed that all concerned SEACs shall re-appraise the ECs issued by DEIAs between 15.01.2018 and 13.09.2018 (including both dates) and all fresh ECs in this regard shall be granted only by SEIAAs based on such appraisal. The exercise shall be completed within a time period of one year from the date of issue of this OM. DEIAs shall transfer all such files where ECs have been granted to concerned SEIAA within a time period of one month from issue of this OM."

उक्त अधिका मेमोरेण्डम के तहत परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला स्तरीय पर्यावरण समायात निर्धारण प्रक्रिकरण से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनः अनुमंसा (re-appraisal) हेतु एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ के सभ्य अधिकाइन आवेदन किया गया है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ के अध्याय दिनांक 18/08/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण —

(अ) समिति की 482वीं बैठक दिनांक 23/08/2023

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री शिव कुमार रावे, प्रोपराइटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई—

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 28/04/2023 को जारी अधिका मेमोरेण्डम में दिखे गये निर्देश का बिन्दुवार पालन किये जाने बाबत जानकारी प्रस्तुत की गई है।

2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण—

A. पूर्व में कहीं फावर खदान पार्ट जीक खसरा क्रमांक 31, कुल क्षेत्रफल — 0.8 हेक्टेयर, सभ्यता— 5,780 टन (2,304 कन्सीटर) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समायात निर्धारण प्रक्रिकरण, जिला—महासमुंद द्वारा दिनांक 22/11/2018 को जारी की गई।

B. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 22/08/2023 को पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिकेदन हेतु स्वीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया दहपुर अटल नगर तथा छत्तीसगढ पर्यावरण संरक्षण मंडल को आवेदन किया गया है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 28/04/2023 को जारी अधिका मेमोरेण्डम अनुसार रिजर्वेशन के प्रकरण के लिए जारी गई जानकारी के लिए पैरा क्रमांक 8 में बिंदु 1 से 10 तक में आवश्यक/वांछित अपाई की सूची में प्रभावित पालन प्रतिकेदन की जानकारी जमा कराई जाने का उल्लेख नहीं है अर्थात् रिजर्वेशन के प्रकरणों

में डी.ई.आई.ए.ए. द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए प्रमाणित पालन प्रतिवेदन की आवश्यकता नहीं है।

अतः डी.ई.आई.ए.ए. द्वारा जारी पर्यावरण स्वीकृति को एच.ई.आई.ए.ए. के द्वारा निम्नोक्त का प्रकरण है एवं उपरोक्त कर्मों के आधार पर आवेदित प्रकरण में प्रमाणित पालन प्रतिवेदन की आवश्यकता नहीं बन रही है। उपरोक्त दोनों अधिका केन्द्रीकरण पर प्रस्तुत कर्मों के आधार पर सेलफ सर्टिफाईड पालन प्रतिवेदन को स्वीकार कर्ता हुए पर्यावरण स्वीकृति जारी करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रावपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

- ii. निर्धारित कालानुसार 100 नग क्लेयरिफाई किया गया है।
- iii. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-महासमुंद्र के द्वारा क्रमांक 665/क/खनि./न.अ./2023 महासमुंद्र, दिनांक 12/08/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:-

वर्ष	उत्पादन (टन)
दिनांक 01/01/2018 से 31/12/2018 तक	निरंक
2017	450
2018	800
2019	438
2020	366
दिनांक 01/01/2021 से 30/06/2021 तक	90
दिनांक 01/07/2021 से 30/09/2021 तक	निरंक
दिनांक 01/10/2021 से 31/03/2022 तक	498
दिनांक 01/04/2022 से 30/09/2022 तक	15
दिनांक 01/10/2022 से 31/03/2023 तक	815

1. हान पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - उत्खनन के संबंध में हान पंचायत घोड़ारी का दिनांक 25/08/2011 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो कि 10 वर्ष के लिए स्वीकृति हेतु प्रस्ताव पारित किया गया है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि उत्खनन के संबंध में हान पंचायत का नवीन अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन किया गया है, जो प्रक्रियाधीन है।
4. उत्खनन योजना - कच्ची पत्तन एलांग विध कच्ची क्लेयर प्लान विध इन्फ्रास्ट्रक्चर गेजेटेड प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला-महासमुंद्र के द्वारा क्रमांक 66/क/खनि./न.अ./15 महासमुंद्र, दिनांक 22/01/2018 द्वारा अनुमोदित है।
5. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-महासमुंद्र के द्वारा क्रमांक 665/क/खनि./न.अ./2023 महासमुंद्र, दिनांक 12/08/2023 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 69 खदानों, क्षेत्रफल 38.84 हेक्टेयर है।

6. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-महासमुद्र के ज्ञान क्रमांक 665/क/खनिज/न.क्र./2023 महासमुद्र, दिनांक 12/08/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मत्पट, पुल, नदी, रेल लाईन, अस्पताल, स्कूल, एनिकाट बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
7. भूमि एवं लीज कीड संबंधी विवरण – यह शासकीय भूमि है। लीज की शिफ्ट कुमार रावे के नाम पर है। लीज कीड 10 वर्ष अर्थात् दिनांक 28/08/2013 से 28/08/2023 तक की अवधि हेतु वैध थी। उपरोक्त लीज कीड 20 वर्ष अर्थात् दिनांक 28/08/2023 से 28/08/2043 तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई है।
8. डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट – वर्ष 2019 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. वन विभाग का अनुमति प्रमाण पत्र – कार्यालय वनमण्डलधिकारी, सामान्य वन मण्डल, महासमुद्र के ज्ञान क्रमांक/मा.वि./खनिज/7115 महासमुद्र, दिनांक 05/11/2011 से जारी अनुमति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा 12 कि.मी. की दूरी पर है।
10. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी – निकटतम आबादी ग्राम-घोड़ारी 300 मीटर, स्कूल ग्राम-घोड़ारी 1 कि.मी. एवं उपमहानगर महासमुद्र 7.85 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1.1 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 14.25 कि.मी. दूर है। महानदी 300 मीटर, बीसमी नाला 1.8 कि.मी., तलाब 1.25 कि.मी. दूर है।
11. पर्यावरण/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित इण्डिकली पोल्युटेड एरिया, पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिबंधित किया है।
12. खनन संपदा एवं खनन का विवरण – अनुमोदित क्वारी प्लान अनुसार जियोलॉजिकल रिजर्व 1,69,883 टन (87,963 घनमीटर), गार्डनेबल रिजर्व 47,758 टन (19,102 घनमीटर) एवं रिक्वैरेबल रिजर्व 42,980 टन है। वर्तमान में जियोलॉजिकल रिजर्व 1,61,408 टन (84,563 घनमीटर) एवं गार्डनेबल रिजर्व 38,281 टन (15,712 घनमीटर) शेष है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 3,575 वर्गमीटर है। जोपन कन्ट्रोल मैनुअल विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 10 मीटर है। लीज क्षेत्र में क्वारी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है तथा कुल मात्रा 1,822 घनमीटर है, जिसमें से 1,342 घनमीटर क्वारी मिट्टी को 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा तथा शेष 580 घनमीटर क्वारी मिट्टी को लीज क्षेत्र के भीतर उत्खनित भाग को पुनर्भरण हेतु उपयोग किये जाने के लिए संरक्षित रखा जाएगा। क्षेत्र की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। स्टीन कटर का उपयोग किया जाता है। लीज क्षेत्र में क्वारी स्थापित नहीं है, एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं है। डिजिटल एवं ब्यास्तिंग नहीं किया

जला है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का सिंक्रवाप किया जाता है। वर्षावन प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)
2023-24	2,182.5
2024-25	2,224.5
2025-26	2,305
2026-27	1,953
कुल	8,664

13. जल आपूर्ति – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति बोलेल के माध्यम से की जाती है। इस बाबत सेक्टर प्रमुख ऑफिसर अथॉरिटी का अनुरोधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
14. नुसारोपम कार्य – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 548 म² नुसारोपम किया जाएगा।
15. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।
16. गैर आईनिय क्षेत्र – संदर्भ क्षेत्र होने के कारण लीज क्षेत्र के भीतर 128 वर्गमीटर क्षेत्र (मध्य भाग में) एवं लीज क्षेत्र के भीतर 8.8 मीटर उत्खनन उपरंत 750 वर्गमीटर क्षेत्र (दक्षिणी दिशा) में 3 मीटर की गहराई में उत्खनन किया जाना संभव नहीं होने के कारण गैर आईनिय क्षेत्र रखा गया है। उपरोक्त का उल्लेख अनुमोदित कर्तरी प्लान में किया गया है।
17. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि ग्राम-बलसापुर, घोड़ाठी एवं मुड़ेना, तहसील व जिला-महासमुंद क्षेत्र में 96 फथर खदानें, कुल क्षेत्रफल 58.43 हेक्टेयर अवस्थित है। ग्राम-घोड़ाठी के भाग से राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है, जिसकी राष्ट्रीय राजमार्ग के उत्तर दिशा में ग्राम-बलसापुर एवं घोड़ाठी क्षेत्र में 70 खदानें, क्षेत्रफल 40.80 हेक्टेयर तथा राष्ट्रीय राजमार्ग के दक्षिण दिशा में ग्राम-घोड़ाठी एवं मुड़ेना क्षेत्र में 26 खदानें, क्षेत्रफल 17.63 हेक्टेयर अवस्थित है। दोनों क्षेत्रों के भाग की दूरी 880 मीटर है। चूंकि ई.आई.ए. स्टाडी के दौरान दोनों क्षेत्रों का बचत जॉन एक-दूसरे में ओवर लेप हो रहा है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा कुल 96 फथर खदानों को एक कलस्टर मानते हुये फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट तैयार करने हेतु अनुरोध किया गया। जिसे समिति द्वारा मान्य किया गया।
18. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि कलस्टर में आने वाली अन्य खदानों के लिए बेसलाईन सटा कलेक्शन का कार्य दिनांक 01/10/2021 से 31/12/2021 के मध्य किया गया। उक्त के संबंध में दिनांक 28/09/2021 को सूचना दी गई थी।
19. मानवीय एन.जी.टी., डिप्लोमट बैंक, नई दिल्ली द्वारा सर्वोच्च पारंपरिक विरुद्ध भाला सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (अंतिमस्त एपिलीकेशन नं. 188 ऑफ 2018 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-

- a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
- b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्पत्ति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया—

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज सख्त), जिला-महासमुद्र से प्राप्त क्रमांक 885/क/खनि./म.स./2023 महासमुद्र, दिनांक 12/08/2023 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 88 खदान, क्षेत्रफल 38.84 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम-घोड़ारी) का रकबा 0.8 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम-घोड़ारी) को मिलाकर कुल रकबा 39.64 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का कलक्टर निर्मित होने से कालम 'बी1' केनी की गयी।
2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का चलन प्रतिवेदन के संकाय में एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को पत्र लेख किया जाए।
3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्पत्ति से प्रकरण 'बी1' कैटेगरी का होने के कालम भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2018 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म ऑफ रिफरेंस (टीओआर) और ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट और प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज रिजुआयरींग इन्फार्मेशन क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में उचित केनी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक मुनवाई सक्ति) नीचे जोल मरुनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुमति की गई—
 - i. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.
 - ii. Project proponent shall submit compliance report of previous environmental clearance from Integrated Regional Office, MoEF&CC Raipur.
 - iii. Project proponent shall submit top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.
 - iv. Project Proponent shall submit an undertaking that the top soil would be stacked at the earmarked place and shall use the same in plantation and backfilling of the mined out area.
 - v. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.
 - vi. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.
 - vii. Project proponent shall submit an affidavit stating that no harm, no damage and no contamination shall be committed to nearby water bodies.

- vii. Project proponent shall submit a study report regarding impact on Riverine Ecology of the study area including Mahanadi River.
- ix. EIA study shall be done at minimum 12 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.
- x. Project proponent shall submit the copy of panchama and photographs of every monitoring station.
- xi. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the mines located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.
- xii. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.
- xiii. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.
- xiv. Project proponent shall undertake plantation & incorporate in the EIA report.
- xv. Project proponent shall submit the 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintenance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.
- xvi. Project proponent shall undertake plantation (as far as possible tree bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 50% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.
- xvii. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

प्रतिक्रमा द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्रतिक्रमा की दिनांक 26/10/2023 को संयुक्त 158वीं बैठक में विचार किया गया। प्रतिक्रमा द्वारा नसी का अवलोकन किया गया। प्रतिक्रमा द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से समिति की अनुमति को स्वीकार करते हुए उपरोक्तानुसार स्टैम्पड टर्न ऑफ रेकॉर्ड (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी करने का निर्णय लिया गया। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि पूर्व में जारी कार्यवाहीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संकलन, नया रायपुर अटल नगर से मंगाये जाने हेतु कर लेख किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को टर्म ऑफ रेफरेंस (टी.ओ.आर.) (लोक सुलवाई सहित) जारी किया जाए। साथ ही एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर से पत्र लेख किया जाए।

14. मेसर्स सिंह स्टोन मार्टिन्स (जी.- सी रघुनाथ सिंह), ग्राम-धीरुवाटा, तहसील-बिला, जिला-बिलासपुर (सचिवालय का नक्सी क्रमांक 2623)

ऑनलाईन आवेदन - प्रयोजन नंबर - एसआईए /सीडी /एमआईएन/ 433738/2023, दिनांक 19/08/2023 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संवलिप्त डोलोमाईट (ग्रीन खनिज) खदान है। खदान ग्राम-धीरुवाटा, तहसील-बिला, जिला-बिलासपुर स्थित खसरा क्रमांक 873, कुल क्षेत्रफल-4.049 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-1,20,000 टन प्रतिवर्ष है।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. प्रतीसपड़ के द्वारा दिनांक 17/08/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 482वीं बैठक दिनांक 23/08/2023

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री रमेश कुमार सिंह, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नक्सी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति आई गई-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण-

- पूर्व में डोलोमाईट खदान खसरा क्रमांक 873, कुल क्षेत्रफल-4.049 क्षमता-1,20,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला सार्वीय पर्यावरण सभाघट निर्धारण प्रधिकरण, जिला-बिलासपुर द्वारा दिनांक 29/11/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति दिनांक 08/03/2023 की अवधि तक वैध थी।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
- निर्धारित शर्तानुसार पूंजारोमण नहीं किया गया है।
- कार्यालय कन्वेक्टर (खनिज सार्वीय), जिला-बिलासपुर के द्वारा क्रमांक 887/ख.लि./न.अ./2023 बिलासपुर, दिनांक 07/08/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्ष में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है-

वर्ष	उत्पादन (टन)
2013-14	71,000
2014-15	71,700
2015-16	71,400
2016-17	72,700

2017-18	48,100
2018-19	69,000
2019-20	75,740
2020-21	71,000
2021-22	1.16,000
2022-23	1.20,000

2. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र – उत्खनन के संकेत में ग्राम पंचायत वीरभद्रा का दिनांक 24/02/2023 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. उत्खनन योजना – नॉनइन्वैज्ड क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है जो संयुक्त संघालय, संचालनालय, भूमिखेती तथा खनिकर्त्, नया रावपुर के ड्राफ्ट क्र. 2884/माइनिंग-2/क्यू.पी./एन.एन. 18/2018 तथा रावपुर, दिनांक 31/08/2017 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान – कार्यालय कलेक्टर (खनिज सहाय), जिला-बिलासपुर के ड्राफ्ट क्रमांक 398/ख.नि./न.क्र./2023 बिलासपुर, दिनांक 12/08/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 8 खदानें, क्षेत्रफल 23.117 हेक्टेयर है।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं – कार्यालय कलेक्टर (खनिज सहाय), जिला-बिलासपुर के ड्राफ्ट क्रमांक 398/ख.नि./न.क्र./2023 बिलासपुर, दिनांक 12/08/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में भी सार्वजनिक संरचनाएं जैसे नदी, नाला, क्षेत्र, एरीकट, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग, मंदिर, मस्जिद, मस्जिद एवं अन्य सार्वजनिक प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. भूमि एवं एल.ओ.आई./सीज का विवरण – यह सार्वजनिक भूमि है। पूर्व में लीज की स्तुतय सिंड के नाम पर थी। लीज कीज 20 वर्षों अर्थात् दिनांक 09/03/2003 से 08/03/2023 तक की अवधि हेतु किया था।

वर्तमान में एल.ओ.आई. की फैला कृति बाबत न्यायालय संचालक, भूमिखेती तथा खनिकर्त्, नया रावपुर अटल नगर के पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक 66/2022 द्वारा जारी जारी आवेदन दिनांक 22/03/2023 की प्रति प्रस्तुत की गई है जिसके अनुसार "उपरोक्त विवेचना के आधार पर पुनरीक्षण प्रकरण स्वीकार करते हुये, यह निर्देशित किया जाता है कि पुनरीक्षणकर्ता द्वारा रीथ माइनिंग प्लान एवं पर्यावरण स्वीकृति प्रस्तुत करने पर, कर निर्धारण उपरोक्त सभ्यत बकाया खनिज राजस्व जमा कराया जाकर, क्वारीकरण गौण नियम, 2018 के नियम 28क(2) के परन्तु के तहत उक्त प्रकरण में नियमानुसार उत्खनन पट्टा अधि विस्तारण के लिए पुरक अनुबंध विभाजन एवं पंजीयन की कार्यवाही पूर्ण करने हेतु अतिरिक्त सनवाधी प्रदान करते हुए प्रकरण कलेक्टर, जिला बिलासपुर को प्रत्यापत्ति किया जाता है।" होना बताया गया है।

7. डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट – वर्ष 2018 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रभावक द्वारा बताया गया कि आवेदित क्षेत्र से निकटतम वन क्षेत्र की दूरी की

जानकारी हेतु उप संचालक (ख.प्रसा.), जिला-बिलासपुर के द्वारा क्रमांक 388 दिनांक 12/08/2023 द्वारा वन सफलाधिकारी, वनसफला जिला-बिलासपुर से दिनांक 13/08/2023 को आवेदन किया गया है, जो प्रतिक्रियाहीन है। समिति का मत है कि आवेदित क्षेत्र के निकटतम वन क्षेत्र की दूरी का उल्लेख करते हुए वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

9. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी – निकटतम आबादी घाट-बीरामाटा 800 मीटर, स्कूल घाट-बीरामाटा 800 मीटर एवं अस्पताल घाट-डिरी 2.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 750 मीटर दूर है। स्थानटी 720 मीटर दूर है।
10. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पील्डुरेटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
11. खनन संख्या एवं खनन का विवरण – जिपसोलॉजिकल रिजर्व 52,81,547 टन, माईनेबल रिजर्व 17,19,738 टन एवं लिक्विडेशन रिजर्व 15,47,762 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 8,780 वर्गमीटर है। खनन कास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 80 मीटर है। वर्तमान में लीज क्षेत्र के भीतर ऊपरी मिट्टी अवस्थित नहीं है। बंध की लंबाई 8 मीटर एवं चौड़ाई 6 मीटर है। खदान की संभावित आयु 13 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्वार्टर स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। जैक ड्रम से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल स्थापित किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का सिंक्रुमड किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है—

वर्ष	उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	1,20,000	चतुर्थ	1,20,000
द्वितीय	1,20,000	पंचम	1,20,000
तृतीय	1,20,000	अष्टम	1,20,000
चतुर्थ	1,20,000	नवम	1,20,000
पंचम	1,20,000	दशम	1,20,000

12. जल आपूर्ति – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 8 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति घाट पंचायत द्वारा टैंकर के माध्यम से की जाती है। इस बाबत घाट पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
13. वृक्षारोपण कार्य – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,358 नम वृक्षारोपण किया जाएगा।
14. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी क्षेत्रफल 8,780 वर्गमीटर है, जिसमें से कुछ क्षेत्र में 25 मीटर की गहराई तक उत्खनित है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लंघन है। अतः जीव संपदा विभागानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

15. चल्तेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नीचे खोज माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई हैं। शर्त क्रमांक 17(a) के अनुसार—

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्तों के अनुसार माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी ज़ोन में कृषांतरण किया जाना आवश्यक है।

16. प्रस्तुतिकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि पूर्व में आवेदक मैसर्स साह स्टोन में आने वाली समस्त खदानों को क्लस्टर में शामिल करके दूर बेसलाईन खाटा कलेक्शन का कार्य मार्च 2022 से मई 2022 के मध्य किया गया था। तत्समय बेसलाईन खाटा कलेक्शन की सूचना दी गई थी। कार्यालय कलेक्टर (खनिज सार्वजनिक), जिला-बिलासपुर द्वारा जारी प्रमाण पत्र में आवेदित खदान से 500 मीटर से नीचे अवस्थित खदानों में उक्त खदान का चलेख है। अतः आवेदित खदान उस क्लस्टर का भाग है, जिसके लिए ई.आई.ए. स्टडी पूर्व में की गई थी। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त एकत्रित बेसलाईन खाटा का उपयोग कर ई.आई.ए. रिपोर्ट तैयार किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है, जिससे समिति सहमत हुई।
17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतिकरण के दौरान बताया गया है कि बेसलाईन खाटा कलेक्शन का कार्य मार्च 2022 से मई 2022 तक किया गया।
18. गाननीय एन.जी.टी., डिभिजल बेच, नई दिल्ली द्वारा सर्वोच्च पारंपरिक विस्फोट भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ऑरिजिनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2018 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्दिष्ट किया गया है—

- a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
- b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया—

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज सार्वजनिक), जिला-बिलासपुर के आपन क्रमांक 398/ख.नि./न.क./2023 बिलासपुर, दिनांक 12/06/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर से नीचे अवस्थित 8 खदानें, क्षेत्रफल 23.117 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (दान-बीरामाटा) का रकबा 4.049 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (दान-बीरामाटा) की मिलाकर कुल रकबा 27.166 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में एकीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 6 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण उक्त खदान 'बी1' श्रेणी की बानी गयी।

2. माईन जीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े रोपटी जोन के कुछ भाग में बिदे गये उपखनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा जीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों तथा दूधारेपन आदि से लिये समुचित उपायों बाबत संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंडावती मयन, नया रायपुर अटल नगर, जिला - रायपुर (छत्तीसगढ़) को पत्र लेख किया जाए।
3. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उपखनन पाये जाने पर जीज उपखनन नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही बिदे जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म एवं पर्यावरण को धरि पट्टुवाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही बिदे जाने हेतु लेख किया जाए।
4. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन अतिवेदन के संबंध में एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को पत्र लेख किया जाए।
5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपखनन सर्वसम्मति से प्रकल्प 'बी1' खंडेनरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैंडर्ड टर्म्स ऑफ रिजनेस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए. /ई.एन.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज रिक्वायरींग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित सेमी 1(ए) का स्टैंडर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) गीन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी बिदे जाने की अनुमति की गई:-
 - i. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.
 - ii. Project proponent shall submit compliance report of previous environmental clearance from Integrated Regional Office, MoEF&CC Raipur.
 - iii. Project proponent shall submit top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.
 - iv. Project Proponent shall submit an undertaking that the top soil would be stacked at the earmarked place and shall use the same in plantation and backfilling of the mined out area.
 - v. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.
 - vi. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.
 - vii. Project proponent shall submit an affidavit stating that no harm, no damage and no contamination shall be committed to nearby water bodies.
 - viii. Project proponent shall submit a study report regarding impact on Riverine Ecology of the study area including Mahanadi River.
 - ix. Project proponent shall submit the NOC from (DFD) forest department mentioning distance between mine lease boundary to forest boundary.

- x. EIA study shall be done at minimum 12 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.
- xi. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.
- xii. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the mines located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.
- xiii. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.
- xiv. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.
- xv. Project proponent shall undertake plantation & incorporate in the EIA report.
- xvi. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area and remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall incorporate the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone.
- xvii. Project proponent shall complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintenance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.
- xviii. Project proponent shall undertake plantation (as far as possible tree bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.
- xix. Project proponent shall submit GER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

प्रधिकरण द्वारा बैठक में विचार – एनटीसी प्रकरण पर प्रधिकरण की दिनांक 26/10/2023 को संलग्न एनटीसी बैठक में विचार किया गया। प्रधिकरण द्वारा नगरी का अवलोकन किया गया। प्रधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से

समिति की अनुमति को स्वीकार करते हुए उपरोक्तानुसार स्वीचर्ड टर्न ऑफ रेकॉर्डिंग (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी करने का निर्णय लिया गया।

साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि:-

- (1) (i) माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेम्टी जोन के कुछ भाग में किन्हे गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र को उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संघर्ष में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों तथा नुसारोपन आदि को लिये समुचित उपायों वास्तु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंडास्ट्री भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला - रायपुर (छत्तीसगढ़) को पत्र लिख किया जाए।
- (ii) प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाने वाले पर परिशोधना प्रस्तावक के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किन्हे जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को पत्र लेख किया जाए।
- (iii) माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेम्टी जोन के कुछ भाग में किन्हे गये उत्खनन से पर्यावरण को क्षति होने के कारण छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किन्हे जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।
- (2) पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का वास्तु प्रतिवेदन एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से भेजाये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।

परिशोधना प्रस्तावक को टर्न ऑफ रेकॉर्डिंग (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी किया जाए। साथ ही संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंडास्ट्री भवन, नवा रायपुर अटल नगर एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर तथा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर को पत्र लेख किया जाए।

15. मेसर्स लायर डिवस अर्ब कले क्वारी माईन एन्ड रिक्वा विमनी डिक फाउंट (प्रो.- श्री मनोन्ध संगोबी), ग्राम-लावर, ताहनील-मस्तुरी, जिला-बिलासपुर (सचिवालय का नसीब क्रमांक 2364)

ऑनलाईन आवेदन - प्रयोजन नम्बर - एसआईए/ सीसी/ एम्आईएन/ 410953/2023, दिनांक 28/01/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। परिशोधना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में कम्प्लि होने से ज्ञात दिनांक 02/02/2023 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्दिष्ट किया गया। परिशोधना प्रस्तावक द्वारा पठित जानकारी दिनांक 29/04/2023 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई। ऑनलाईन परिवेष्ट पोर्टल में तकनीकी त्रुटि होने के कारण उपरोक्त पठित जानकारी सुलाई माह में प्रदर्शित हुई।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित मिट्टी उत्खनन (मीन खनिक) खदान है। खदान ग्राम-लावर, ताहनील-मस्तुरी, जिला-बिलासपुर स्थित खसर क्रमांक खसर क्रमांक 125/4, 125/5, 127/4, 128/1, 128/3, 129/1, 129/2, 129/4, 129/5, 130/1 एवं 130/2, कुल क्षेत्रफल-1.43 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की

अवेधित मिट्टी उत्खनन क्षमता—1,200 घनमीटर (ईट उत्पादन इकाई—12,00,000 नम) प्रतिवर्ष है।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छातीसगढ़ को ज्ञापन दिनांक 17/08/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण —

(अ) समिति की 482वीं बैठक दिनांक 23/08/2023।

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री महेश्वर मंगेशी, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण किया गया। प्रस्तुतीकरण की दौरान समिति के संज्ञान में लब्ध आया कि लीज क्षेत्र से निकटतम आबादी ग्राम—सावर 330 मीटर की दूरी में स्थित है। अतः भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 22/02/2022 को जारी अधिसूचना में ईट भट्टा हेतु जारी दिशा-निर्देश के टिप्पणी क्रमांक 8 के अनुसार "ईट भट्टों को आबादी और कलों के कानों से 0.8 कि.मी. की न्यूनतम दूरी पर स्थापित किया जाना चाहिए। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समितियां आवास, जनसंख्या घनत्व, जल निकासी, लैंडफिल रिसेप्टर्स इत्यादि की निगरानी का ध्यान रखते हुये स्थापित मापदंडों को सख्त बना रखते हैं।" का उल्लेख है।

उक्त दिशा-निर्देश के तहत अवेधित खदान से 0.8 किलोमीटर क्षेत्र तक ईट भट्टों का निर्माण नहीं किया जाना है।

लीज क्षेत्र से निकटतम आबादी ग्राम—सावर 330 मीटर की दूरी में स्थित है। उक्त दिशा-निर्देश के आधार पर अवेधित मिट्टी उत्खनन (पीग खनिज) खदान एवं किस्ता किम्बी ईट उत्पादन इकाई से 0.8 किलोमीटर क्षेत्र छोड़े जाने की स्थिति में मिट्टी उत्खनन (पीग खनिज) खदान एवं किस्ता किम्बी ईट उत्पादन इकाई में उत्खनन हेतु बहुत कम क्षेत्र अवशेष होना संभावित है। अतः प्रकरण में विचार किया जाना संभव नहीं है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर समिति द्वारा विचार विमर्श उपर्युक्त सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक को अवेधित प्रकरण को डि-लिस्ट/निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई।

प्रतिक्रमण द्वारा बैठक में विचार — उपरोक्त प्रकरण पर प्रतिक्रमण की दिनांक 26/10/2023 को संयुक्त 168वीं बैठक में विचार किया गया। प्रतिक्रमण द्वारा नस्ती/जानकारी/एलएजेड का अवलोकन किया गया। प्रतिक्रमण द्वारा विचार विमर्श उपर्युक्त सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदन को डि-लिस्ट / निरस्त करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

16. केसरि मिरीद सोम्ब माईन-1 (सतलुध, ग्राम पंचायत मिरीद), ग्राम-मिरीद, लक्ष्मील-बाघावा, जिला-उत्तर बल्लर कर्गंर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2488)

ऑनलाईन आवेदन — प्रोजेक्ट नम्बर — एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 431312/2023, दिनांक 29/08/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया। ऑनलाईन परिवेश पोर्टल में तकनीकी त्रुटि होने के कारण प्रकरण जुलाई माह में प्रदर्शित हुई।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित रेत उत्खनन (नीम खनिज) खदान है। खदान ग्राम-मिरीद, तहसील-बारामा, जिला-उत्तर बलार कांकेर स्थित पार्सि डीप खसरा क्रमांक 1006, कुल क्षेत्रफल-4.6 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन गहानाही से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-1,38,860 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदनुसार परिवर्धना प्रस्तावक को एल.डी.ए.सी, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/08/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 482वीं बैठक दिनांक 23/08/2023

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री पराक राम जुरी, सरपंच, ग्राम पंचायत मिरीद उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई-

1. पुरे में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण- इस खदान को पुरे में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. ग्राम पंचायत का अनाथित प्रमाण पत्र – रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत मिरीद का दिनांक 24/01/2023 का अनाथित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. विन्दाकित/सीमाकित – कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान विन्दाकित/सीमाकित कर घोषित है।
4. उत्खनन योजना – रेत रेत संग्रह साईन प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो एच-संचालक (ख.प्र.), जिला-उत्तर बलार कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 1041/खनिज/उत्ख.यो.अनु./रेत/2023-24 उ.ब.कांकेर, दिनांक 24/05/2023 द्वारा अनुमोदित है।
5. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-उत्तर बलार कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 1077/खनिज/ख.नि./रेत/2023 कांकेर, दिनांक 28/05/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अन्य खदानों की संख्या शून्य है।
6. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-उत्तर बलार कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 1078/खनिज/ख.नि./रेत/2023 कांकेर, दिनांक 28/05/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग, पुल, बांध, स्कूल, अस्पताल, मंदिर, मस्जिद, दुग्धघाना, मण्डप एवं एनीकट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
7. एल.डी.आई. का विवरण – एल.डी.आई, सरपंच, ग्राम पंचायत मिरीद के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-उत्तर बलार कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 915/खनिज/रेत/2023 कांकेर, दिनांक 10/08/2023 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 1 वर्ष हेतु वैध है। एल.डी.आई. में छत्तीसगढ़ नीम खनिज सार्वजनिक रेत का उत्खनन एवं व्यवहार (अनुसूचित क्षेत्र हेतु) नियम 2023 नियम 7 के तहत रेत खदान उत्खनियद्दा अवधि 5 वर्ष की स्वीकृति के लिए निम्नलिखित शर्तों के पूर्ति हेतु यह आदेश पत्र जारी किया जा रहा है जिसकी

दुर्घट निर्धारित समयवधि में करने पर आपकी परामर्शदाता स्वीकृत किया जायेगा।" का उल्लेख है।

8. वन विभाग का अनामति प्रमाण पत्र – कार्यालय वनमण्डलधिकारी, कांठेर वनमण्डल, जिला-कांठेर के प्रमाण क्रमांक/मा.वि./2023/2077 तारीख दिनांक 14/03/2023 से जारी अनामति प्रमाण पत्र अनुसार प्रस्तावित रेत उत्खनन क्षेत्र से वन क्षेत्र की सीमा से 8 कि.मी. दूरी पर है।
9. डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट – वर्ष 2019 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
10. गहलदुर्ग संरचनाओं की दूरी – निकटतम आकारी डाम-मिरीद 830 मीटर, स्कूल डाम-मिरीद 12 कि.मी. एवं जमराज-वाठमा 24 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 245 कि.मी. एवं राजमार्ग 204 कि.मी. दूर है। नाला 310 मीटर, जलाशय 1 कि.मी., बांध 6.8 कि.मी., एनीकट 23 कि.मी. एवं पुल 1.45 कि.मी. दूर है। स्वीकृत रेत खदान के 1 कि.मी. की दूरी तक पुल/एनीकट स्थित नहीं है।
11. खनन स्थल पर नदी के घाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के घाट की चौड़ाई – अधिकतम 400 मीटर, न्यूनतम 323 मीटर तथा खनन स्थल की लंबाई अधिकतम – 405 मीटर, न्यूनतम 401 मीटर एवं खनन स्थल की चौड़ाई – अधिकतम 141 मीटर, न्यूनतम 112 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 125 मीटर, न्यूनतम 33 मीटर है।
समिति द्वारा पाया गया कि जिस खनन स्थल पर नदी के घाट की चौड़ाई 400 मीटर है, उस खनन स्थल पर नदी तट के किनारे से दूरी न्यूनतम 125 मीटर है तथा खनन स्थल पर नदी के घाट की चौड़ाई 323 मीटर है, उस खनन स्थल पर नदी तट के किनारे से दूरी न्यूनतम 33 मीटर है। अतः गैर माईनिंग क्षेत्र की आवश्यकता नहीं है।
12. खदान स्थल पर रेत की मोटाई – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 5.05 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 3 मीटर दर्शाई गई है। अनुसंधित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा – 1,38,600 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर खनिजन में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए प्रस्तावित स्थल पर 5 गड्ढे (Pits) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रामाणिक जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत गहराई 5.05 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा प्रस्तुत किया गया है।
13. खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवलस – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल में 25 मीटर गुंथा 25 मीटर के चिह्न बिन्दुओं पर दिनांक 11/05/2023 को रेत सतह के वर्तमान लेवलस (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रामाणिकरण सतहों कोटेशनस सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं।
14. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परियोजना प्रसादक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के संकेत विस्तार से वर्षा उत्सर्ग निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
27.55	2%	0.55	Following activities at nearby Village-Bhiraud	
			Plantation around Pond & AMC for 5 years	0.55
			Total	0.55

15. सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब के घाटों और वृक्षारोपण हेतु (आम, जामुन आदि) प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 38 नम घाटों के लिए राशि 3,800 रुपये, खेसिंग के लिए राशि 5,700 रुपये, खाद के लिए राशि 1,900 रुपये, सिंचाई के लिए राशि 6,000 रुपये, तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 10,000 रुपये, अन्य कार्य के लिए राशि 5,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 31,400 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 67,800 रुपये हेतु घटकवार नग्न का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत भिरौद के सहमति उपरोक्त पंचायत स्थान (खसत क्रमांक 548 एवं 549 में स्थित तालाब) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

16. वृक्षारोपण कार्य – नदी तट में 1,000 नम वृक्षारोपण करने हेतु प्रस्ताव निम्नानुसार दिया गया है—

विवरण		प्रथम वर्ष (रुपये)	द्वितीय वर्ष (रुपये)	तृतीय वर्ष (रुपये)	चतुर्थ वर्ष (रुपये)	पंचम वर्ष (रुपये)
प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सड़कों/घाटों मार्ग से उत्पन्न धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव		50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
नदी तट में (1,000 नम) वृक्षारोपण हेतु	वृक्षारोपण (30 प्रतिवर्त जीवन दर) हेतु राशि	1,00,000	—	—	—	—
	खेसिंग हेतु राशि	1,50,000	—	—	—	—
	खाद हेतु राशि	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
	सिंचाई एवं रख-रखाव हेतु राशि	1,50,000	1,50,000	1,50,000	1,50,000	1,50,000
	अन्य लागत-बाईन	5,000	—	—	—	—

	बोर्ड, रेडियम कार एवं अन्य आवधिकार कार्य					
कुल राशि =	15,05,000	5,05,000	2,50,000	2,50,000	2,50,000	2,50,000

17. परियोजना से जिन-जिन स्थलों से फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल सिंक्रकाल की व्यवस्था किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
18. खदान क्षेत्र के आल-वास नदी तट एवं पट्टन मार्ग में स्थान कृतोपम किये जाने एवं रोपित पौधों का सन्वाइवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
19. फलौसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
20. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
21. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध इस खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन इकलन देस के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में ललित नहीं है।
22. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलसधु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.अ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का इकलन ललित नहीं है।
23. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को common cause vs. Union of India with petition (C) 114 of 2014 में दिये गये निर्देश का पालन किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
24. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को with petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिसा निर्देशों का पालन किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
25. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि अनुमोदित उल्लनन योजना में दिए माईनेबल रिजर्व का 60 प्रतिशत रिजर्व ही उल्लनन किया जाएगा एवं खदान में तथा खनन के दौरान हास्टेनेबल सेड माईनिंग माईकलाईन 2018 एवं इन्वोर्समेंट एक्ट मॉनिटरिंग माईकलाईनस और सेक्ट 2020 के प्रकथनों का पालन किया जाएगा।
26. पर्यावरण लकीकृति में दिये गये शर्तों का पालन किये जाने एवं सभ्यता पालन प्रतिवेदन पर्यावरण कार्यालय में जमा कलने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
27. सी.ई.आर. कार्ड एवं नदी तट में कृतोपम कार्ड के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, वाम पक्षवत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि

एवं जिला प्रशासन या उत्तरीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पर्यावरण/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर एवं नदी तट में कृषासेवन का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरान्त गठित त्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

28. लीज क्षेत्र के चारों ओरों तथा सीमा लाईन के नजद में सीमेंट के खम्भे लगाना आवश्यक है ताकि लीज क्षेत्र नदी में स्पष्ट दृष्टिगोचर हो सके।
29. रेत उत्खनन वैशुअल विधि से एवं भराई का कार्य लीडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि लीडर जैसे बंध भारी वाहन की सेन्गी के है। अतः भराई का कार्य वैशुअल विधि से ही कराई जावे। गाड़ी बल्लों को नदी में प्रेषण की अनुमति नहीं होगी।
30. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 3 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःपूरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं उत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। महानदी बड़ी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में सामान्यतः 1.5 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनःपूरण होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया—

1. आवेदित खदान (घास-मिरीच) का सक्का 4.9 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संपादित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान सी-2 सेन्गी की बानी गयी।
2. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गार्द अध्ययन (Siltation Study) करवायेगा, ताकि रेत के पुनःपूरण (Replenishment) बाध्द गाही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।
3. लीज क्षेत्र की सतह का रेगललाईन अटा -
 - i. रेत उत्खनन प्रारंभ करने से पूर्व उपरोक्तानुसार निर्धारित फिक्ड बिन्दुओं पर नदी में रेत की सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे कर, उसके आंकड़े तात्काल एस.ई.आई.ए.ए. उत्तरीसगढ़ को प्रस्तुत किये जावें।
 - ii. फेब्रु-मार्च/अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने से पूर्वी इन्ही फिक्ड बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित फिक्ड बिन्दुओं पर किया जावेगा।
 - iii. इसी प्रकार रेत खनन उपरान्त मार्च/अप्रैल के अंतिम सतह/पूरा के प्रथम सतह) इन्ही फिक्ड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवलस (Levels) का मापन किया जाएगा।

- iv. रेत सतह को पूर्व निर्धारित ठिंठ बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवलस (Levels) को मापन का कार्य आगामी 8 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पोस्ट-मानसून के आंकड़े दिसम्बर 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 एवं प्री-मानसून के आंकड़े अगस्त 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जाएंगे।
4. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से मेसर्स मिटीयू रोम्ब माईन-1 (सारंग, ग्राम पंचायत मिटीयू), पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 1039, ग्राम-मिटीयू, तहसील-बाराघ, जिला-उत्तर बलार कांकेर, कुल लीज क्षेत्रफल 4.9 हेक्टेयर के कुल 60 प्रतिशत क्षेत्रफल में ही रेत उत्खनन अधिकतम 1.5 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए कुल 44,100 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, खनन पट्टे के निष्पादन की शर्तों से पांच वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुमति की गई। रेत की खुदाई अधिजी द्वारा (Manually) की जाएगी। रिवर बेड (River Bed) में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) में लैंडिंग प्वाइंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर द्वारा ही किया जाएगा।
 5. सस्टेनेबल रोम्ब माईनिंग मैनेजमेंट गाईडलाइन्स, 2016 (Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016) एवं इंफोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाइन्स फॉर रोम्ब माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के अनुसार पालन सुनिश्चित किया जाए।
 6. इंफोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाइन्स फॉर रोम्ब माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के तहत 60 प्रतिशत क्षेत्र में उत्खनन कार्य किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 28/10/2023 की संपन्न 158वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा मसौदा का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. समिति की अनुमति को स्वीकार करते हुए आवेदक – मेसर्स मिटीयू रोम्ब माईन-1 (सारंग, ग्राम पंचायत मिटीयू) को निम्नानुसार अधिखनन शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया:-
 - i. सी.ई.आर. के तहत एवं नदी तट में किये जाने वाले कृशारोपण का सहायन इन विभाग के सहज अधिकारी अथवा वन विभाग द्वारा कृशारोपण के सहायन हेतु अधिकृत संस्थाओं (आई पार्टी) से अनुमोदन कराकर अर्थात्वारिक रिपोर्ट में सम्मिलित करते हुए एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

2. सी.ई.आर. के अंतर्गत सालाना के चारों ओर में विन्डे जाने वाले कुआरोवन के संचालन हेतु जिन्डोटिंग फोटोग्राफस सहित अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित कली हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ को प्रेषित किया जाए।

समिति द्वारा निर्धारित हदों के अंतर्गत निहित विन्डे गये हदों का पालन सुनिश्चित किया जाए। पालन नहीं विन्डे जाने की स्थिति में विधिवत् कार्यवाही की जाएगी।

परिपोलना प्रस्तावक को सगर्त पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

बैठक कार्यवाह ज्ञापन के साथ संपन्न हुई।


(अरुण प्रसाद पी.)
सदस्य सचिव,

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन
प्रतिकल्प, छत्तीसगढ


(देवशीष दास)
अध्यक्ष,

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन
सचिवालय, छत्तीसगढ

The first part of the paper is devoted to a study of the
 properties of the function $f(x)$ defined by the equation

$$f(x) = \int_0^x f(t) dt + x^2$$
 It is shown that $f(x)$ is a polynomial of degree 2 and
 that its coefficients are determined by the initial conditions
 $f(0) = 0$ and $f'(0) = 1$.

